अस्ति का र जपश The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग Ш-खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] No. 33]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12,2009/फाल्गुन 21, 1930

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2009/PHALGUNA 21, 1930

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2009

दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 2)

फा. सं. 409-12/2008-एफएन.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण **अधिनियम, 1997** (1997 का 24) की धारा 11 की उप—धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूररसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार, 2003 (2003 का 4) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम, 1.(1) 2009 कहा जाएगा
 - (2) ये अप्रैल, 2009 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होंगे ।
- दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4), (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) में, -
- विनियम 4 में, " अनुसूची—III एक्सेस डेफिसिट प्रभार (एडीसी)" प्रविष्टि के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची IV — शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी)";

- (ख) विनियम 5 में, उप–विनियम (IV) के पश्चात् निम्नलिखित उप–विनियम अंतःस्थापित किया जाएंगे, अर्थात् :-
- '(v) अनुसूची II के पैरा (क) के अंतर्गत निर्दिष्ट मारत के मीतर लंबी दूरी की कॉलों हेतु कैरिज प्रभारों के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकता.— प्रत्येक राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक, तिमाही आधार पर, कैरिज प्रभार की प्रति मिनट दर तथा भारत के भीतर इसके द्वारा प्रत्येक बीएसओ / सीएमएसपी / यूएएसएल / आईएलडीओ से, अलग—अलग, प्राप्त की गई लंबी दूरी की कॉलों के लिए ऐसे कैरिज प्रभार की कुल राशि की रिपोर्ट प्राधिकरण को करेगा, तथा प्रत्येक बीएसओ / सीएमएसपी / यूएएसएल / आईएलडीओ, तिमाही आधार पर, भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए प्रति मिनट कैरिज प्रभारों तथा उसके द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक को, अलग—अलग, संदत्त भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए एसे कैरिज प्रभारों की रिपार्ट, प्राधिकरण को करेगा तथा ऐसी तिमाही रिपोर्ट प्राधिकरण को पिछली तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- (vi) अनुसूची IV के पैरा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट शार्ट मैसेज सेवा (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रमार की रिपोर्टिंग आवश्यकता.— प्रत्येक बीएसओ / सीएमएसपी / यूएएसएल / एनएलडीओ / आईएलडीओ, तिमाही आधार पर, एसएमएस के लिए अंतरसंयोजन उपभोग प्रभार की दर तथा इसके द्वारा अन्य बीएसओ / सीएमएसपी / यूएएसएल / एनएलडीओ / आईएलडीओ से प्राप्त तथा इसके द्वारा अन्य बीएसओ / सीएमएसपी / यूएएसएल / एनएलडीओ / आईएलडीओ को, अलग—अलग, संदत्त एसएमएस के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार की कुल राशि के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा तथा ऐसी तिमाही रिपोर्ट प्राधिकरण को पिछली तिमाही की समाप्ति के तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।"
- 3. प्रधान विनियमों की अनुसूची—I में, पैरा 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
- "1. टर्मिनेशन चार्जेज स्थानीय और राष्ट्रीय लंबी दूरी की वॉयस कॉलों से फिक्सड वायरलाइन को, स्थानीय लूप में वायरलैस (फिक्सड), स्थानीय लूप में वायरलैस (मोबाइल), सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (2जी एवं 3जी दोनों) के लिए टर्मिनेशन चार्जेज 0.20 रु० (बीस पैसे केवल) प्रति मिनट की दर पर समान होंगे तथा आवक अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की वॉयस कॉलों से ऐसे फिक्सड वायरलाइन को, स्थानीय लूप में वायरलैस (फिक्सड), स्थानीय लूप में वायरलैस (मोबाइल), सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (2जी एवं 3जी दोनों) के लिए टर्मिनेशन चार्जेज 0.40 रु० (चालीस पैसे केवल) प्रति मिनट की दर पर समान होंगे।"।
- प्रधान विनियमों की अनुसूची II में,
- (क) पैरा (ख) में, "0.20 रु० (बीस पैसे केवल) प्रति मिनट से कम होने चाहिए" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "0.15 रु०" (पंद्रह पैसे केवल) प्रति मिनट से कम होंगे" शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी ; ।
- (ख) पैरा (ग) के पश्चात्, तथा अनुसूची II की टिप्पणियों से पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(घ) ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टीएएक्स) ट्रॉजिट प्रभार. सभी मामलों में, सेल्युलर प्रचालकों द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड की सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की एक्सेसिंग के लिए ट्रांजिट प्रभार को छोड़कर, जोिक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भारत संचार निगम लिमिटेड के सेलवन समापन परियात के लिए ट्रांजिट प्रभार) विनियम, 2005 (2005 का 10) अथवा किस अन्य प्रवृत्त विधि द्वारा विनियमित किया जाता है, को छोड़कर एक्सेस ट्रांजिट प्रभार 0.15 रु० (पंद्रह पैसे केवल) प्रति मिनट से कम होगे, और उक्त सीमा के अध्यधीन, संबंधित सेवा प्रग्दाताओं द्वारा पारस्परिक वाणिज्यिक करार के माध्यम से निर्णित किए जाएंगे।

(ङ) लेवल II ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (टीएएक्स) से एसडीसीए तक ट्रांजि ट कैरिज प्रमार.

सेल्युलर मोबाइल नेटवर्कों से फिक्सड नेटवर्क तक, एलडीसीए के लेवल II ट्रक स्वचालित एक्सचेंज (टीएएक्स) से सौंपे गए अंतरासर्किल परियात के कैंिरज के लिए, जिसमें कॉल एसडीसीए तक समाप्त की जानी है, के लिए ट्रांजिट कैरिज प्रभार, दूरी को ध्यान में न रखते हुए, प्रति मिनट 0.15 रू0 (पंद्रह पैसे केवल) होगा।"।

5. प्रधान विनियमों की अनुसूची III में, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"अनुसूची—IV

शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आई यूसी)

शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी). – शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) के लिए अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) प्रविरता रहेंगे:

परंतु यह कि ऐसे प्रभार पारदर्शी, व्यतिकारी तथा गैर-भेदभावपूर्ण होंगे।"।

लव गुप्ता, प्रधान सलाहकार, (अंतरसंयोजन एवं फिक्सड नेटरवर्क प्रभाग)

[विज्ञापन III/4/142/20 08/असा.]

टिप्पणी 1- प्रधान विनियम दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 (2003 का 4) की अधिसूचना संख्या 409-5/2(103-एफएन में प्रकाशित हुए थे तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :—

- (i) 409-5/2003-एफएन दिनांक 25 नवम्बर 2003 (2003 का 5) (पहला संशोधन);
- (ii) 409-5/2003-एफएन दिनांक 12 दिसम्बर 2003 (2003 का 6) (दूसरा संशोधन);
- (iii) 409-5/2003-एफएन दिनांक 31 दिसम्बर 2003 (2003 का 7) (तीसरा सांशोधन);
- (iv) 409-8 / 2004-एफएन दिनांक 06 जनवरी 2005 (2005 का 1) (चौथा संशोधन);
- (v) 409-8/2004-एफएन दिनांक 11 अप्रैल 2005 (2005 का 7) (पांचवां संशोधन) जिसे माननीय टीडीसैट द्वारा 2005 की अपील सं0 7 में 21 सितम्बर 2005 के अपने आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था:
- (vi) 409-5/2005-एफएन दिनांक 23 फरवरी 2006 (2006 का 1) (छठा संशोधन);
- (vii) 409-5/2005-एफएन दिनांक 10 मार्च 2006 (2006 का 2) (सातवां संशोधन),
- (viii) 409-2/2007-एफएन दिनांक 21 मार्च 2007 (2007 का 2) (आठवां संशोधन),
- (ix) 409—22 / 2007—एफएन दिनांक 27 मार्च 2008 (2008 का 2) (नौवां संशोधन).

टिप्पणी 2- व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

"दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (दसवां संशोधन) विनियम 2009" का व्याख्यात्मक ज्ञापन

- 1. प्रस्तावना अंतरसंयोजन और अंतरसंयोजन उपयोग प्रमार (आईयूसी)
- 1.1 टेलीफोनी उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करती है यदि नेटवर्क प्रभावों का यथासंभव अधिकतम दोहन किया जाए। यह किसी उपभोक्ता को अनेक अन्य उपभोक्ताओं तक संपर्क स्थापित करने में समर्थ बनाती है। प्रचालकों तथा नेटवर्कों की बहुलता की स्थिति में, जैसी कि भारत में विद्यमान है, यह संभव है कि एक दूसरे को कॉल करने वाले उपभोक्ता विभिन्न नेटवर्कों से जुड़े हों और वे नेटवर्क प्रभाव का लाभ ले रहे हों, तथा ऐसी स्थिति में यह नितांत अनिवार्य हैं कि ये नेटवर्क अंतरसंयोजित हों। अनेक किस्मों के एक्सेस नेटवर्कों —िफक्स्ड और मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के नेटवर्क करना होता है तािक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉलें संभव हो सके । यह विविधता अंतरसंयोजनों के प्रकारों और संख्या को अधिक बनाती है तथा यह स्वाभाविक ही है कि यदि इसे प्रभावशाली ढंग से संचालित नहीं किया गया तो इसमें विकृतियां पैदा हो सकती हैं । यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रभावी अंतरसंयोजन सभी सार्वजनिक नीितयों के लिए महत्वपूर्ण है तथा यह दूरसंचार में प्रतिस्पर्धा के अवसर खोलता है।
- जबिक अंतरसंयोजन के लिए सार्वजनिक हित का उद्देश्य अत्यंत सुदृढ़ है, वैयक्तिक प्रचालक इसे भिन्न रूप में देखते हैं। चाहे वे एक्सेस और लंबी दूरी जैसे सहयोगी नेटवर्क हों, अथवा समान क्षेत्र में दो एक्सेस सेवा प्रदाताओं जैसे प्रतिस्पर्धी नेटवर्क हों, अन्य सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क लागत अंतरित करने, यथासंभव राजस्व वसूल करने, प्रतिस्पर्धा में बाधा तथा उनके बाजार हिस्से को जितना अधिक हो सके बनाए रखने अथवा बढ़ाने की प्रवृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता है। इंकम्देंट, चाहे वे सरकारी हो अथवा निजी, यह नहीं चाहेंगे कि प्रतिस्पर्धी उनके नेटवर्क का लाभ उठाएं, उनके व्यवसाय को झपट लें तथा उच्च लाभ उठाएँ। इसके परिणामस्वरूप, दीर्घकालिक एंव महंगा मोलभाव तथा उपभोक्ताओं को प्रभावी सेवाओं, जोकि दूरसंचार सुधारों और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सर्वोपरि लक्ष्य था, की कीमत पर कटु प्रतिस्पर्धा का खेल प्रारंभ हो जाता है। यह सार्वजनिक हित में है कि प्रभावी अंतरसंयोजन स्थापित किया जाए । इंकम्बेंट प्रचालक यह महसूस कर सकते हैं कि अंतरसंयोजन के व्यावसायिक लाभ प्रधानतः छोटे नेटवर्क से प्रोद्भूत हों और उन्हें नेटवर्क प्रभाव के कारण अधिकतम परिकल्पित मूल्य का लाभ मिलें। अतः वे उच्च मूल्य प्रभारित करके अंतरसंयोजन को बाधित करते हैं, जब विनियम ऐसी अनुमित देते हैं अथवा विलंबित होते हैं, जब विनियमों द्वारा दरों को अधिदेशित किया जाता है। एक विशाल नेटवर्क भी उच्च अंतरसंयोजन मूल्य प्रभारित करके प्रवेश वर्जित करने का आशय रखता है जो खुदरा उपभोक्ताओं के समान वर्ग के लिए छोटे प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करता है अथवा कमजोर बनाता है। तब यह स्वाभाविक ही है कि कुछ छोटे प्रदाताओं के लिए अंतरसंयोजन उनके बाजार हिस्से को संभावित चुनौती के रूप में अस्पष्ट हो जाता है जबकि अन्य के लिए यह व्यवसाय

को संचालित करने के लिए एक बुनियादी निवेश होता है। इसके अतिरिक्त, काई नेटवर्क, जिसमें अन्य चीजें समान हो, उच्च अंतरसंयोजन प्रभारों से लाभ उठाता है, जो इसके राजस्व में वृद्धि करता है। इन कारणों से यह सोचना बुद्धिमानी भरा कार्य नहीं होगा कि अंतरसंयोजन सभी परिस्थितियों के अंतर्गत स्वतंत्र एवं उचित रूप से हो जाएगा। अतः विनियामकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक समर्थकारी अंतरसंयोजन परिवेश प्रदान करने के लिए तथा सब्सक्राइबर के लाभ को अधिकतम करने की आवश्यकता के साथ विनियामक निश्चितता की आवश्यकता का संतुलन करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए तथा पणधारकों को प्रौद्योगिकीय अभिनवताओं का लाभ उठाने की अनुमित देने के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाएं।

- 1.3 मोबाइल प्रचालक, जिनका एक विशाल सब्सक्राइबर आधार है, छोटे और नए प्रचालकों की कीमत पर उच्च टर्मिनेशन चार्जेज (समापन प्रभारों) से लाभ उठाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि छोटे एवं नए प्रचालक समापन प्रभारों की बड़ी राशि के निवल भुगतानकर्ता होते हैं क्योंकि उनकी कॉलों का उच्च अनुपात बड़े मोबाइल प्रचालकों पर समाप्त होता है। उच्च समापन प्रभार उनके लाभ—अंतर को तथा उनकी प्रतिस्पर्धी योग्यता को कम कर देते हैं और बड़े सेवा प्रदाताओं को विशिष्ट लागत लाभ देते हैं, जोकि, इसके परिणामस्वरूप, अधिक सब्सक्राइबरों को अर्जित करके समापन बाजार को मजबूत बनाने में समर्थ हैं।
- 1.4 अन्य अंतरसंयोजन सेवा प्रदाताओं के सब्सक्राइबरों द्वारा की गई कॉलों के समापन में लागत शामिल होती है जिसके लिए सेवा प्रदाताओं को उचित रुप से प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता होती है। विभिन्न सहयोग और प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के मध्य अंतरसंयोजन व्यवस्थाओं को सुकर बनाने तथा उनके बीच बंदोबस्त को अधिक सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए प्रभावी अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों (आईयूसी) को स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसी आईयूसी प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सेवा प्रदाता युक्तिसंगत निबंधन और शर्तों पर ऐसी अंतरसंयोजन सुविधाओं और सेवाओं की एक्सेस हासिल करने में समर्थ हो सकें, जो उनके अपने ग्राहकों को कार्यकुशल सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। एक आईयूसी प्रणाली, जो प्राथमिक रूप से लागतोन्मुखी है, प्रचालकों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है तथा आर्थिक संसाधनों के दुरूपयोग को कम करती है। यह प्रचालकों को उनके उपभोक्ताओं के लिए उनके टैरिफ के नियतन में तथा अभिनव टैरिफ प्लान पेश करने में पर्याप्त लचीलापन प्रदान करती है। यह ग्राहकों के कल्याण, दूरसंचार के स्थिर विकास तथा देश के आर्थिक विकास को संवर्धित करती है।

2. आईयूसी विवादित उद्देश्यों का सामंजस्य करती है

2.1 आईयूसी की स्थापना के लिए आवश्यक है कि वह पणधारकों के विवादित मतों को ध्यान में रखे तथा प्रायः उठने वाले अनेक विवादित उद्देश्यों का सामंजस्य करे । आईयूसी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एक युक्तिसंगत लागत पर उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं की एक व्यापक शृंखला उपलब्ध करना है तथा साथ ही ये सेवाएं आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक कार्यकुशल रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए । एक प्रमावी

ज्ञिंदूसी प्रणाली निवेश आकर्षित करने तथा अवसंरचनात्मक विकास एवं अभिनवता को उद्देश्त करने के लिए परिस्थितियां मृजित करेगी । इसके साथ—साथ, यह इंकम्बेंट प्रचालकों तथा नए प्रवेशकर्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा के लिए परिवेश भी सृजित करेगी । इसका सार यह है कि उदारीकरण के लाभ यथासंभव शीघ्र समाज के विशाल वर्ग को वितरत कर दिए जाने चाहिए तािक उपभोक्ता बाजार में सेवाओं की पूरी शृंखला को एक्सेस करने में समर्थ हो सकें, न कि केवल उन्हीं सेवाओं का लाभ उठाएं जोिक उसका वह एक्सेस प्रदाता उपलब्ध करा रहा है जिसके नेटवर्क से वे जुड़े हुए हैं।

- आईयूसी प्रणाली की स्थापना करते समय फिक्सड और मोबइल नेटवर्क में प्रांतत्यर्धा, मूल्य, गुणवत्ता, प्रोत्साहनों और निवेश पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कुरसंचार सेवाओं के विकास को आगे ले जाने के लिए आईयूसी के उपयुक्त अवयवों के वार्यम से सेवा प्रदाता को उसके निवेशों और प्रचालनात्मक व्ययों के लिए उचित रूप से ातिपूर्ति किए जाने की आदश्यकता है। यदि अंतरसंयोजन मूल्य "अत्यंत कम" निर्धारित किया जाता है, तो अकार्यकुशल प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। इंकम्बेंट प्रचालक नेटवर्क में पर्याप्त रूप से निवेश नहीं करेंगे तथा सेवा की गुणवत्ता से समझौता करेंगे। यदि अंतरसंयोजन मूल्य को "अत्यंत उच्च" निर्धारित किया जाता है, तो यह वाजार में कार्यकुशल प्रतिनिधियों द्वारा प्रवेश को हतोत्साहित करेगा। अकार्यकुशलताओं की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा इसे प्रोत्साहन मिलेगा, और कार्यकुशल नेटवर्कों के विकास के लिए काई प्रोत्साहन नहीं रहेगा। अनेक नए प्रवेशकर्ताओं के लिए, अंतरसंयोजन उनकी बड़ी लागतों में से एक है तथा यह स्थापित प्लेयरों की ओर से प्रतिस्पर्धा को अलते की उनकी समर्थता को और उनके नेटवर्कों के विकास को प्रभावित करेगा। सेवा प्रवाला खुदरा उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करने के स्थान पर अन्य कैरियरों से भुगतानों को अधिकतमं बनाने पर अपना ध्यान लगा सकते हैं । एपभोक्ताओं के एक विशाल खंड के लिए सेवाएं अवहनीय हो सकती हैं तथा जो लोग चरों वहन कर सकते हैं, वे भी उनकी आवश्यकता से अधिक का भुगतान कर रहे होंगे।
- प्रयोग की गई कार्यपद्धति प्रभारों के स्तरों की आकलन करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि इस क्षेत्र के विकास की दिशा योजनाओं तथा नीतियों के साथ सुसंगत है। यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि प्रभार सेवा प्रदाताओं को उनकी लागतों को वसूलने में समर्थ बनाए, कॉल समापन के साथ सहयोजित अंतरणों को देखे, यह जांच करे कि क्या वे आर्थिक अथवा सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य से औचित्यसम्मत हैं तथा क्या वे समान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र को बनाए रखते हैं।

समीक्षाधीन प्रणाली का वर्णन

अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों का ढांचा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2003 के दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003 (2003 का 1) के माध्यम से स्थापित किया गया था । ये विनियम मूलतः 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होने थे परंतु ट्राई को अंतरप्रचालक अंतरसंयोजन प्रभारों के निपटान से संबंधित मुद्दों पर परामर्श करना पड़ा जिसके लिए एक परामर्श-पत्र 30 अप्रैल, 2003 को जारी किया गया । इन

मुद्दों का निपटान अनेक बैठकों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के साथ चर्चा करके किया गया तथा आईयूसी प्रणाली 1 मई, 2003 को लागू की गई । आईयूसी प्रणाली ने कॉलिंग पार्टी पेज (सीपीपी) की प्रणाली की शुरूआत की जोकि भारत में दूरसंचार सेवाओं के तीव्र विकास के लिए कारकों में से संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है।

- 3.2 अंतरासर्किल एवं अंतरसर्किल तथा साथ ही अंतर नेटवर्क कॉलों के लिए प्रारंभन, कैरिज और समापन विनिर्दिष्ट करने वाली विभिन्न अनुसूचियां इस विनियम की भाग थीं। प्रभार नेटवर्क के उस प्रकार, जिनमें कॉल प्रारंभ और समाप्त हुई तथा सेवा प्रदाता के नेटवर्क में तय की गई दूरी पर आधारित थे। सेल्युअर नेटवर्क के मामले में, प्रभार इस बात पर भी आधारित थे कि क्या गंतव्य नेटवर्क एक महानगर अथवा गैर—महानगर शहर है। समापन प्रभार 15 पैसे से 50 पैसे तथा कैरिज प्रभार 20 पैसे से 1.10 रुठ तक के बीच में दूरी पर आधारित थे। अंतरसंयोजन प्रभार (स्थापना लागतों के लिए देय आवर्ती राशियां अर्थात पोर्ट प्रभार और लीज्ड लाइन प्रभार) "दूरसंचार अंतरसंयोजन (प्रभार और राजस्व साझेदारी) विनियम, 2001 (2001 का 5) द्वारा विनियमित किए जाते रहे।
- 3.3 उपर्युक्त विनियम के क्रियान्वयन के पश्चात् ट्राई के पास अनेक संप्रेषण प्राप्त हुए जिनमें टैरिफ प्रणाली तथा आईयूसी प्रणाली, दोनों के ही विषय में समस्याओं को इंगित किया गया था। आईयूसी प्रणाली में सुधार करने तथा उसे सरल और कारगर बनाने के लिए प्राधिकरण ने एक और परामर्श—प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया तथा "आईयूसी मुद्दों " पर एक परामर्श—पत्र 15 मई, 2003 को जारी किया गया। परामर्श प्रक्रिया को पूरा किए जाने के पश्चात् दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) द्वारा एक संशोधित आईयूसी प्रणाली अधिसूचित की गई जिससे पूर्व के विनियमों का अधिक्रमण किया गया था जो 1 फरवरी, 2004 से प्रभावी हुई। इसका उद्योग द्वारा पर्याप्त स्वागत किया गया तथा यह उद्योग के विकास एवं टैरिफ में कमी में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। वर्तमान में दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 का आईयूसी विनियम ही प्रधान विनियम है।
- 3.4 प्राधिकरण ने दिनांक 17 मार्च, 2005 के अपने परामर्श-पत्र के आधार पर आईयूसी प्रणाली की एक और पुनरीक्षा की। इस परामर्श-पत्र में, विशेष रूप से, अनेक मुद्दों को शामिल किया गया था, जिनमें अन्य बातों के अलावा अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (कैरिज और समापन), राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए संभावित भिन्न समापन प्रभार आदि शामिल थे। प्राधिकरण ने, सार्वजिनक परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन करने तथा उद्योग के साथ चर्चा करने के उपरांत 23 फरवरी, 2006 को संशोधित आईयूसी प्रणाली अधिसूचित की जोकि 1 मार्च, 2006 से क्रियान्वित की गई। इस विनियम में, प्राधिकरण ने कैरिज प्रभारों पर सीलिंग लगाने का निर्णय लिया जबिक अन्य आईयूसी अवयवों को उन कारणों से समान बनाए रखने का निर्णय लिया जो विनियम के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गए हैं।
- 3.5 23 फरवरी, 2006 की अपनी समीक्षा में, प्राधिकरण ने नोट किया कि परियात की बढ़ी हुई मात्रा के कारण समापन प्रभार, विशेषतः मोबाइल सेवाओं के लिए, विनिर्दिष्ट

प्रभारों से कम होने चाहिए । प्राधिकरण ने यह आकलन भी किया तथा पाया कि मोबाइल समापन प्रभार तथा फिक्स समापन प्रभार 0.30 रु० प्रति मिनट के वर्तमान निर्दिष्ट स्तर की तुलना में कम हो सकते हैं । इसके बावजूद, प्राधिकरण ने फिक्स्ड तथा मोबाइल समापन प्रभारों को मुख्य रूप से फरवरी, 2006 के आईयूसी विनियम के पैरा 58 और 59 में दिए गए कारणों से वही बनाए रखने का निर्णय लिया ।

3.6 इस परिवर्तन ने प्रचालकों को लंबी दूरी के टैरिफों को कम करने का मजबूत आधार प्रदान किया तथा इससे लंबी दूरी के नेटवर्कों को अधिकाधिक प्रयोग का मार्ग भी प्रशस्त हुआ । 23 फरवरी, 2006 के विनियम के अधीन अधिसूचित प्रणाली के पष्चात बीएसएनएल द्वारा वन इंडिया स्कीम की घोषणा की गई। इसके पश्चात, एमटीएनएल द्वारा फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबरों के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच की एसटीडी कॉलों के लिए स्थानीय कॉलों की दर की पेशकश की गई। कुछ निजी सेवा प्रदाताओं ने भी ऐसे ही टैरिफ प्लानों की घोषणा की।

3.7 आईयूसी के घटक विद्यमान अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) प्रणाली कॉलों के प्रारंभन, संप्रेषण तथा समापन के लिए दूसरे सेवा प्रदाता के नेटवर्क अवयवों को प्रयोग करने के लिए एक सेवा प्रदाता द्वारा एक या अधिक सेवा प्रदाताओं को अदा किए जाने वाले प्रभारों का निपटान करती है। एक कॉल के तीन भाग होते हैं —प्रारंभन, कैरिज / संप्रेषण और समापन जोकि तद्नुरूपी प्रभारों में वृद्धि करते हैं।

3.7.1 प्रारंभन प्रभार

प्रारंभन सेवा प्रदाता को कैरिज / संप्रेषण तथा समापन के लिए प्रभारों का भुगतान करने के पश्चात अवशिष्ट राशि के रूप में प्रारंभन प्रभार रखने की अनुमति है। विद्यमान विनियमों के अनुसार प्रारंभन प्रभार प्रविरत है।

3.7.2 समापन प्रभार

समापन सेवा प्रदाता, जिसके नेटवर्क का प्रयोग किसी दूरसंचार संदेष की समाप्ति के लिए किया जाता है, को उसके नेटवर्क के प्रयोग करने के लिए भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है। साधारण शब्दों में, वह सेवा प्रदाता, जिसके नेटवर्क से कॉल प्रारंभ होती है, उस रोवा प्रदाता को समापन प्रभारों का भुगतान करता है, जिसमें नेटवर्क में कॉल समाप्त हुई है।

विद्यमान विनियमों के अनुसार, सभी प्रकार की कॉलों अर्थात स्थानीय, राष्ट्रीय लंबी दूरी तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए 0.30 रु0 प्रति मिनट की दर से समान समापन प्रभार निर्दिष्ट किए गए हैं ।

- 3.7.3 भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए कैरिज प्रभार
- ा फरवरी, 2004 से 28 फरवरी, 2006 तक प्रचलित कैरिज प्रभार

29 अक्तूबर, 2003 में, आईयूसी की कवायद के अनुसार लंबी दूरी के कैरिज के लिए लागत आधारित प्रभारों का आकलन 0 से 50 किमी, 50+ से 200 किमी., 200+से 500 किमी. तथा 500 किमी से अधिक के दूरी स्लैबों के लिए क्रमशः 0.21 रुठ, 0.65 रुठ, 0.85 रुठ तथा 0.94 रुठ प्रति मिनट किया गया था । इन लागतों का आकलन बीएसएनएल के आंकड़ों के आधार पर किया गया, जोकि एक एकीकृत प्रचालक है। इस बात पर विचार करते हुए कि स्टैंड एलोन प्रचालकों के लिए प्रासंगिक लागतें अधिक होंगी, आईयूसी विनियम में कैरिज प्रभारों को अंतिम दो दूरी की श्रेणियों के लिए कुछ उच्च स्तरों पर निर्दिष्ट किया गयाः वे दूसरी उच्चतम दूरी श्रेणी के लिए लगभग 10 प्रतिशत अधिक हैं तथा उच्चतम दूरी श्रेणी के लिए लगभग 20 प्रतिशत अधिक हैं। भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए कैरिज प्रभार, जैसािक 29 अक्तूबर के आईयूसी विनियम में निर्धारित किया गया है, उक्त संदर्भित स्लैबों के लिए 0.21रुठ, 0.65 रुठ, 0.90 रुठ तथा 1.10 रुठ प्रति मिनट हैं । उक्त निर्दिष्ट कैरिज प्रभारों पर, सेवा प्रदाताओं को 50 किमी से अधिक दूरी पर लंबी दूरी की कॉलों के कैरिज प्रभारों पर, सेवा प्रदाताओं को 50 किमी से अधिक दूरी पर लंबी दूरी की कॉलों के कैरिज प्रभारों के +1/-10 प्रतिशत के भीतर स्पॉट वैल्यू पर मोलभाव करने की अनुमित दी गई।

1 मार्च, 2006 से अभी तक के कैरिज प्रभार

प्राधिकरण ने अपने 23 फरवरी, 2006 के विनियम में कैरिज प्रभारों की समीक्षा की । पणधारकों की पुरजोर राय यह थी कि प्राधिकरण को कैरिज प्रभारों को निर्धारित करना जारी रखना चाहिए तथा इसे कम—से—कम एक सीलिंग प्रकार के रूप में विनियमित करना चाहिए। पणधारकों द्वारा दी गई विभिन्न टिप्पणियों तथा इसके स्वयं के विष्लेशण के आधार पर प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में शुरु की गई स्लैब आधारित विनिर्दिष्ट कैरिज प्रभारों की प्रणाली से हटकर ऐसी सीलिंग आधारित प्रणाली अपनाई जिसमें सीलिंग को 0.65 रु० प्रति मिनट के रूप में निर्दिष्ट किया गया था।

यह नोट किया जाए कि दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियमों में कैरिज प्रभारों का आकलन केवल बीएसएनएल के लागत आंकड़ों के आधार पर किया गया था तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टैंड लोन प्रचालकों में लिए प्रासंगिक लागतें अधिक होंगी, आईयूसी विनियम में कैरिज प्रभारों को अंतिम दो दूरी की श्रेणियों के लिए कुछ उच्च राशियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया था । 23 फरवरी, 2006 के विनियम में सीलिंग विनिर्धारित करते हुए प्राधिकरण ने उस समय, प्रचलित एनएलडीओ के कैरिज की भारित औसत लागत पर 25 प्रतिशत का मार्क—अप प्रदान किया था ।

3.7.4 अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी कॉलों के लिए कैरिज प्रभार

अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कैरिज प्रभार तथा विदेशी छोर पर समापन का निपटान आईएलडीओ तथा विदेशी कैरियरों के बीच किया गया। 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियम की अनुसूची II के खंड (ग) के अनुसार ये प्रभार प्रविरत हैं।

3.7.5 अंतरा-एसडीसीए ट्रांजिट प्रभार

प्राधिकरण ने निम्नलिखित शर्त के अध्यधीन अंतरा—एसडीसीए कॉलों के लिए ट्रांजिट प्रभारों के लिए स्थगन की नीति अपनाई है :

"एक्सेस प्रदाताओं के मध्य प्रत्यक्ष अंतरसंयोजन अनिवार्य है। अंतरा—एसडीसीए ट्रांजिट के अपवादस्वरूप मामलों के लिए, प्रचालक पारस्परिक बातचीत के माध्यम से प्रभारों पर निर्णय ले सकते हैं तथा यह 0.20 रू0 प्रति मिनट से कम होना चाहिए।"

3.7.6 स्तर II टीएएक्स पीओआई से एसडीसीए तक के लिए ट्रांजिट कैरिज प्रभार

वर्तमान विनियामक ढांचे के अनुसार, सभी प्रचालकों से बीएसएनएल की फिक्स्ड लाइनों तक अंतरासर्किल मोबाइल परियात को बीएसएनएल के फिक्स्ड नेटवर्क में स्तर II टीएएक्स पर सौंपा जा रहा है । स्तर II टीएएक्स से एसडीसीए स्तर का परियात बीएसएनएल द्वारा ले जाया जा रहा है जिसके लिए बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्रति मिनट 20 पैसे का विनियमित प्रभार उद्भूत करता है । यदि यह सौंपा जाना किसी अन्य टीएएक्स स्तर पर है, तो प्रासंगिक कैरिज प्रभार का भुगतान अवश्य किया जाएगा।

समीक्षा प्रक्रिया

- 4.1 आईयूसी प्रभारों के नियतन में अनेक कारकों को ध्यान में रखा गया है जो वर्तमान में प्रभावी हैं। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, सब्सक्राइबरों की संख्या में भारी वृद्धि तथा टैरिफ मे कमी के कारण कॉलिंग पैटर्न, कुल परियात तथा इसके प्रसार में भी बदलाव आए हैं। इसके संघटकों में अधोगामी एवं उच्चगामी संचालन सेवा प्रदान करने की लागत में परिवर्तन लाता है। इसके अलावा, नीति में परिवर्तन तथा विनियामक परिवेश में बदलाव भी इन प्रभारों में से किसी न किसी पर प्रभाव डाल सकता है। निष्क्रिय अवसंरचना साझेदारी ने सेवा प्रदाताओं की कैपेक्स / ओपेक्स संरचना में परिवर्तन किया है। नए लाइसेंस का जारी होना तथा नई कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आबंटन उनके प्रचालनों की व्यवहार्यता के संदर्श के आधार पर क्षेत्र में पूंजी का संचार कर देगा। प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप परियात को और अधिक कार्यकुशलता से निपटानों की बाध्यता का समावेश हो रहा है। अपने नेटवर्कों को कैपेक्स एवं ओपेक्स तक कम करने की होड में अधिक से अधिक सेवा प्रदाता इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) को अपना रहे हैं तथा संभवतः वे एनजीएन में अंतरित होने की तैयारियां कर रहे हैं। सरकारी इंकम्बेंट्स ने उजी सेवाएं प्रारंभ कर दी है। प्रासंगिक स्पेक्ट्रम का आबंटन तथा इसके पश्चात अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा उजी सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। अतः यह विचार करना आवश्यक हो गया है कि ये परिवर्तन आईयूसी को किसी प्रकार प्रभावित करेंगे।
- 4.2 प्राधिकरण इस बात से पूरी तरह अवगत है कि आईयूसी की पुनरीक्षा एक किंदिन प्रिक्रिया है जिसमें इसके संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के लिए पणधारकों के साथ नजदीकी संपर्क आवश्यक है। अतः प्राधिकरण ने यह उपयुक्त समझा कि सेवा प्रदाताओं के साथ दो—चरणीय परामर्श प्रक्रिया में चर्चा की जाए। यह निर्णय लिया गया कि सेवा प्रदाताओं के साथ

दो-चरणीय परामर्श प्रक्रिया में चर्चा की जाए। यह निर्णय लिया गया कि सेवा प्रदाताओं के साथ एक प्रारंभिक व्यापक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की जाए तथा उसके बाद एक खुला सार्वजनिक परामर्श किया जाए। प्रारंभिक परामर्श दिनांक 12.09.2008 के संप्रेषण 409—12 / 2008 एफएन द्वारा किया गया जिसमें बल दिया गया कि आईयूसी प्रणाली बहु-उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यह संसाधन उपयोग को प्रोत्साहित करती है, अंतर प्रचालक निपटानों को निश्चितता प्रदान करती है और अंतरसंयोजन करारों को सुकर बनाती है, विकास, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा की अपेक्षित नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता करती है । सेवा प्रदाताओं को समीक्षा के लिए मूलभूत सिद्धांतों, समीक्षा किए जाने वाले अवयवों, आकलन की पद्धति एवं प्रत्येक प्रभार के स्तर तथा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण / मॉडल / कार्यपद्धित पर टिप्पणियां करने के लिए कहा गया था। उन्हें कहा गया था कि वे लागतों, परियात तथा राजस्व पर आंकड़े प्रदान करें जिनका प्रयोग उपयुक्त परिणामों तक पहुंचने के लिए किया जाएगा तथा साथ ही विस्तार से अपने पूर्वानुमानों को भी बताएं जिनमें लागत के आकलनों को रेखांकित किया गया हो। विभिन्न सेवाओं के लिए निपटान किए गए आवक और जावक मिनटों (ऑफ-नेट और ऑन-नेट, अलग-अलग) की कुल संख्या, परियात संवेदी नेटवर्क अवयवों की पहचान तथा प्रत्येक सदृश नेटवर्क अवयव कें लिए प्रयोग के प्रासंगिक मिनटों के लिए भी अनुरोध किया गया था। सामान्य प्रतिक्रिया आईयूसी प्रणाली के सभी अवयवों की समीक्षा करने के पक्ष में थी। तथापि, कार्य-पद्धति और प्रभारों के सही स्तर पर राय में मतभेद था। अधिकांश प्रचालकों ने नेटवर्क वास्तुशिल्पीय विवरण तथा परियात आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। पूर्व-परामर्शों के दौरान प्राप्त टिप्पणियों को परामर्श-पत्र तैयार करने के लिए ध्यान में रखा गया जिसे पूर्व-परामर्श की प्रक्रिया के बाद जारी किया गया तथा विकल्पों का मुल्यांकन करते समय भी इस बात पर विचार किया गया ।

- 4.3 सीओएआई की ओर से स्पेक्ट्रम वैल्यू पार्टनर्स द्वारा एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें उन्होंने एच-एफएलएलआरआईसी मॉडल को विस्तार से प्रस्तुत किया। ऑस्पी द्वारा एक और प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें उन्होंने सीओएआई द्वारा प्रस्तावित मॉडल के बारे में आपत्ति दर्शाई तथा पहले से ही स्थापित मॉडल को जारी रखने के लिए भी कहा।
- 4.4 दिनांक 31.12.2008 को एक विस्तृत परामर्श—पत्र जारी किया गया। परामर्श पत्र में सभी अंतरसंबंधित मुद्दों का विस्तार से वर्णन किया गया था, जिसमें शामिल थे आईयूसी के किस अवयव की पुनरीक्षा की जाए, विषय समापन प्रभार के लिए औचित्य, आईयूसी अवयवों के आकलन के लिए कार्य—पद्धित, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल के लिए उच्च समापन प्रभार, 3जी, डब्ल्यूआई—मैक्स जैसे भविष्य के विकासों का ध्यान रखने के लिए सुझाव, आदि। पणधारकों को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए 30.01.2009 तक का समय दिया गया। 23 पणधारकों ने जिसमें 13 सेवा प्रदाता, 3 संघ तथा 7 उपभोक्ता समूह और जनता के सदस्य थे, अपनी लिखित टिप्पणियाँ भेजी जिन्हें ट्राई की वेबसाइट पर डाला गया। 12.02.2009 को दिल्ली में ओपन हाउस चर्चा की गई।
- 4.5 दिल्ली में ओपन हाउस चर्चा के पश्चात, विद्यमान तथा नए प्रचालकों के सीईओ एवं विरष्ठ कार्यपालकों को यह अवसर प्रदान किया गया कि वे महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी अन्य मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करें। इन कंपनियों द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरणों को

वेबसाइट पर डाला गया है। व्यक्त किए गए विचारों को आईयूसी की पुनरीक्षा में ध्यान में रखा गया है।

- 4.6 दूरसंचार क्षेत्र के विषय के महत्व, परामर्श—पत्र द्वारा सृजित रुचि तथा इस अविध के दौरान पणधारकों द्वारा भेजे गए विभिन्न संप्रेषणों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने हैदराबाद में 26.02.2009 को ओपन हाउस चर्चा के द्वितीय चरण को आयोजित करने का निर्णय लिया। पणधारकों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों का स्पष्टीकरण देने के लिए उन्हें एक प्रस्तुतिकरण दिखाया गया। उन्हें अपनी टिप्पणियां करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इस प्रस्तुतिकरण की एक प्रति ट्राई की वेबसाइट पर भी डाली गई।
- 4.7 प्राधिकरण ने लिखित प्रारंभिक परामर्शों, परामर्शों अथवा अन्यथा, द्वारा उपलब्ध कराए गए अथवा ओपन हाउस चर्चाओं और प्रस्तुतिकरणों में अधिगम पणधारकों की विभिन्न टिप्पणियों को ध्यान में रखा है । प्राधिकरण ने तुलन—पत्र, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखांकन पृथकीकरण रिपोर्ट आदि जैसे आउटपुटों का भी प्रयोग किया है, जिन तक इसकी पहुंच थी तथा मामले का विस्तारपूर्वक विश्लेशण किया है। निम्नलिखित पैराओं में परामर्श पत्र में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे की पणधारकों की टिप्पणियों के आलोक में समीक्षा की गई है। स्पष्टता की दृष्टि से पणधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को तिरछी टाइप में दिया गया है तथा उसके पश्चात उस मुद्दे पर प्राधिकरण का विचार दिया गया है।
- 4.8 कुछ सेवा प्रदाताओं तथा संघों ने सुझाव दिया है कि प्राधिकरण इस मुद्दे पर विचार—विमर्श करने तथा इस पर निर्णय लेने के लिए संयुक्त उद्योग कार्यकारी समूह अथवा एक विषय—निर्वाचन समिति गठित करने पर विचार करे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह और भी महत्वपूर्ण है कि आईयूसी की समीक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया जाए क्योंकि महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मुद्दों पर विचार किया जाना है। आईयूसी का मुद्दा हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है और इसका प्राधिकरण द्वारा अत्यंत गंभीरता के साथ लिया गया है। न केवल पणधारकों के साथ परामर्श की स्थापित पद्धित को क्रियान्वित किया गया है बिल्क परामर्श प्रक्रिया भी विविधतापूर्ण तथा व्यापक रही है। पूर्व—परामर्श, परामर्श तथा ओपन हाउस स्तरों पर सेवा प्रदाताओं तथा संघों के साथ निरंतर विचार—विमर्श किया गया। इसके अलावा, संघों तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण किए गए और ट्राई में उच्चतम स्तर पर विचार—विमर्श किया गया। अतः प्राधिकरण की यह राय है कि किसी कार्यकारी समूह को स्थापित करने से उलझन ही पैदा होगी और उद्योग में अनिश्चितता पैदा होगी।
- 4.9 तथ्य यह है कि सेवा प्रदाताओं ने अपने स्वयं के वाणिज्यिक हितों के लिए समापन प्रभारों की व्यापक श्रृंखला का प्रस्ताव किया है जोकि नकारात्मक एमटीसी, बिल एवं कीप, कम एमटीसी और अत्यंत उच्च एमटीपी तक हैं, तथा यह आवश्यक नहीं है कि ये विकास को बढ़ावा देने, समान अवसर सृजित करने तथा उपभोक्ता कल्याण से सुसंगत हो सकते हैं। प्रस्तावित पद्धतियां संभव पद्धतियों के समग्र स्पेक्ट्रम को भी कवर करती है, जैसािक पूर्व के खंडों में वर्णित किया गया है।

5. परामर्श-पत्र, ओपन हाउस तथा अन्य बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर पणधारकों की प्रमुख टिप्पणियों पर विचार

5.1 प्राधिकरण को कई पणधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुई । पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट पर डाला गया तथा 12 फरवरी, 2009 को नई दिल्ली में ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई । जैसािक पूर्व में कहा गया है । कुछ सेवा प्रदाताओं तथा संघों ने इस विषय पर प्राधिकरण को प्रस्तुतिकरण भी प्रदान किए । सेवा प्रदाताओं के साथ ओपन हाउस का दूसरा चरण हैदराबाद में 26 फरवरी, 2009 को आयोजित किया गया जहां पणधारकों के साथ दिल्ली में हुए पूर्व परामर्श से उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा की गई जैसे एमटीसी के आकलन के लिए कार्य-पद्धित, संगत ओपेक्स पर पहुचने के लिए ओपेक्स में कुछ मदों की कटौती, लेखांकन पृथक्कीकरण, डाटा की गोपनीयता, मूल्यवर्धित सेवाओं से मृजित राजस्व का निपटान, एसएमएस समापन प्रभार तथा अंतर्राष्ट्रीय आवक कॉलों का समापन । प्राधिकरण ने सभी टिप्पणियों को देखा । उनमें से कुछ पर ओपन हाउस चर्चा में भी चर्चा की गई टिप्पणियों, प्राधिकरण के साथ बैठकों के दौरान किए गए प्रस्तुतिकरण और वीआईपी पत्रों में उठाए गए मुद्दों पर भी विचार किया । परामर्श-पत्र में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों पर पणधारकों से प्राप्त कुछ मुख्य टिप्पणियों का सार संबंधित मुद्दे के तहत दिया गया है और उसके बाद वाले पैराओं में उन पर चर्चा की गई है ।

5.2 मुद्दा 1 : पुनरीक्षा किए जाने वाले आईयूसी अवयव

5.2.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे सार रूप में दिया गया है तथा उनके बाद आने वाले पैराओं में उन पर चर्चा की गई है ।

- (i) किसी संख्या पर पहुंचने के लिए उन सभी अवयवों की लागत संदर्श की दृष्टि से पुनरीक्षा की जानी चाहिए जो उपभोक्ताओं को एंड टैरिफ बनाने के लिए योगदान देते हैं।
- (ii) समापन प्रभार, कैरिज प्रभार तथा ट्रांजिट प्रभारों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।
- (iii) केवल समापन प्रभारों तथा कैरिज प्रभारों की ही वास्तविक लागत आधार पर पुनरीक्षा की जाने की आवश्यकता है । ट्रांजिट प्रभार की पुनरीक्षा किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक अनिवार्य सेवा नहीं है तथा इसे बातचीत के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए ।
- (iv) एलडीसीए से एसडीसीए के बीच प्रारंभन प्रभार/कैरिज प्रभार/टीएएक्स ट्रांजिट प्रभार/ट्रांजिट/कैरिज प्रभार तथा समापन प्रभार की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।
- (v) प्रारंभन प्रभारों के संबंध में किसी विनियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं
- (vi) अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों के सभी अवयवों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।
- (vii) अंतरसंयोजान प्रणाली की पुनरीक्षा औचित्यपूर्ण होनी चाहिए ।
- (viii) प्रारंभन प्रभार स्थगन श्रेणी में बना रहना जारी रखा जाना चाहिए ।

- (ix) कॉलिंग कार्ड जैसी सेवाओं के संबंध में प्रारंभन प्रभार अंतरसंयोजनों को समर्थ बनाने के लिए अधिदेशित किए जाने चाहिए ।
- (x) आईएलडी / एनएलडी कॉलिंग कार्डों, एलडीसीए तथा एसडीसीए के बीच कैरिज प्रभार, अंतरसंयोजन की लागत तथा अंतरप्रचालन ट्रांजिटिंग के विशेष संदर्भ में समापन प्रभार / ट्रांजिट प्रभार आरंभन प्रभार की समीक्षा की जानी चाहिए ।
- (xi) प्रारंभन, समापन, पोर्ट प्रभारों तथा अन्य प्रभारों आदि की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है । कैरिज प्रभार सीलिंग की भी पुनरीक्षा की जानी चाहिए । तथापि, विद्यमान सीलिंग को बनाए रखा जाना चाहिए ।
- (xii) लागत के आधार पर समापन और प्रारंभन प्रभार को अधिदेशित किए जाने की आवश्यकता है ।
- (xiii) समापन, कैरिज, ट्रांजिट तथा पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।
- (xiv) एमटीपी, एफटीसी, आवक आईएलडी समापन प्रभारों, कैरिज प्रभारों की पूनरीक्षा की जानी चाहिए ।
- 5.2.2 पूर्व-परामर्शों तथा परामर्शों के दौरान, दिनांक 29 अक्तूबर, 2003 के प्रधान विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी अवयवों की पुनरीक्षा करने के बारे में पुरजोर समर्थन था ।
- 5.2.3 कुछ पणधारकों ने आईयूसी पुनरीक्षा के भाग के रूप में पोर्ट प्रभारों की पुनरीक्षा के लिए कहा है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि पोर्ट प्रभार प्राधिकरण द्वारा 28 दिसम्बर, 2001 को जारी तथा 02 फरवरी, 2007 को संशोधित 'दूरसंचार अंतरसंयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001' नामक एक अन्य विनियम के अध्यधीन हैं। पोर्ट प्रभारों के आकलन में, पोर्टों के प्रावधान हेतु केवल वर्धित केपेक्स को ध्यान में रखा गया था। हालांकि, पोर्ट प्रदान करने के लिए न केवल स्विच क्षमताओं के, बल्कि इन पोर्टों के माध्यम से नेटवर्क में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त ट्रैफिक का निपटान करने के लिए नेटवर्क के डाउनस्ट्रीम भागों के भी संवर्धन की आवश्यकता है। चूंकि पोर्ट प्रभार अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार प्रणाली का भाग कभी नहीं रहे हैं, प्राधिकरण की राय है कि पोर्ट प्रभारों को पोर्ट प्रभारों पर विनियम के अनुसार ही संचालित किया जाना जारी रखा जाना चाहिए तथा इन्हें आईयूसी के साथ विलयित नहीं किया जाना चाहिए।
- 5.2.4 कुछ सेवा प्रदाताओं ने आईयूसी प्रणाली के भाग के रूप में कॉलिंग कार्डों के माध्यम से की गई कॉलों के लिए प्रारंभन प्रभारों के अवधारण का भी प्रस्ताव किया है। सामान्य वॉयस कॉलों तथा एनएलडी एवं आईएलडी प्रचालकों द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित कॉलिंग कार्डों के माध्यम से कॉलों के बीच सैद्धांतिक अंतर है। कॉलिंग कार्डों के मामले में, सेवा प्रदाता द्वारा धनराशि कार्ड जारी करके संग्रहित की जाती है जबकि कॉलें किसी एक्सेस प्रदाता के नेटवर्क से प्रारंभ होती है जोिक इन कॉलों के लिए ग्राहकों को बिल नहीं देते हैं। एक्सेस प्रदाताओं को सेवा प्रदाताओं द्वारा कार्डों को जारी करके परस्पर सहमत दरों के माध्यम से अथवा विनियमितओं के माध्यम से प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि कॉलिंग कार्डों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं का निपटान इंटेलीजेंट नेटवर्क सेवा विनियम दिनांक 27.11.2006 द्वारा किया जा रहा है अतः यह निर्णय लिया कि प्राधिकरण मूल एक्सेस प्रदाता को अदा किए जाने वाले प्रारंभन प्रभार

के निर्धारण के लिए आईएन विनियमों के माध्यम से उपयुक्त अवस्था और समय पर हस्तक्षेप करेगी, जब लंबी दूरी की कॉलें और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा कॉलिंग कार्डों के माध्यम से एनएलडीओ और आईएलडीओ द्वारा प्रारंभ की गई हों।

5.2.5 फिक्स्ड और मोबाइल वॉयस कॉलों के प्रारंभन प्रभार की समीक्षा के संबंध में कुछ सेवा प्रदाताओं ने यह तर्क दिया कि चूंकि बाजारी शक्तियां अच्छा काम कर रही हैं और सेवा वहनीय है इसलिए किसी विनियामक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और प्रविरत की वर्तमान शर्त को जारी रखा जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रारंभन को प्रविरत रखने से मूल प्रचालक को अन्य अनिवार्य आईयूसी प्रभार अदा करने के बाद अवशिष्ट राशि को बनाए रखने में सहायता मिलती है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि प्रारंभन प्रभार को प्रविरत रखने से सेवा प्रदाताओं को नई टैरिफ प्लान की पेशकश करने की छूट मिलती है। यह बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने का महत्वपूर्ण कारक है और यह प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में ग्राहक के पक्ष में काम करता है। अतः टैरिफ प्रविरत नीति के मद्देनजर प्राधिकरण ने सामान्य वॉयस कॉल हेतु प्रारंभन प्रभार को प्रविरत रखने का निर्णय लिया।

5.2.6 कुछ सेवा प्रदाताओं ने एसएमएस पर आईयूसी प्रभारों पर चिंता व्यक्त की है। यह नोट किया गया कि इस मुद्दे का निम्न तरीके से पूर्ववर्ती विनियमों में निपटान किया गया है । 29 अक्तूबर, 2003 के आईयूसी विनियम में एसएमएस हेतु आईयूसी को प्रविरत रखा गया था और प्राधिकरण ने यह बताया था कि वह अतिरिक्त डाटा एकत्र करने के आधार पर निकट भविष्य में इस मामले की पुनः समीक्षा करेगा। तदनन्तर, 13.6.2006 को एक परामर्श-पत्र जारी किया गया। परामर्श के आधार पर 21 अगस्त, 2006 को प्राधिकरण का निर्णय जारी किया गया। प्राधिकरण के निर्णय के साथ संलग्न विष्लेषण यहां उद्धृत है :-

"....... इस समय एसएमएस के बाजार में मोबाइल प्रचालक ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं जो या तो बिना किसी अंतरसंयोजन प्रभार के बिल एंड कीप प्रणाली चला रहे हैं या उनके पास व्यतिकारी प्रभारण प्रणाली है और अपेक्षाकृत संतुलित परियात है...." इन निष्कर्षों के मद्देनजर प्राधिकरण ने इस मामले में प्रविरत को जारी रखने का निर्णय लिया ।

5.2.7 किसी भी सेवा प्रदाता नेटवर्क में वॉयस हैंडलिंग लागत की अपेक्षा एसएमएस हैंडलिंग में अंतर्ग्रस्त लागत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त, एसएमएस के लिए आईयूसी हेतु लेखांकन में जिटलताएं भी हैं। एसएमएस, एसएस७ सिग्नलिंग चैनल द्वारा भेजा जाता है और आंतरिक रूप से एसएमएस के बिल और उसके समापन के सत्यापन हेतु एक मध्यस्थ प्रणाली की जरूरत है और एसएमएस मैसेज की दर और संख्या की गिनती हेतु बिलिंग प्रणाली हेतु एसएस ७ सीडीआर के सृजन की जरूरत होती है। कई मामलों में समापन प्रचालक को उनके नेटवर्क पर आए मैसेज को एसएमएस की गिनती के रिकार्ड के साथ आपूर्ति हेतु प्रारंभिक प्रचालक पर निर्भर रहना पड़ सकता है। नेटवर्क पर आने वाले एसएमएस की बड़ी संख्या (और बढ़ती हुई) को प्रोसेस करने हेतु बिलिंग प्रणाली को आरोह्य बनाने की जरूरत है। उद्योग में यह प्रथा प्रचलित है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा एक—दूसरे से आईयूसी वसूल नहीं किया जा रहा है।

5.2.8 जीएसएम ग्राहकों द्वारा एसएमएस का अपटेक करना मोबाइल उद्योग की सफलता की कहानी है। साथ ही, इस तथ्य के मद्देनजर कि कुल मिलाकर आज प्रचलित व्यवस्था 'बिल एंड कीप' है तथा यह परस्पर सहमत व्यतिकारी व्यवस्था है, प्राधिकरण यह मानता है कि सेवा प्रदाता एक निष्पक्ष पारदर्शी और गैर—मेदभावपूर्ण तरीके से इस व्यवस्था को जारी रखेंगे। अतः प्राधिकरण ने एसएमएस पर आईयूसी के मामले में प्रविरत नीति को जारी रखने का निर्णय लिया। तथापि, बाजार पर नजर रखने के लिए रिपोर्टिंग की आवश्यकता को इसमें शामिल किया जा रहा है।

5.2.9 पूर्ववती चर्चाओं के मद्देनजर वर्तमान समीक्षा के माध्यम से निम्न कारकों का निर्धारण किया जाना है :--

(i) फिक्स्ड (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल (3-जी सहित) के लिए समापन प्रभार !

(ii) भारत के भीतर लंबी दूरी की कॉलों के लिए कैरिज प्रभार ।

- (iii) अंतरा एसडीसीए कॉलों और टीएएक्स ट्रांजिट प्रभार हेतु ट्रांजिट प्रभार ।
- (iv) लेवल-11 टीएएक्स से एसडीसीसी टेनंडम से ट्रांजिट / कैरिज प्रभार 1
- (v) अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग कॉलों के लिए समापन प्रभार ।
- (vi) एसएमएस हेतु आईयूसी ।

5.3 मुद्दा-2 - आईयूसी आकलन हेतु क्रियाविधि

5.3.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सार नीचे दिया है और निम्न् पैराओं में उन पर विचार किया गया है :-

(i) श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप और सभी संगत लागतों को हिसाब में लेते हुए आईयूसी निर्धारण हेतु हाईब्रिड एफएल-एलआरआईसी मॉडल ।

(ii) फिक्स्ड और मोबाइल के लिए भी वही सिद्धांत लागू किए जाएं ।

(iii) हाईब्रिड एफएल:एलआरआईसी — ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाए जो बॉटम अप से टॉप डाउन तक प्राप्त परिणामों का संतोषण करे

(iv) चूंकि फिक्स्ड लाइन और मोबाइल प्रौद्योगिकी समान सेवा प्रदान करते है। समतुल्य सिद्धांत और क्रियाविधि का प्रयोग करके समापन दर निर्धारित की जाए।

(v) वायरलाइन और वायरलैस नेटवर्क के लिए समापन प्रभार की गणना करने हेतु सीएपीएएक्स और ओपीएएक्स दोनों को हिसाब से लिया जाए।

(vi) ऐतिहासिक लागत के साथ टॉप डाउन लागत दृष्टिकोण अपनाया जाए।

(vii) एलआरआईसी मॉडल या उसके प्रकारों को पारदर्शी रूप से लागू करना काफी कठिन है ।

(viii) किसी एमएनओ के लिए आईयूसी राजस्व सृजन वाला मॉडल नहीं होना चाहिए ।

(ix) वे तत्व जो प्रत्यक्ष रूप से समापन प्रभार या ट्रांजिट को प्रभावित करते हैं, की सीमांत लागत पर विचार किया जाए ।

(x) सभी संगत लागत को हिसाब में लेने के बाद श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप एमटीसी के निर्धारण हेतु हाइब्रिड एफएल:एलआरआईसी मॉडल हो।

- (xi) सभी पणधारकों के निवेश और रिटर्न की सहायता हेतु उचित स्तरों पर समापन प्रभार हेतु राजस्व बंटवारा मॉडल हो ।
- (xii) वर्तमान लागत क्रियाविधि को जारी रखा जाए ।
- (xiii) बिल एंड कीप तथा नेगेटिव एमटीसी इन दो विकल्पों पर विचार किया जाए ।

(xiv) बिल एंड कीप या लागत आधारित प्रणाली हो ।

- (xv) एफएल-एफएलआरआईसी मॉडल के साथ-साथ विद्यमान एफएसी मॉडलों के अनुसार प्रभार निकाला जाए तथा इन्कमबेंट प्रचालकों और नए लाइसेंसी हेतु एफएसी के मामले में इन दोनों में से कम वाले को अपनाया जाए (लूप टेलीकॉम)
- (xvi) बिल एंड कीप प्रणाली को अपनाया जाए ।

5.3.2 आईयूसी के निर्धारण हेतु दृष्टिकोण पर चर्चा

विनियामकों के आम सिद्धांतों में आर्थिक कार्यकुशलता को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, वृद्धि करना और सेवाओं को वहनीय बनाना शामिल है । अर्थशास्त्री और विनियामक इस पर सहमत हैं कि स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनजर दृष्टिकोण अपनाया जाए और यह लागत पर आधारित हो तािक सेवा प्रदाताओं को, अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रयुक्त उनके संसाधनों हेतु मुआवजा दिया जा सके । तथािप, मूल्य को लागत से अलग करना मुश्किल है। अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार का अर्थ वे प्रभार हैं जो एक प्रचालक पर दूसरे प्रचालक द्वारा किसी कॉल को शुरू या समाप्त करने हेतु उसके नेटवर्क का उपयोग करने हेतु उस पर थोपी गई लागत की क्षतिपूर्ति हेतु लगाए जाते हैं । अंतरसंयोजन उपयोग प्रभार अदा करने वाला प्रचालक कॉल को 'प्राप्त' करना है और विवादित तथा अदत्त प्रभारों का जोखिम उठाता है।

5.3.3 कुछ विशेषज्ञ यह महसूस करते हैं कि अंतरसंयोजन के मूल्य निर्धारण के लागत आधारित स्तर का निर्धारण करने का सबसे अच्छा दृष्टिकोण यह है कि संगत सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करने की अग्रणी सोच लागत पर आधारित हो जैसे कि लंबी दूरी की वृद्धि लागत (एलआरआईसी) अथवा उसके विभिन्न प्रभार । इस प्रकार की मंशा वाले सेवा प्रदाताओं का यह तर्क है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विनियामक एलआरआईसी मॉडल को अपना रहे हैं चूंकि यह प्रचालनात्मक दक्षता और भावी बाजार विकास की योग्यता प्रदान करता है। इन दृष्टिकोणों को लागू करने की व्यवहारिक सीमाएं हैं। एलआरआईसी का पक्ष न लेने वालों का यह तर्क है कि कितपय परिस्थितियों में एलआरआईसी पर अंतरसंयोजन मूल्य निर्धारण करना एक व्यावहारिक कारोबार को चलाने हेतु एक नई स्थानीय सेवा के प्रवेशक की अनुमित नहीं देता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब सुस्थापित इंक्बेंट कॉल समापन से राजस्व द्वारा टैरिफ में कमी करता है। उनका यह तर्क है कि नए प्रवेशक की अंतरसंयोजन लागत उस खुदरा मूल्य से अधिक हो जाएगी जिसकी वह कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने और स्वयं को स्थापित करने हेतु पेशकश करेगा । उन्होंने एलआरआईसी का समर्थन करने वाले सेवा प्रदाताओं पर वे अवधारणाएं प्रयोग करने का आरोप लगाया जिससे कॉल समापन संबंधी लागत बढ़ जाती हैं।

5.3.4 एलआरआईसी तथा गैर—एलआरआईसी जैसे दृष्टिकोण अपनाने वाले कई देशों के उदाहरण सामने हैं । ये देश इन दृष्टिकोणों के प्रकारों और रूपांतरणों का उपयोग व्यावहारिक वास्तविकताओं तथा अपेक्षित नीतियों को लागू करने को प्रदर्शित करने हेतु करते हैं । सही दृष्टिकोण का चुनाव प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करता है और संबंधित विनियामकों को इनका सावधानीपूर्वक आकलन करने की जरूरत होती है । प्रायः संशोधन प्रत्येक प्रचालक को उसके अंतरसंयोजन परिणामी लागत की क्षतिपूर्ति का प्रयास करने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों हेतु किया जाता है । यह अधिकतर देश सापेक्ष होता है जिसमें स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है ।

5.3.5 परामर्श प्रक्रिया के दौरान की गई टिप्पणियों का यह अर्थ है कि पणधारक प्रयुक्त की जाने वाली क्रियाविधि संबंधी अपने प्रस्ताव पर एकजुट नहीं है। सभी टिप्पणियों पर ध्यान देने के बाद आमतौर पर निम्न तीन तरीकों का सुझाव दिया गया :--

- (i) अग्रिम सोच वाली लंबी दूरी की वृद्धि लागत (एफएलएलआरआईसी)
- (ii) बिल एंड कीप (बीएके)
- (iii) पूर्णतया आवंटित लागत (एफएसी)

5.3.6 अग्रिम सोच वाली एलआरआईसी (एफएलएलआरआईसी) एक बॉटम-अप दृष्टिकोण है जिसमें नेटवर्क और सेवा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के इष्टतम मॉडल का उपयोग करके सेवा लागत की गणना की जाती है । इस विधि में यह माना जाता है कि ऐसी मॉडलिंग में शामिल टीम को अपने साथ के नेटवर्क आयोजना विशेषज्ञों के होने का लाभ मिलता है। दोषपूर्ण आयोजना प्रक्रिया और धारणाओं से दक्षतापूर्ण नेटवर्क का गलत डिजाइन बनेगा और फलस्वरूप गलत लागत निर्धारण और लागत आवंटन होगा। अग्रिम सोच का अर्थ है – ग्राहक की मांग के वर्तमान और भावी पूर्वानुमान पर विचार करके नेटवर्क डिजाइन बनाना। लंबी दूरी की संकल्पना का यह अर्थ है कि समय सीमा काफी अधिक है ताकि सभी लागतों को परिवर्तनशील माना जाए चाहे पूंजी निवेश लागत नेटवर्क क्षमता से संबंधित क्यों न हो। तथापि, लंबी समय सीमा पूर्वानुमानों को कम विश्वसनीय बनाती है। गलत पूर्वानुमानों वाला नेटवर्क गलत परिणाम देगा। सभी एलआरआईसी का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वृद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि आउटपुट का उपयोग लागतोन्मुखी प्रभारों को दिखाने में किया जा सके। बड़ी-वृद्धि यथा - 'एक्सेस' लागत को दर्शाने हेतु आवश्यक जानकारी नहीं देता है जबिक काफी छोटी और विस्तृत स्तर पर वृद्धि को परिभाषित करने की व्यावहारिक और क्रियाविधिपरक सीमाएं हैं इस विधि का लाभ राजसहायता मुक्त मूल्य है चूंकि प्रत्येक ग्राहक अपनी सेवा हेतु भुगतान करता है और यदि पूर्वानुमान और नेटवर्क डिजाइन सही प्रकार से बनाए जाएं तो व्यक्तिगत प्रचालकों की खामियों को छोडा जा सकता है। तथापि, ऐसे मॉडल विकसित करना मुश्किल है। इनमें ज्यादा समय लगता है और अधिक विनियामक लागत आती है। ये लेखांकन प्रक्रियाओं पर आधारित नहीं है और इसलिए इसकी लेखा-परीक्षा करना कठिन है ।

5.3.7 कुछ पणधारकों ने हाइब्रिड एफएलएलआरआईसी मॉडल का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है। 'हाइब्रिड' पहलू में टॉप—डाउन और बॉटम—अप, दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों की गणना शामिल है। फिर इसके परिणामों का मिलान होता है। उसमें

नेटवर्क डिजाइन और विभिन्न संकल्पनाओं पर आधारित होने का परिणाम गलत हो सकता है, इसकी संभावना का भी ध्यान रखा जाता है। इन पणधारकों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे केवल बॉटम-अप विश्लेषण के थे और अनुरोध करने पर भी टॉप-डाउन परिणाम उपलब्ध नहीं कराए गए। काल्पनिक दक्ष प्रचालक और नए प्रवेशक के लिए मॉडलिंग की गई। इसका परिणाम बिल्कल भिन्न था। नए प्रचालकों के लिए 'स्क्रोथनोड' एप्रोच का उपयोग करना उपयुक्त नहीं होगा। परिकलन में सीएपीईएक्स और ओपीईएक्स, दोनों को शामिल किया जाएँगा जिससे एक प्रचालक की समस्त लागत अंतरसंयोजन वाले प्रचालक को अंतरित हो जाएगी, से नए सेवा प्रदाता को अधिक इनपुट लागत से नकसान होगा और वंह नई टैरिफ प्लान की पेशकश नहीं कर सकेगा। यह बात इससे स्पष्ट होती है कि यह विधि कई संकल्पनाओं पर आधारित है जिन पर सेवा प्रदाता प्रतिस्पर्धा करेंगे जैसाकि इस मामले में हुआ है। हाइब्रिड एफएलएलआरआईसी मॉडल में एक काल्पनिक नए प्रवेशक की उन सारी लागत को लिया जाता है जिससे समापन प्रभारों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इन गणनाओं में अतिरिक्त परियात के समापन हेत वर्तमान सेवा प्रदाता द्वारा खर्च की गई वृद्धि लागत को नहीं दर्शाया जाता है जिसे वास्तव में एलआरआईसी मॉडल हेतु किया जाना था। अवसंरचना, कॉल मिक्स, बाजार हिस्सा आदि की भागीदारी के बारे में इस प्रकार से कल्पना की गई है कि इससे समापन प्रभार अधिक हो जाता है।

5.3.8 यह भी नोट किया गया है कि एलआरआईसी मॉडल या इसके किसी प्रकार को पारदर्शी रूप से लागू करना काफी कठिन है चूंकि इसके लिए एक माइक्रो डाटा / सूचना चाहिए जो विभिन्न सेवा प्रदाताओं से प्राप्त करना व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। सेवा प्रदाताओं संबंधी यह सूचना भी भिन्न-भिन्न होगी और इसके परिणाम भी काफी भिन्न आएंगे । ये मॉडल काल्पनिक अवधारणाओं पर आधारित हैं और प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने से पहले जिस पर सभी पणधारकों में सहमित होना आवश्यक है । अनुमान में थोड़ी-सी भिन्नता से भी एक विशेष प्रकार के सेवा प्रदाता के बारे में काफी भिन्नता आ जाएगी । इस स्वनिष्ठता और पारदर्शिता की कमी से सारी प्रक्रिया को विवादित बनाने तथा उसे क्षति पहुंचाने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार यह सब्सक्राइबरों को अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों के समायोजन का लाभ उठाने से विचित कर देगा । संघों तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न मॉडलों से यह स्वनिष्ठता काफी स्पष्ट है और इससे कुछ अवधारणा, नेटवर्क वास्तुकला और पूर्वानुमान में परिवर्तन करने से ही समापन प्रभारों में काफी अधिक भिन्न प्रकट होती है ।

5.3.9 पणधारकों के एक अन्य समूह ने भी इस धारणा के साथ इसी मॉडलिंग तकनीक के आधार पर गणना की जो उन पर अधिक लागू हो और परिणाम में पहले के मामले से भारी कमी आई । इन पणधारकों ने एफएलएलआरआईसी के पक्षकारों द्वारा की गई महत्वपूर्ण संकल्पनाओं पर बहस की । नई सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों ने यह दर्शाया कि उनके लिए उपयुक्त अवधारणाओं से कम समापन प्रभार प्राप्त हुए । एक परामर्शदाता ने विभिन्न अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए हाइब्रिड एलआरआईसी मॉडल के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी जो पहले समूह द्वारा प्रस्तुत मॉडल की तुलना में कम समापन प्रभार वाली थी । कुछ देशों द्वारा अपनाई गई एलआरआईसी मॉडल का मूल विचार अप्रभावी लागत और अंतरसंयोजन प्रचालक को अंतरित की जा रही अप्रासंगिक लागत को बचाना

है । इस लक्ष्य में यह देखना है कि उपमोक्ता को दूरसंचार उद्योग में हुई वृद्धि का लाम मिले और उसे किसी भी प्रचालक द्वारा खर्च की गई किसी ऐतिहासिक लागत या अपनावी लागत की अदायगी न करनी पड़े । किसी प्रचालक की समस्त लागत को अपने अंतरसंगोजन सेवा प्रदाता को अंतरित करने से अप्रभावी प्रबंध की स्थिति पैदा होगी क्यों के अंतरसंगोजन सेवा प्रदाता नई टैरिफ प्लान की पेशकश नहीं कर पाएंगे चूंकि समावन प्रभार के रूप में उनकी इनपुट लागत अधिक होगी । इससे वर्तमान प्रचालक की दुलना में नए प्रवेशक हेतु अधिक लागत को हिसाब में लिया जाएगा जिसके लिए नए अवेधक और वर्ततान सेवा प्रदाताओं के बीच असमित समापन प्रभार का निर्धारण अविव अपेक्षित होगा जिसका प्राधिकरण समर्थन नहीं करता है ज़ैसाकि संगत पैरा में अविव गया है। अतः एक ऐसे मॉडल का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है जो जटिल, स्विव हो और मोबाइल समापन प्रभार की गणना हतु अधिक लाभप्रद प्रतीत न हो। वृत्यश और, टॉप—डाउन मॉडल जिसमें वार्षिक प्रतिवेदन, सेवा प्रदाताओं की पृथक्करण रिपार्ट आदि से सामान्य तौर पर समायोजन के आधार पर डाटा लिया गया हो, कम गवाने छोगा, जांच योग्य होगा और इससे समापन प्रभार को अनुमान लगाने में अधिक अंतर नहीं आएगा।

5.3.10 इन दावों और प्रतिदावों से यह स्पष्ट है कि इस क्रियाविधि के बारे में एकमत होता मुश्किल है । हरेक परिस्थिति के लिए बेहतर या ठीक समाधान नहीं होता है ।

5.3.11 बिल एंड कीप विधि का भी सुझाव दिया गया था । इस विधि में सेवा प्रदाताओं को एक-दूसरे को समापन प्रभार अदा नहीं करना होता है । इसका लाभ यह है कि हिल प्रदाता अपने नेटवर्क की लागत को अंतरसंयोजन सेवा प्रदाताओं को अंतरित नहीं करना है और यह कम विनियामक लागत वाला भी है । यदि परियात असंतुलित है या नेट को तेनाती के विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदाता है तो यह विधि काम नहीं करेगी । इस में सेवा प्रदाताओं की उचित क्षतिपूर्ति नहीं होती है और प्रभावी नेटवर्क के विकास में ब्रोहसाहन नहीं मिलता है।

5.3.12 बिल एंड कीप विधि के समर्थक यह दावा करते हैं कि इस प्रणाली के अधीन जीरो एमटीसी सर्वाधिक उपभोक्ता तथा प्रतिस्पर्धा हितैषी हैं। उनके अनुसार जीरो एमटीसी प्रणाली डाटा की अस्पष्टता से उत्पन्न सभी विवादों को दूर करेगी, स्वनिष्ठा के जोखिम को कम करेगी तथा भावी आईयूसी प्रणाली साबित होगी। इन सेवा प्रदाताओं ने यह भी कहा कि समापन प्रभार की अदायगी से सेवा प्रदाताओं के पास धनराशि अनावष्यक रूप से ब्लॉक हो जाती है जिसका उपयोग नेटवर्क के विस्तार में किया जा सकता है। इनका यह भी तर्क था कि यह उच्च एमटीसी ऑफ नेट और ऑन नेट टैरिफ के वीच के भारी अंतर होने और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा करने हेतु उत्तरदायी है।

5.3.13 सेवा प्रदाताओं के बिल एंड कीप प्रस्ताव का विश्लेषण किया गया और यह नोट किया गया कि इसका अर्थ वर्तभान आईयूसी प्रणाली शुरू होने से पहले विद्यमान स्थिति में पहुंचना है अर्थात् इनकमिंग कॉल प्राप्त करने वाली पार्टी को इसके लिए भुगतान करना होगा। विहित आईयूसी प्रणाली के मूल सिद्धांतों में से एक सिद्धांत काम करने का

सिद्धांत है। यह भी नोट किया गया कि आईयूसी प्रणाली से पहले टैरिफ काफी अधिक था। सेवा प्रदाता कॉलें प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के सब्सक्राइबरों को प्रभारित करना अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए नियत प्रभारों में वृद्धि करना पुनःशुरू कर देंगे। चूंकि सेवा प्रदाताओं को अन्य सेवा प्रदाता के नेटवर्कों में कॉलों के समापन के लिए भुगतान करना होगा, वे फ्री कॉलों वाले प्लानों की पेशकश करेंगे जो दूसरे सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क को बोझिल बना सकती हैं। बिल एंड कीप प्रणाली भी कॉल समाप्ति दर को कम करेगी क्योंकि समापन नेटवर्क को कॉल. को पूरा करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। जैसािक सेवा प्रदाताओं द्वारा एसएमएस आदि के मामले में प्रदान किए गए टैरिफ से स्पष्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि बिल एंड कीप स्कीम टैरिफों को कम करेगी।

5.3.14 सेवा प्रदाताओं द्वारा बताया गया तीसरा सुझाव पूर्णतया आवंटित लागत (एफएसी) का प्रयोग करना था जो उस लागत को विभाजित करता है, जो फर्म इसके द्वारा बेची गई सेवाओं को उपगत करती है। इस पद्धित में सरलता का लाभ है। यह सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके तुलन—पत्र, लाभ एवं हानि खातों तथा लेखांकन पृथकीकरण रिपोर्टों में प्रस्तुत किए गए लेखांकन आंकड़ों का प्रयोग करता है। इन परिणामों की आसानी से लेखापरीक्षा की जा सकती है। यदि मॉडलिंग को समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तो प्रचालकों की अपर्याप्तता का समावेश हो सकता है। विश्लेषण में अग्रदर्शी अवयव लाने के लिए ऐतिहासिक अथवा लागू लागतों पर प्रक्षेपणों का प्रयोग करना संभव है।

5.3.15 विनियामकों को अनेक कारणों से अंतरसंयोजन विनियम के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाने के बारे में औचित्यपूर्ण बनने की आवश्यकता है। किसी विस्तृत अंग्रदर्शी लागत प्रणाली की प्रत्यक्ष विनियामक लागतें उल्लेखनीय हो सकती है: प्रदाता अपने दुष्टिकोणों को रखने के लिए इंजीनियर, अर्थशास्त्री तथा अधिवक्ताओं को रख सकते हैं; विनियामक को लागत के बारे में प्रतिस्पर्धी दावों का आकलन करने के लिए पर्याप्त संसाधन रखना चाहिए। चुंकि प्रणालियों में जटिलता बढ़ती है, प्रचालकों तथा संभावित प्रवेशकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को वास्तविक नई सेवाओं की पेशकश करने के स्थान पर माध्यस्थम अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना अधिक है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि विस्तृत लागत अनुमान दृष्टिकोण सटीक होंगे। ऐसी कोई पद्धति नहीं है जो सभी स्थितियों में प्रधानता का दावा कर सके। अतः यह आवश्यक है कि विनियामक को देश में विद्यमान स्थिति पर आधारित लागत कार्य-पद्धति तथा दिष्टिकोण का निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई ऐसा दृष्टिकोण सुस्थापित हो और वह अच्छा कार्य करे तो अगली समीक्षा में इसे बदलने हेत् और अधिक प्रेरणा मिलेगी । यदि संदर्श मानकों और अनुमानित दक्षता पैरामीटरों पर आधारित कार्यविधि में कोई बड़ा फेरबदल किया जाता है तो सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस भी नेटवर्क की स्थिरता को तर्कसंगत ठहराएंगे ।

5.3.16 भारत में ट्राई ने ऐसी आईयूसी प्रणाली निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण समझा जो अंतर प्रचालक निपटानों को निश्चिंतता प्रदान कर सके और अंतरसंयोजन करारों को सुकर बना सकें। प्रासंगिक अधिसूचनाओं में ट्राई ने ऐसे नीतिगत ढांचे पर बल दिया है जो

निम्न घरेलू मल्यों को प्रोत्साहित करे तथा एक मजबूत सब्सक्राइबर वृद्धि को बढावा दे। इन दोनों उद्देश्यों के संबंध में प्राधिकरण के अपेक्षाएं पश्चातवर्ती अविध में वैध हुई हैं। भारत वर्तमान में, विश्व में सबसे सस्ते मोबाइल कॉल प्रभारों वाले देशों में से है। इसी प्रकार, भारत में मोबाइल सब्सक्राइबर आधार की मासिक वृद्धि उच्चतम है, तथा मूल्यों में गिरावट ने ऐसी वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

5.3.17 ट्राई द्वारा जनवरी 2003 के आईयूसी विनियम तथा वर्तमान में प्रचलित अक्तूबर 2003 के विनियमों में प्रयुक्त कार्य-पद्धति का वर्णन इन विनियमों में विस्तार से किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु यहां दिए गए है। ।

5.3.18 जनवरी 2003 में प्रथम विनियम को तैयार करने के दौरान, प्रॉक्सी मॉडल पर आधारित बॉटम-अप पद्धति का प्रयोग करते हुए आकलन का प्रयास किया गया था। इसके पश्चात, बीएसएनएल की लागतें उपलब्ध हुई परंतु जब इनकी तुलना बीएसएनएल द्वारा उपगत व्यय से की गई, तो इन्हें उच्च पाया गया और इन्हें विचार - विमर्श के बाद भी संकलित नहीं किया गया। तुलन - पत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट ने आंकड़ों का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया तथा टॉप-डाउन दृष्टिकोण को अपनाने का निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षित बीएसएनएल आंकड़ों से लिए गए कैपेक्स, ओपेक्स, मूल्यहास का प्रयोग विभिन्न प्रभारों का अवधारण करने के लिए किया गया। समग्र कैंपेक्स तथा ओपेक्स को नेटवर्क के विभिन्न भागों में अनुपात में आवंटित किया गया जैसाकि बीएसएनएल द्वारा संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव अनुसूचियों में लागत डाटा के लिए किया गया था। विभिन्न नेटवर्क अवयवों से संबंधित प्रयोग के मिनटों पर डाटा को लिया गया था, जैसाकि बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बुनियादी सेवाओं के किराए के घटक को एडीसीसी टैंडम तथा लाइसेंस शुल्क के औसत राजरव भाग और स्पेक्ट्रम प्रभार तक नेटवर्क खंड के लिए कैपेक्स के आधार पर आकलित किया गया था। स्थानीय कॉल प्रभारों का आकलन औसत एमओयू के आधार पर वितरित समान खंड के ओपेक्स आधार पर किया गया था। ट्रांजिट के लिए आईयूसी किसी कॉल के कैरिज के लिए प्रयुक्त खंड के कैपेक्स और ओपेक्स के योग पर आधारित था। समापन प्रभार अग्रदर्शी थे चूंकि वे एक वर्ष के लिए अनुमानित वृद्धि दर पर आधारित थे। मोबाइल समापन प्रभारों के लिए, लागतें 25 सर्किलों / मेट्रो सेल्युलर प्रचालकों के ओपेक्स डाटा पर आधारित थी, जिन्हें लेखापरीक्षित वार्षिक खाते से लिया गया था। अपात्र घटकों जैसे बटटे खाते, पेजिंग डिवीजन का बंद होना, नियत परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटा / लाभ को बाहर कर दिया गया था। राजरवों पर आधारित लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रभार को अलग से जोड़ा गया था। प्रति लाइन ओपेक्स का आकलन अनुमानित एमओयू प्रति सब्सक्राइबर प्रतिमाह के आधार पर किया गया था। विपणन और विज्ञापन लागतों का केवल 50 प्रतिशत ही कॉल मिनटों के लिए लिया गया था जबकि शेष को राजस्व के अन्य स्रोतों जैसे वीएएस, किराए और लंबी दुरी की कॉलों से हिस्से के लिए आवंटित कर दिया गया था।

5.3.19 अक्तूबर 2003 के विनियम में समान टॉप—डाउन मॉडल का प्रयोग किया गया था। कैपेक्स और ओपेक्स एसडीसीसी तक बीएसएनएल — अवयवों की लागतों पर आधरित थे। एमओयू को रूटिंग कारकों के आधार पर आकलित किया गया था। फिक्सड समापन प्रभारों (एफटीसी) के लिए बीएसएनएल के लेखापरीक्षित लेखाओं से ऐतिहासिक औसत लागतों को तथा मोबाइल समापन प्रभारों (एमटीसी) के लिए सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं से डाटा को लिया गया था। डाटा समुचित सामान्यीकरण और समायोजनों के साथ सेवा प्रदाताओं के वार्षिक प्रतिवेदनों, तुलन—पत्रों, पी एंड एल लेखों, आदि से लिया गया था तािक उन्हें कम विषयपरक और प्रमाणीय बनाया जा सके। एक स्थानीय कॉल की लागत स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रचालनात्मक लागतों पर आधारित थी। इसे एमओयू द्वारा विभाजित किया गया था, जो प्रत्येक नेटवर्क अवयव के लिए प्रासंगिक था। प्रचालनात्मक लागतों से, कॉल कैरिज से संबंधित न होने वाले लागत घटकों को हटा दिया गया था। विपणन व्ययों को अनुमित नहीं दी गई क्योंकि उन्हें राजस्व के अन्य स्रोतों से वसूला जा सकता था। इन राजस्वों से ओपेक्स के भाग की वसूली के लिए वीएएस राजस्वों को लेखा से पूर्णतया घटा दिया गया था। तथािप, यह कहा गया थाः

"...... जैसािक पूर्व के मामले में है, मूल्यवर्धित राजस्वों को प्रासंगिक लागत आधार से घटाया गया है, क्योंिक ये लागतों की वसूली के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हैं। यह अनुमानित लागतों की तुलना में, जिन्हें इन राजस्वों से वसूल किया गया है, मूल्यवर्धित सेवाओं से अधिक अर्जित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए एक प्रोत्साहन भी है। समय के साथ, उपस्कर के गिरते हुए मूल्यों, तथा इसकी उच्च क्षमता के कारण, लागतों में कमी के साथ, तथा इसके अलावा, सब्सक्राइबरों की तेजी से होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरूप प्राधिकरण को भविष्य में सभी कॉल समापन के लिए प्रासंगिक लागतों के लिए मूल्यवर्धित सेवाओं के केवल एक ही भाग का आवंटन करने पर विचार करना होगा।"

कैपेक्स का निपटान

5.3.20 कुछ सेवा प्रदाताओं ने तर्क दिया है कि केवल समापन प्रभार के लिए प्रासंगिक ओपेक्स का आवंटन करना तथा कैपेक्स को ध्यान में न रखना समापन प्रभार के आकलन का सही तरीका नहीं है। उन्हें यह भी तर्क दिया है कि पूंजी — गहन उद्योग के लिए समापन प्रभार के आकलन में केपेक्स को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। यहां तक कि कुछ ने इसे राजमार्गों से भी जोड़ा है, जहां पथकर में केपेक्स को ध्यान में रखा जाता है। इससे केवल यही प्रदर्शित होता है कि जो बिंदु यहां छूट रहा है, वह यह है कि दूरसंचार अवसंरचना नेटवर्क बाह्यता के कारण अन्य सभी अवसंरचनाओं से भिन्न है। जब नेटवर्क की वृद्धि होती है, नेटवर्क एक दूसरे से अंतरसंयोजित होते हैं तथा सभी सब्सक्राइबरों के लिए परिकल्पित मूल्य बढ़ जाता है। इसके साथ हमें एक अन्य तथ्य भी याद रखना होगा कि समापन प्रभार राजस्व का ऐसा एकमात्र स्रोत नहीं है जिससे समस्त केपेक्स और ओपेक्स की वसूली किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे अन्य स्रोत भी विद्यमान हैं, जैसे फिक्स्ड प्रभार, प्रारंभन प्रभार, मूल्यवर्धित सेवाओं से राजस्व आदि।

5.3.21 प्राधिकरण ने इस मामले का दो प्रकार से विश्लेषण किया (क) क्या सेवा प्रदाता समापन के लिए केवल प्रासंगिक ओपेक्स को ही ध्यान में रखते हुए सेवाओं को प्रदान करने की उनकी समस्त लागतों को वसूल करने में समर्थ हैं (ख) समापन प्रभार के आकलन में केपेक्स को लेने का प्रभाव वर्तमान प्रणाली को किस प्रकार प्रभावित करेगा।

5.3.22 प्रमुख सेवा प्रदाताओं के लिए सेवा लाभ एवं हानि का विश्लेषण उनकी लेखी पृथकीकरण रिपोर्टों में उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है तथा यह पाया गया है कि कुछ मामलों में, कुछ सेवा प्रदाताओं के संबंध में युक्तिसंगत लाभ (15 प्रतिशत डब्ल्यू एसीसी) के ऊपर अधिशेष राजस्व 16 पैसे प्रति मिनट है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सेवा प्रदाता उनके मोबाइल सेवा प्रचालनों में पर्याप्त राजस्व तथा कैश फ्लो सृजित करने में समर्थ हैं। जीएसएम मोबाइल उद्योग के पास 10 पैसे तथा समग्र रूप से वायरलैस उद्योग के लिए 5 पैसे का अधिशेष राजस्व है। यह अधिशेष दर्शाता है कि सेवा प्रदाता न केवल केपेक्स, ओपेक्स तथा उनके प्रचालनों से युक्तिसंगत लाभ वसूल करने में समर्थ है बिल्क वे उनके पास उससे कहीं अधिक अधिशेष मौजूद है। अतः वर्तमान कारकों के आधार पर समापन प्रभार का यौक्तिकीकरण उन्हें चिंता प्रदान करने वाला नहीं होगा।

5.3.23 समापन प्रभार के आकलन के लिए केंपेक्स पर विचार करना अथवा इसके अनुपात को ध्यान में रखना आवश्यक रूप से सेवा प्रदाता द्वारा लिए गए व्यवसाय निर्गम के बोझ को अंतरसंयोजन सेवा प्रदाताओं तक अंतरित कर देगा। प्लानिंग होराइजन, नेटवर्क डाइमेंशनिंग, सेवा प्रदाता की प्रौद्योगिकी का अधिष्ठापन जैसे निर्णय ऐसे सेवा प्रदाता के अंतरसंयोजन को प्रभावित नहीं करने चाहिए जिसे कि अत्यंत न्यूनतम लागत का भुगतान करने की अपेक्षा है। समापन प्रभार के आकलन में केपेक्स को लेने का अर्थ होगा कि अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता के पास अभिनव टैरिफ प्लान अथवा किरायों का कोई विकल्प नहीं होगा। सेवा प्रदाता अपने केपेक्स की वसूली किराए तथा प्रारंभन प्रभार से करने के लिए स्वतंत्र हैं, जोकि प्रविरत है। यह तर्क किं अब 90 प्रतिशत से अधिक सब्सक्राइबर प्री-पेड खंड में है, अतः केपेक्स की वसूली के लिए कोई किराया राजस्व नहीं है, अत्यंत कमजोर है। टैरिफ प्रविरत है तथा यह सेवा प्रदाता पर ही निर्भर है कि वह अपने द्वारा शुरू किए गए प्लानों की व्यवहार्यता को देखे। इन प्लानों को आरंभ करते समय सेवा प्रदाता आईयूसी प्रणाली से पूरी तरह अवगत थे तथा वे इस तथ्य को भी जानते थे कि केवल प्रासंगिक ओपेक्स की वसूली समापन प्रभार से की जाती है। वास्तव में, जब एक सेवा प्रदाता ने आजीवन प्लान प्रारंभ किया तो उसने प्राधिकरण को उसके व्यवसाय के लिए टैरिफ प्लानों की व्यवहार्यता और स्थायित्व का सब्त प्रस्तुत किया। यहां पर ऐसे सेवा प्रदाता का मामला भी है जो सभी आवक कॉलों के लिए 0.10 रू. प्रदान कर रहा था जोकि यह दर्शाता है कि प्रचालक लागत को वसूल करने में समर्थ था।

5.3.24 पूर्ण आवंटित क्रियाविधि में सेवा प्रदाताओं की सभी लागतों की एक घटक या अन्य के माध्यम से वसूली की जाए । यदि समापन प्रभार के माध्यम से केपेक्स की भी वसूली करने की अनुमति दी जाए तो फिर सेवा प्रदाताओं के बीच समापन प्रभार में भारी अंतर आएगा चूंकि कुछ सेवा प्रदाताओं ने अपने भावी पूर्वानुमानों और अपनी कारोबारी योजना के मद्देनजर पूंजी व्यय में अधिक निवेश किया होगा। यह लागत अंतरसंयोजन प्रचालक को अंतरित कर दी जाएगी।

5.3.25 संगत नेटवर्क तत्वों और लागत के संबंध में, प्राधिकरण को यह याद है कि पूर्ववर्ती आईयूसी संबंधी कार्यवाहियों में स्थानीय काल की लागत को स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रचालनात्मक लागत (ओपेक्स) के आधार पर निर्धारित किया गया था। प्राधिकरण ने आज के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय कॉल हेतु संगत ओपेक्स आवंटित करने के सिद्धांत का विश्लेषण किया। प्राधिकरण ने यह पाया कि अब सेवा प्रदाता इस प्रकार से नई टैरिफ प्लान की पेशकश कर रहे है कि किराए और कॉल प्रभार से सृजित राजस्व का अनुमान लगाना काफी कठिन है। चूंकि अब सेवा प्रदाता इस प्रकार से टैरिफ प्लान की पेशकश कर रहे हैं कि कुछ टैरिफ प्लान अधिक किराए किंतु कम कॉल प्रभार वाली है और कुछ कम किराए और अधिक कॉल प्रभार वाली है । ऐसा किराए और प्रारंभन प्रभार में प्रविरत नीति के कारण हुआ है। चूंकि इन दो अलग अलग तरीकों से सृजित राजस्व में भेद करना मुश्किल है अब यह और प्रासंगिक हो गया है कि उसी सिद्धांत को अपनाया जाए जो पूर्ववर्ती आईयूसी विनियमों में अपनाया गया है।

5.3.26 प्राधिकरण ने कॉल के समापन हेतु अप्रत्यक्ष संबंध वाले प्रचालन लागत तत्वों की भी जांच की। ये लागत मूलतः सब्सक्राइबर द्वारा सेवा प्रदाता के साथ उसके अधिग्रहण, सतता तथा शेष पर खर्च की जाती है। इन लागतों में विज्ञापन, बिक्री, बट्टे—खाते ग्राहक अर्जन, बिलिंग और ग्राहक सहायता परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि वित्तीय प्रभार आदि की लागत शामिल है। जैसािक पूर्व में किया गया है, प्राधिकरण ने समापन प्रभार की गणना हेतु इन लागतों पर विचार नहीं किया है। गणना में शामिल किए गए और न किए गए लागत शीषों का पूरा ब्योरा संगत पैराओं में दिया गया है।

5.3.27 अब हम प्रचलित प्रधान विनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापन पर प्राधिकरण की राय की अभिव्यक्ति पर आते हैं। प्राधिकरण ने नोट किया था ... "यद्यपि प्राधिकरण यह महसूस करता है कि एफएलएलआरआईसी मॉडल को अपनाना अनिवार्य है, उसने धीरे धीरे अपनाने की तुलना में अचानक इसे अपनाने के निहितार्थों की जांच की......। नजरिया कुछ वर्षों में धीरे धीरे एपफएलएलआरआईसी को पूर्ण रूप से अपनाना है।" प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस स्थिति में एफएलएलआरआईसी को अपनाना उपयुक्त क्यों नहीं है । वर्तमान समीक्षा के दौरान प्राधिकरण ने सुझाई और ऊपर वर्णित विधि के पक्ष और विपक्ष की दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। एफएलएलआरआईसी माडल की विस्तार से जांच की गई। न केवल सेवा प्रदाताओं के समर्थकों और विरोधियों अपित् परामर्शदाताओं को भी अवसर दिया गया जिन्होंने कुछ सेवा प्रदाताओं की ओर से इसका अध्ययन किया था। चूंकि प्राधिकरण ने भविष्य की स्थितिनुसार किसी भी क्रियाविधि को अपनाने पर खुले दिमाग से विचार किया उसका यह सुविचारित मत है कि उपर्युक्त पैराओं में दिए गए कारणों से, वर्तमान समीक्षा में समापन प्रभार का निर्धारण करते समय समापन प्रभारों के लिए संगत ओपेक्स आवंटित करने की वर्तमान क्रियाविधि को जारी रखा जाए और सेवा प्रदाता का खर्च की लागत को कवर करने के लिए किराया और पारंभन प्रभार को प्रविरत रखा जाए।

5.4 मुददा-3 पूर्णतया लागत आघरित अथवा लागतोन्मुखी समापन प्रमार

5.4.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है और निम्न पैराओं में उन पर विचार किया गया है —

- (i) लागत आधरित मूल्य निर्धारण क्रियाविधि अंतरसंयोजन सेवाएं देने वाली निहित लागत को सटीकता से दर्शाती है।
- (ii) लागत आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए चूंकि यह काफी पारदर्शी और अधिक सख्त नहीं है।
- (iii) दृष्टिकोण लागत आधारित हो।
- (iv) लागत आधारित मूल्य निर्धारण क्रियाविधि को काफी किफायती बताया जाता है।
- (v) भारतीय प्रचालकों को लागत आधारित समापन प्रभार वाले ग्रामीण बाजार में निवेश करने हेत् प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।
- (vi) दृष्टिकोण लागतोन्मुखी हो।
- (vii) दृष्टिकोण लागतोन्मुखी हो और उसे प्राधिकरण द्वारा 2003 द्वारा अपनाए गए मॉडल के साथ समायोजित किया जाए।
- (viii) समापन प्रभार लागत आधरित हो।
- (ix) समापन प्रभार लागत आधारित हो चूंकि सेवा प्रदाता को केवल कॉल के समापन में अंतर्ग्रस्त नेटवर्क की लागत की वसूली करनी है।

5.4.2 अधिकांश सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ता संघ ने लागत आधारित मूल्य — निर्धारण क्रियाविधि के पक्ष में दलील दी। इन सेवा प्रदाताओं ने यह तर्क दिया कि यह विधि अंतरसंयोजन सेवाएं देने में निहित लागत को सटीकता से दर्शाती है और काफी पारदर्शी है। तथापि, एक दो सेवा प्रदाताओं ने लागतोन्मुखी दृष्टिकोण के पक्ष में भी तर्क दिया। प्राधिकरण का यह मत है कि वर्तमान स्थिति में विचाराधीन प्रभारों के आधार पर उपयुक्त क्रियाविधि लागू की जाए।

5.5 मुद्दा – 4 मूल्यवर्धित सेवाओं से प्रोद्भूत राजस्व का निपटान

5.5.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का सार नीचे दिया गया है और निम्न पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है : —

- (i) मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व को हिसाब में न लिया जाए।
- (ii) लागत आवंटन मॉडल में खुदरा मूल्य को लागत में से घटाना गलत है।
- (iii) वायरलेस और वायरलाइन नेटवर्क हेतु वॉयस समापन प्रभार निर्धारित करते समय मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व को वार्षिक लागत वसूली में से घटाया जाए जिसमें वार्षिक केपेक्स वसूली, मूल्यह्नास, और ओपेक्स शामिल है।

- (iv) सेवा प्रदाता वीएएस के लिए लागत डाटा उपलब्ध कराएं ।
- (v) समापन प्रभार के निध्या हेतु मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व को हिसाब में न लिया जाए।
- (vi) समापन प्रभार निकालते समय वीएएस राजस्व को हिसाब में अवश्य लिया जाए।
- (vii) वीएएस समापन हेतु बिल एंड कीप काफी सकारात्मक दृष्टिकोण है।
- (viii) चूंकि टैरिफ प्र<u>विरत</u> अधीन है इसलिए नेटवर्क उपयोग के आधार पर नहीं अपितु राजस्व के आधार पर लागत का संवितरण करना अधिक उपयुक्त होगा।
- (ix) वीएएस से प्राप्त होने वाले राजस्व को एमटीसी हेतु अनुमानित राजस्व अपेक्षा से पूर्णतया बाहर रखा जाए।
- (x) लागत आधारित समापन प्रभारों के निर्धारण के समय वीएएस, जो किसी प्रचालक के कुल राजस्व का लगभग 10-12 प्रतिशत होता है, पर विचार किया जाना चाहिए ।
- (xi) वीएएस से प्राप्त होने वाले राजस्व को एमटीसी हेतु अनुमानित राजस्व अपेक्षा से पूर्णतया बाहर रखा जाए।

5.5.2 इस मुद्दे पर पणधारकों की राय भिन्न-भिन्न थी । कुछ सेवा प्रदाताओं ने यह तर्क दिया कि मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व को हिसाब में न लिया जाए चूंकि लागत आवंटन मॉडल में खुदरा मूल्य को लागत में से घटाना गलत है। तथापि, कई अन्य सेवा प्रदाताओं ने वार्षिक लागत वसूली में से मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त राजस्व को घटाने का पक्ष लिया। एक सेवा प्रदाता ने यह दलील दी कि चूंकि टैरिफ प्रविरताधीन है इसलिए नेटवर्क उपयोग आधार की बजाय राजस्व आधार पर लागत संवितरण करना अधिक उपयुक्त होगा। इस मुद्दे पर प्राधिकरण ने मूल विनिमय में दी गई स्थिति को पुनःयाद दिलाया है। संगत पैरा को नीचे पुनः उद्धृत किया गया है:-

"79.पिछले मामले की तरह, संबंधित लागत आधार से मूल्यवर्धित राजस्व घटा दिए गए हैं क्योंकि लागतों की वसूली की दृष्टि से यह राजस्व स्रोत महत्वपूर्ण होता है। इससे सेवा प्रदाताओं को यह प्रोत्साहन भी मिलेगा कि वे इन राजस्वों से वसूली गई प्राक्कित लागतों के मुकाबले मूल्यवर्धित सेवाओं से ज्यादा पैसा कमाए। समय के साथ—साथ उपस्करों की कीमतें गिरने से उच्चतर क्षमता बने रहने से उपभोक्ताओं के तेजी से बढ़ने से लागतों में कमी होती जाएगी और तब भविष्य में काल समापन से जुड़ी लागतों के लिए मूल्यवर्धित राजस्वों के निश्चित अंश को ही आवंटन करने के बारे में प्राधिकरण सोच सकता है। "

5.5.3 प्राधिकरण इस बात से अवगत है कि वर्ष 2003 में वीएएस राजस्व की तुलना में मूल्यवर्धित सेवाओं से प्राप्त वर्तमान कुल राजस्व काफी अधिक है। चूंकि यह राजस्व, लागत वसूली का महत्वपूर्ण स्रोत है, 2003 में उद्योगों के साथ चर्चा करने के बाद इस राजस्व को संगत ओपेक्स में से सीधे घटा दिया गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में सारे

राजस्व को घटाना तर्कसंगत नहीं होगा क्योंकि यह लागत की तुलना में काफी अधिक है। यदि इन सेवाओं के लिए ओपेक्स की जानकारी होती तो उसका उपयोग गणना में किया जा सकता था। प्राधिकरण यह भी महसूस करता है कि मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए टैरिफ अतार्किक रूप से अधिक है और यदि मूल्यवर्धित सेवाओं को समापन प्रभार की गणना हेतु संगत आपेक्स में से घटा दिया जाता है तो सेवा प्रदाता मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए टैरिफ में कटौती करने में हिचिकिचाएंगें । दूसरी ओर, वीएएस हेतु कोई समायोजन न करने से वॉयस कॉल हेतु समापन प्रभार से मूल्यवर्धित सेवाओं से संबद्ध समस्त लागत की वसूली करनी होगी जिससे वॉयस कॉल हेतु समापन प्रभार अधिक हो जाएगा। वीएएस से संबंधित लागत को कुल लागत से अलग करना कठिन होगा । मूल्य वर्धि सेवाओं को प्रदान करने की लागत के अभाव में मूल्य वर्धित सेवाओं से अर्जित राजस्व के अनुसार लागत संविभाजित करना अत्यधिक तर्कसंगत होगा चूंकि वीएएस से प्राप्त राजस्व कुल लागत का 10 प्रतिशत है अतः संगत ओपेक्स से कुल राजस्व कम करने के बजाए 10 प्रतिशत ओपेक्स कम करने का निर्णय लिया गया है । यह वर्तमान सेवा प्रदाताओं को एक स्पष्ट लाभ है।

5.6 मुद्दा - 5: असमित घरेलू समापन प्रभार

5.6.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को निम्नवत् संक्षेप में दिया गया है और तत्पश्चात् आगे के पैराओं में विस्तार से बताया गया है :--

- (i) एकमात्र असमित जिसे कदाचित उचित ठहराया जा सकता है वह है जो ग्रामीण विस्तार को प्रोत्साहित करता है। तथापि, किसी असमित को भारतीय आईयूसी प्रणाली में शुरू करने की व्यावहारिक कठिनाइयां अत्यधिक है।
- (ii) भारत में असमित दरें पहले से ही प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में कितपय प्रचालकों को सीधी एवं अन्यायोचित प्रति राजसहायता होगी,
- (iii) नए प्रवेशक के लाभ के लिए असमित प्रभार न्यायोचित है क्योंकि वे समग्र रूप से दूरसंचार उद्योग के विकास में सहायक होंगें,
- (iv) नए निवेश को आकृष्ट करने के लिए नए प्रवेशक के पक्ष में असममित लागू किया जा सकता है।
- (v) असमित को उन प्रचालकों के पक्ष में भी शुरू किया जा सकता है जो ऐसे उच्च लागत क्षेत्रों में निवेश बढाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्कों का विकास करते हैं।
- (vi) एक जैसे नेटवर्क / सेवाओं के लिए वर्तमान सेवा प्रदाताओं और नए प्रवेशक के बीच समापन प्रभारों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।
- (vii) यद्यपि वास्तविक लागत के आधार पर शहरी नेटवर्कों की तुलना में ग्रामीण नेटवर्कों के उच्च समापन प्रभार न्यायोचित है, इसे तकनीकी रूप से कियान्वित करना व्यवहार्य नहीं है ।

(viii) वर्तमान एवं नए सेवा प्रदाताओं समेत वर्तमान बाजार में भविष्य के विकास और प्रतिस्पर्द्धा को बढावा देने के लिए असममित प्रभार न केवल न्यायोचित है अपितु बहुत जरूरी है।

(ix) असमित प्रभार बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है।

(x) वर्तमान भारतीय परिदृश्य में असमित मूल्य मॉडल उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि बाजार में प्रचालकों द्वारा आफर किए जा रहे टैरिफों को बिगाड़ सकते है।

(xi) वैश्विक प्रथा एक समान समापन प्रभार की रही है।

- (xii) समापन से निपटान और झगड़े खड़े होने तथा बिलिंग अत्यधिक जटिल हो जाने की संभावना होगी ।
- (xiii) वर्तमान सेवा प्रदाताओं बनाम नए प्रवेशक असममित समापन प्रभार का आधार होना चाहिए।
- (xiv) वर्तमान और नए सेवा प्रदाताओं के बीच ट्राई द्वारा कियान्वित लागत आधारित एमटीसी असममित समापन प्रभार न्यायोचित है।
- (xv) बड़े और छोटे नेटवर्कों के बीच असममित आधार पर ही विश्व में कई विनियामकों ने असममित समापन प्रभार लागू किए हैं।

5.6.2 अधिकांश नए प्रवेशकों ने अपने पक्ष में असममित प्रभारों के लिए तर्क दिया है क्योंकि इससे नए निवेश को आकृष्ट करने में मदद मिलेगी और समग्र रूप से दूरसंचार उद्योग के विकास में भी सहायता मिलेगी। अन्य सेवा प्रदाता भी हैं जिन्होंने तर्क दिया है कि यदि कोई सममिति न्यायोचित है तो वह यह है जो कि ग्रामीण रोलआउट को प्रोत्साहित करती हो। तथापि, उन्होंने ग्रामीण संबंध में असमित को शुरू किए जाने की व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में भी चेतावनी दी है। टैरिफ पर ग्रामीण नेटवर्क में समाप्त होने वाली ट्रैफिक के लिए उच्च समापन के प्रभाव के बारे में यह एक स्पष्ट संकेत है। मोबाइल और फिक्स्ड लाइन के बीच असमित समापन प्रभार के पक्ष में किसी भी सेवा प्रदाता ने तर्क नहीं दिया है। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अपनी टिप्पणी में तर्क दिया है कि यद्यपि लागत के आधार पर फिक्सड लाइन के लिए उच्च समापन प्रभार न्यायोचित है, लेकिन सेल्यूलर से सेल्युलर कालों की तुलना में सेल्युलर से फिक्सड लाइन कॉलें इससे महंगी हो जाएगी और इसलिए भारतीय उपभोक्ताओं के हित में समापन प्रभार को, सभी प्रकार की घरेलू कालों के लिए एक ही स्तर पर रखा जा सकता है सिवाय वायरलेस से वायरलेस कालों को जिसके लिए उनका कहना है कि कोई समापन प्रभार नहीं होना चाहिए। बीएसएनएल ने भी तर्क दिया है कि वायर लाइन नेटवर्क को यूएओ फंड अंशदान समेत लाइसेंस शुल्क के भुगतान के उनके राजस्व से पूर्ण छूट प्रदान कर लागत की वसूली के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है।

5.6.3 प्राधिकरण ने इस मामले की विस्तार से जांच की और नोट किया कि अंशतः प्रस्थापित सेवाओं, जैसे फिक्सड और मोबाइल कालों के लिए असमान समापन प्रभार से ट्रैफिक में इस कमी से उस नेटवर्क में ट्रेवल कर रहे मिनृटों में और कमी हो जाएगी। प्रयोग में लाए गए मिनटों में इस कमी से उस नेटवर्क के लिए लागत आधारित प्रभार में और बढोतरी हो जाएगी। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि 2003 में आईयूसी

प्रणाली के लागू होने से कई लाइसेंसियों ने नए सेवा प्रदाताओं के रूप में अपनी सेवाएं शुरू कर दी है जोकि विद्यमान आईयूसी परिवेश से भलीभांति परिचित है और वे सभी अपना अस्तित्व कायम रखने और वर्तमान आईयूसी के साथ विकास करने में समर्थ रहे हैं जो कि नए प्रवेशक के प्रति कोई असममिति नहीं रखती। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि अधिकांश वर्तमान सेवा प्रदाता अपने निवेश पर अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर रहे हैं वस्तुतः, सममित प्रभार ने सभी प्रकार के सेवाओं के लिए सभी आपरेटरों को एक समान अवसर प्रदान किया है।

5.6.4 नई कंपनियों को लाइसेंस जारी करना और लाइसेंसी द्वारा सेवा शुरू करना एक सतत् प्रक्रिया है। अतः आज किसी सेवा प्रदाता के लिए किसी प्रकार की असमित खड़ी करने से सेवा प्रदाताओं को समापन प्रभार में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है जो कि भविष्य में नए होंगे । प्राधिकरण ने विगत में पदस्थ समेत किसी सेवा प्रदाता के लिए असमित विनियम की प्रथा को नहीं अपनाया है।

5.6.5 प्राधिकरण ने यह देखा है कि शहरी क्षेत्रों में टेली घनत्व संतोषजनक स्तर तक पहुंच गया है परंतु ग्रामीण टेली घनत्व अभी भी गंभीर चुनौती बना हुआ है तथा एक नीति और विनियामक परिवेश प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ताकि सेवा प्रदाताओं को प्रत्यक्ष रूप से कम लुभावने बाजारों की ओर आकर्षित होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । आज भी, लाखों कान डायलटोन सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः, सभी को आपस में जोड़ना एक मुख्य चिंता है । अतः प्राधिकरण ऐसे सेवा प्रदाताओं को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं अथवा नेटवर्क कार्यान्वित कर रहे हैं, तथापि, जैसािक अधिकांश सेवा प्रदाताओं ने नोट किया है, ग्रामीण सबस्क्राइबरों के लिए समापन प्रभार के संबंध में कोई सममिति प्रारंभ करना अत्यंत कठिन होगा । ग्रामीण अवसंरचना विकास, ग्रामीण समापन प्रभारों से प्रोद्भूत पर आधारित नहीं हो सकते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में समापन प्रभार का प्रोद्भूत उन निवेशों का एक छोटा भाग होगा जो सेवा प्रदाताओं द्वारा किए जाने की संभावना है । यहां यह भी नोट किया जाए कि शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलों के समापन प्रभारों में कोई असममितता सुजित करने से वह टैरिफों पर प्रतिबिंबित होगी तथा यह ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलों के समापन को शहरी क्षेत्रों में समाप्त होने वाली कॉलों से महंगा बना देगी । वैसे भी, ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का सही कदम एमयूएसओ द्वारा किया जाना ही होगा, जैसाकि अधिकांश नीति एंकम्बेंट द्वारा उस समय तर्क दिया गया था जब उन्हें एडीसी की समाप्ति के लिए पूछा गया था । यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि लाइसेंसर ने पहले ने ग्रामीण फिक्स्ड लाइनों के लिए एजीआर पर लाइसेंस शुल्क हटा दिया है और सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस शुल्क में 2 प्रतिशत की कमी की हैं जो 95 प्रतिशत रोल आउट को पूरा कर लेते है। यह ग्रामीण रोल आउट को बढावा देने और वित्त पोषित करने का एक सकारात्मक तरीका है।

5.6.6 एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की इस टिप्पणी के संबंध में कि वायरलेस से वायरलेस कालों के लिए शून्य सेवा प्रभार की आवश्यकता है, प्राधिकरण ने याद दिलाया कि आईयूसी के मूल सिद्धांत में यह उल्लेख है कि एक बहु प्रचालक परिवेश में किसी काल के कैरिज के लिए कुल अंतर कनेक्शन प्रयोग प्रभार प्रत्येक वर्ग में कॉल के कैरिज के लिए किए गए कार्य के आधार पर उत्पन्न करने, प्रेषण और समापन के लिए इस्तेमाल में लाया जाना है। चूंकि किसी काल के समापन के लिए समापन नेटवर्क में किया गया काम किसी काल को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभन नेटवर्क से अलग है, अतः नेटवर्क एक विशेष प्रकार से काल के उत्पन्न होने के लिए शून्य समापन शुल्क का होना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं होगा। फिक्स्ड लाइन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु आर्थिक रूप से अधिक सक्षम तरीके अपनाने होंगे। ट्राई की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा हाल ही में लिया गया एक निर्णय प्रासंगिक है जिसके अनुसार यूएसओ 1.4.2002 से पूर्व स्थापित फिक्स्ड लाइनों के रख रखाव का वित्त पोषण अधिकतम 2000 करोड़ रू. तक किसी सेवा प्रदाता द्वारा करवाएगा।

5.6.7 • सभी बातचीत के जिए प्राप्त सभी सूचनाओं के आधार पर, प्राधिकरण की राय है कि घरेलू समापन प्रभार के संबंध में किसी तरह की असममिति शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5.7 मुद्दा — 6 टैरिफ पर मोबाइल और फिक्स्ड समापन प्रमार का प्रभाव

5.7.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को निम्नवत् संक्षेप में दिया गया है और तत्पश्चात् आगे के पैराओं में विस्तार से उल्लेख किया गया है :--

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा और प्रतिस्पर्द्धा को लाने के लिए गंभीर प्रचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए समापन दरों को वर्तमान स्तर पर बनाए रखना।
- (ii) बाजार में टैरिफ मुख्यतः प्रतिस्पर्द्धा के स्तर से प्रेरित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर लागत आधारित आईयूसी प्रणाली बाजार में प्रतिस्पर्द्धा को सुकर बना सकती है।
- (iii) भारत में फुटकर टैरिफ को विरत करना अच्छा रहा है जिसमें प्रचालकों को बाजार दशाओं पर आधारित उनके टैरिफों को समायोजित करने की अनुमति होती है।
- (iv) समापन में कोई कमी विशेषकर एमटीसी में कमी से मोबाइल एवं फिक्स्ड लाइन दोनों के अंतिम प्रयोक्ताओं को बेहतर टैरिफ देने में काफी मदद मिलेगी ।
- (v) एमटीसी और एफटीसी में कमी से फुटकर टैरिफ में अवश्यमेव कमी होगी ।

5.7.2 इस मुद्दे पर मिश्रित प्रतिकिया थी इस पर चर्चा वर्णनात्मक थी । टैरिफ प्रविरत अधीन है और इन विनियमों के जरिए प्राधिकरण का इरादा उसे बदलने का नहीं है। इस पर कोई निश्चय नहीं किया गया। अत इस ज्ञापन पर इसमें कोई और चर्चा नहीं की जा रही है।

5.8 मुद्दा : 7 असमित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समापन प्रभार

5.8.1 इस मुद्दे पर पणधारकों द्वारा प्राप्त टिप्पणियां संक्षेप में निम्नवत है और तत्पश्चात् आगे के पैरों में विस्तार से उल्लेख किया गया है :--

- (i) ट्राई द्वारा अंतरराष्ट्रीय समापन प्रभार को नियमित करने का मामला नहीं बनता ।
- (ii) ट्राई को प्रचालकों द्वारा भारत के बाहर भुगतान की गई दरों को नियमित करने का अधिकार नहीं लेना चाहिए और इन दरों के अंतर्गत लाना चाहिए।
- (iii) इनकिमेंग एवं आउटगोइंग कालों के लिए समापन प्रभारों में समानता और अन्योन्यता बनाए रखने के लिए ट्राई प्रविरत रह सकता है और आई एल डी प्रचालकों के साथ इनकिमेंग अंतरराष्ट्रीय कालों के लिए समापन प्रभार पर बातचीत करने के लिए प्रदाताओं को अनुमित दे सकता है।
- (iv) इनकिमंग आईएलडी पर समापन प्रभार बढाने से सेवा प्रदाताओं या उपभोक्ताओं पर कोई भार बढाए बिना सेवा के विस्तार के लिए सभी सेवा प्रदाताओं को और फंड उपलब्ध हो सकेंगे।
- (v) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय के बीच असमित प्रभार से ग्रे मार्केट / गैर कानूनी टेलिफोनी आपरेटरों के लिए एक कृत्रिम अवसर प्राप्त हो जाता है।
- (vi) इनकिमंग अंतरराष्ट्रीय कालों पर समापन प्रभार में बढोतरी से सभी पक्षों को फायदा होगा।
- (vii) यदि असमित दरों को लागू किया जाता है तो स्थिति और खराब हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट टेलीफोनी की तरफ पहले ही रूझान बढ गया है।
- (viii) उच्च समापन प्रभार एक प्रतिगामी कदम होगा क्योंकि हम एक खुला बाजार टेलीकॉम व्यवस्था से एकाधिकारी प्रतिबंधात्मक प्रथाओं की ओर बढेंगे ।
- (ix) समापन प्रभार की पारस्परिक व्यवस्था भी एक प्रतिगामी कदम ही होगा और इसकी व्यावहारिक सीमाएं हैं।
- (x) किसी सममिति को लागू करना होगा यदि लागत ढांचा अलग है।
- (xi) सभी समापन प्रभार लागत आधारित होने चाहिए न कि अन्योन्याय आधारित।
- (xii) असममित समापनप्रभार से ग्रे मार्किट पैदा होगा और जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल होगा।
- (xiii) इनकमिंग आईएलडी कालों के लिए असमित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समापन प्रभार पूर्णतः न्यायोचित है।

(xiv) इनकमिंग आईएलडी कालों के लिए आईएलडी समापन प्रभार विनियम से निर्धारित किए जाने चाहिए और इसे आईएलडीओ और समापन प्रचालक के मोल भाव पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

5.8.2 कुछ सेवा प्रदाताओं ने अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कालों के लिए उच्च समापन प्रभार का प्रस्ताव किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों दूरसंचार उपकमों ने भी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कालों के लिए उच्च समापन प्रभार की वकालत की है जो कि उसके बराबर हो जो कि एक्सेस प्रदाता दूसरे देशों में अपनी आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय कालों के लिए भुगतान कर रहे हैं। संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने यह भी तर्क दिया है कि इनकिमग और आउटगोइंग कालों के समापन प्रभारों में समानता और अन्योन्यता बनाए रखने के लिए, ट्राई अपने को अलग रख सकता है और एक्सेस प्रदाताओं को आईएलडी प्रचालकों के साथ अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कालों के लिए बातचीत करने की अनुमति दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग के लिए उच्च समापन प्रभार को सही ठहराने के लिए जो कारण दिए हैं उनमें शामिल है कम समापन प्रभार से केवल विदेशी प्रचालकों और विदेशी उपभोक्ताओं को ही फायदा होता है देश में निधियों के अधिक प्रवाह से भारतीय सेवा प्रदाताओं को नेटवर्क के विस्तार में मदद मिलेगी और कम दरों पर अंतरराष्ट्रीय आउटगोइंग कालें ऑफर होंगी, निधियों के अधिक प्रवाह से सरकार की आय भी अधिक बढेगी। नए प्रवेशकों ने आग्रह किया है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समापन के बीच असमित प्रभार से एक कृत्रिम अवसर पैदा होगा और इसे ग्रे मार्केट असतित्व में आएगा। वे कहते हैं कि इसके कारण ही अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कालों पर लाग् एडीसी में कमी और अंत में इसे हटा दिया गया था।

5.8.3 प्राधिकरण ने इन सभी विकल्पों पर विचार किया ।

(क) अन्य देशों के साथ पारस्परिक व्यवस्था

(ख) एक्सेस प्रदाता व आईएलडीओ के बीच प्रविरत या वार्ता समझौता

(ग) वर्तमान दर से अंतरराष्ट्रीय समापन में वृद्धि

(घ) 0.30 रूपये प्रति मिनट के वर्तमान स्तर को बनाए रखना, और

(ङ) घरेलू समापन प्रभार जैसा स्तर ।

5.8.4 पारस्परिक व्यवस्था अर्थात् उसी समापन दर से किसी देश से काल का अधिदेश जो कि वह देश भारत से कालों पर लागू करता है, से निपटान में जिटलता आएगी। भारत में समापन होने वाली कालों के लिए नई समापन दरें प्रवृत्त होगी और इससे निपटान विवादों में बढोत्तरी होगी। इस व्यवस्था से उस देश में अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक में वृद्धि होगी जिसका भारत के साथ कम समापन दर समझौता लागू है। इससे कुछ रूटों पर न केवल बैंडविडथ पर निर्भरता बढेगी अपितु अन्य रूटों पर बैंडविडथ का अदक्ष उपयोग बढेगा अपितु आपरेटर इस बात के लिए भी प्रोत्साहित होंगे की वे सीएलआई को बदलें तािक वह यह दिखा सकें कि ये कालें उस देश से है जो भारत के साथ कम समापन प्रभारों का लाभ उठा रहा है। ये वे परिणाम है जिनकी अपेक्षा कोई विनियामक प्राधिकरण इन दरों को नियमित करते वक्त नहीं करेगा।

5.8.5 प्रविरत या प्रभारों को आईएलडीओ और एक्सेस प्रदाताओं के बीच मोल भाव पर छोड़ने के फायदे और नुकसान दोनों ही है। यह एक्सेस प्रदाता को लागू दरों से उच्च दरों पर माल भाव करने और अधिक राजस्व कमाने में सहायक होगा। इससे आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय कालों के लिए टैरिफ में कमी हो सकती है यदि सेवा प्रदाता बढी हुई आमदनी को उपभोक्ताओं के साथ बांटने के इच्छुक हों। लेकिन इस मामले में नुकसान फायदे से कहीं अधिक है। इस तरह की वार्ताएं लंबी खींच सकती है और इससे बाजार में अनिश्चितता और विवाद बढेंगे। समापन पर एकाधिकार होगा अत कोई एक्सेस प्रदाता हमेशा ही आईएलडीओ से उच्च समापन प्रभार की कोशिश करेगा जिससे गैर निपटारे की स्थित पैदा होगी और परिणामस्वरूप कालें अपूर्ण रहेगी।

5.8.6 अंतरराष्ट्रीय इनकिमंग समापन प्रभार को वर्तमान स्तर से बढाने के तीसरे विकल्प के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदा यह है कि इससे एक्सेस प्रदाता को अधिक राजस्व कमाने में मदद मिलेगी और जैसे प्रविरत के मामले में वार्ता में रूकावट के नुकसान से मुक्ति मिलेगी। इससे आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय कालों के टैरिफ में भी कमी होगी यदि सेवा प्रदाता बढी हुई आमदनी को उपभोक्ताओं के साथ बाटने के इच्छुक हों, इस दृष्टिकोण के आलोचक कृत्रिम अवसर के नुकसान का उद्धरण दे सकते हैं जो बिल अलग अलग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समापन प्रभार से खड़ा होता है। यह भी नोट किया जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय इनकिमंग कालों पर एडीसी के कारण उत्पत्न विवाद और अंतरराष्ट्रीय इनकिमंग कालों तथा घरेलू कालों के बीच विवादन में अत्यधिक अंतर आ जाता है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि विवाचन का अवसर तब पैदा होता है जब गैर कानूनी रूट से काल की लागत वैध रूट से काल की लागत से कम होती है। समापन प्रभार कॉलों की पूरी लागत नहीं है। चूंकि ग्रे—मार्किट कार्यकलाप निःशुल्क नहीं होते हैं और आईएलडी कॉलों को स्थानीय कॉल के रूप में दर्शाते हैं, अतः विवाद प्रवृत्त घरेलू स्थानीय दरों से अधिक होगा तब वैध रूटों को बाइपास करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन रहेगा।

5.8.7 प्राधिकरण यह महसूस करता है कि अंतरराष्ट्रीय इनकिमंग समापन प्रभार न केवल लागत आधारित होने चाहिए अपितु वस्तुत सामान्य समापन प्रभार अंतरराष्ट्रीय रूप से भारतीय प्रचालकों और उपभोक्ताओं को किससे अधिक फायदा होता है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि अंतर्राष्ट्रीय इनकिमंग कॉलों के लिए समापन प्रभार 40 पैसे प्रति मिनट होना चाहिए ।

5.9 मुद्दा 8 कैरिज प्रभार

5.9.1 इस मुद्दे पर पणधारकों द्वारा प्राप्त टिप्पणियां संक्षेप में निम्नवत् है और तत्पश्चात् आगे के पैराओं में विस्तार से इनका उल्लेख किया गया है :--

(i) दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य किसी क्षेत्र में लम्बी दूरी की कालों पर समतुल्य कैरिएज प्रभार

- (ii) उच्च ट्रैफिक रूटों पर कैरिज प्रभार की वर्तमान अधिकतर सीमा की समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है
- (iii) पर्वतीय, दूर दराज और निकट तराई क्षेत्रों के लिए वास्तविक लागत आधार पर कैरिज प्रभार में बढोत्तरी करने की आवश्यकता जहां महंगे उपग्रह मीडिया के जरिए कालें प्रेषित की जाती हैं 1
- (iv) कैरिज प्रभार को एक स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए।
- (v) कैरिज प्रभार दरों में काफी कमी की जानी चाहिए
- (vi) वर्तमान आंकड़ों के आधार पर लंबी दूरी की कालों पर कैरिज प्रभार की अधिकतम सीमा बढ़ाई / घटाई जानी चाहिए
- (vii) एनएलडी कैरिज प्रभार पहले से ही प्रतिस्पर्द्धात्मक है अतः कैरिज प्रभार की वर्तमान अधिकतम सीमा में बदलाव की आवश्यकता नहीं है ।
- (viii) लंबी दूरी की कालों पर और कमी किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।
- (ix) उसी स्तर को बनाए रखा जाएगा ।
- (x) कैरिज प्रभार को 0.55 रूपये प्रति मिनट तक कम किया जाना चाहिए ।
- (xi) एनएलडी कैरिज बाजार प्रतिस्पर्धात्मक है तथा 0.65 रूपये प्रति मिनट की वर्तमान अधिकतम सीलिंग की समीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।
- (xii) 0.65 रूपये प्रति मिनट की वर्तमान विहित सीलिंग को कम करना पूर्ण रूप से औचित्यपूर्ण है ।
- (xiii) दूरदराज के क्षेत्रों के लिए उच्च सीलिंग तथा शेष देश के लिए एक सीलिंग पर विचार किया जा सकता है।

5.9.2 प्राधिकरण ने राष्ट्रीय लंबी दूरी की काल के लिए कैरिज प्रभार के मामले में सभी पणधारकों के दृष्टिकोण पर ध्यानपूर्वक विचार किया । बड़ी संख्या में सेवा प्रदाताओं ने यह सुझाव दिया कि 0.65 रूपये प्रति मिनट के कैरिज प्रभार को बनाए रखा जाए । कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि एनएलड़ी कैरिज बाजार बृहद रूप से प्रतिस्पर्धात्मक है तथा वर्तमान सीलिंग की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है । एक्सेस संग्मेट में स्टैण्डालोन नए प्रतिस्पर्धियों ने कैरिज प्रभार तथा दूरदराज के क्षेत्रों के लिए विभदेक प्रभार को कम करने की मांग की है । बीएसएनएल, सरकारी कंपनी ने हाई ट्रैफिक रूट के लिए कैरिज प्रभार की वर्तमान सीलिंग की समीक्षा के विरुद्ध मत व्यक्त किया है परंतु पहाड़ी एवं दुर्गम व दूरदराज के क्षेत्रों के लिए वास्तविक लागत पर कैरिज प्रभार को बढ़ा कर अधिक करने की आवष्यकता व्यक्त की है ।

5.9.3 प्राधिकरण ने यह पाया है कि एनएलडीओ द्वारा दिए जा रहे कैरिज प्रभार उच्च ट्रैफिक रूट पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक हैं चूंकि इन रूटों पर पहुंच प्रदाताओं के पास एनएलडीओएस का विकल्प होता है । तथापि, यहां अनेक एसडीसीएएस है जहां केवल एक सेवा प्रदाता मौजूद है जो ट्राई द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा पर कैरिज प्रभार की पेशकश कर रहा है । एनएलडी सेग्मेंट से यह पता चलता है कि बीएसएनएल, सेवा प्रदाता जिसकी दूरदराज व पहाड़ी क्षेत्र में मौजूदगी है, वह इससे अच्छा लाभ अर्जित कर

रहा है 1 वे क्षेत्र जहां एक से अधिक एनएलडीओ मौजूद हैं वह पर्याप्त प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं तथा एनएलडीओएस द्वारा कम कैरिज प्रभार की पेशकश की जा रही है । कैरिज प्रभार सी।लेग को कम करने में जोखिम यह है कि जबकि इससे उच्च ट्रैफिक वाले प्रतिस्पर्धात्मक रूटों पर पेशकश किए जाने वाले प्रभारों में कमी नहीं होगी तथापि, यह दूरदराज के क्षेत्रों को अव्यावहारिक कर देंगे अन्य उच्च सेवा प्रदाताओं को इन क्षेत्रों में नेटवर्क स्थापित करने में लिए हतोत्साहित कर देंगे । कैरिज प्रभार की विनियमित सीलिंग में किसी भी प्रकार की कमी एनएलडी सेग्मेंट में बीएसएनएल के लाभ को कम कर देगा । प्रभार पर वर्तमान सीलिंग सेवा प्रदाताओं को लचीलापन प्रदान करती है कि वे स्वयं अपने बीच कैरिज प्रभारों को आपसी सहमति कर तय कर सकें तथा एनएलडी सेग्मेंट में बीएसएनएल जैसे सेवा प्रदाता का समग्र लाभ सुनिश्चित करती है ।

5.9.4 इसलिए संपूर्ण परिस्थितियों पर समग्रतता से ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने कैरिज प्रभार पर वर्तमान सीलिंग को बनाए रखने का निर्णय लिया । प्राधिकरण कैरिज प्रभारों के रूझानों तथा पैटर्न का सूक्ष्मता से अनुवीक्षण करेगा तथा यदि एनएलडीओएस द्वारा उनके स्वयं के ट्रैफिक तथा अन्य एक्सेस प्रदाताओं के संबंध में उद्ग्रहित तथा संग्रहित कैरिज प्रभारों के मामले में बाजार में कोई विरूपता पाई जाती है तो प्राधिकरण कैरिज प्रभार की समीक्षा सहित उचित कदम उठाने में नहीं हिचकेगा ।

5.10 मुद्दा 9 : लेवल- II टीएएक्स से एसडीसीए तक ट्रांजिट / कैरिज प्रभार

5.10.1 पणधारकों द्वारा इस मुद्दे पर प्राप्त टिप्पणियों को नीचे दिया गया है तथा उत्तरवर्ती पैराओं में उन पर कार्यवाही की गई है ।

- (i) भोवाईल नेटवर्क से आरंभ होने वाले तथा स्तर—।। पर बीएसएनएल फिक्सड लाईन पर समाप्त होने वाले इंट्रा सर्किल ट्रैफिक को हस्तगत करना अनिवार्य है, इसलिए प्रभार अपरिहार्य है तथा मूल्य पूर्णतः से लागत आधारित होने चाहिए ।
- (ii) इस प्रकार के कैरिज की औसत लागत 0.24 रूपये प्रति मिनट है ।
- (iii) इस प्रभार में समान रूप से कोई कमी नहीं की गई है जैसाकि कैरिज प्रभार में की गई है ।
- (iv) केवल कॉल को ले जाने की सीमांत लागत को एलडीसीए तथा एसडीसीए के बीव ही सुलझाया जाना चाहिए ।
- (v) यह पूर्णतः लागत आधारित होना चाहिए अथवा मोबाईल सेवा प्रदाताओं को उनके ट्रैफिक को प्रत्यक्ष रूप से अथवा एसडीएलए स्तर पर एनएलडीओ के माध्यम से हस्तगत करने की अनुमति देनी चाहिए ।
- (vi) एलडीसीए से एसडीसीए तक कॉल ले जाने की लागत 4 पैसे से अधिक नहीं होती है ।
- (vii) वर्तमान टैरिफ का, केपेक्स तथा ओपेक्स में समनुपातिक प्रभारों को लागू कर समीक्षा की जानी चाहिए अथवा पुर्ननिर्धारण करना चाहिए जिससे वर्तमान लागत का पता चल सके ।

- (viii) 20 पैसा प्रति मिनट अथवा इस स्ट्रीम के लिए कम टैरिफ की अधिकतम सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा सभी एनएलडीओ को इस प्रकार के ट्रैफिक को हैंडल करने की अनुमति दी जाए ।
- (ix) एलडीसीए से एसडीसीए तक ट्रांजिट प्रभार को कम किया जाना चाहिए ।
- (x) इस कैरिज भाग पर समापन के भाग के रूप में विचार किया जाना चाहिए तथा काल को समाप्त करने के लिए कोई समापन प्रभार देय नहीं होना चाहिए ।
- (xi) एमटीसी के मामले में इन तत्वों की लागत का समापन प्रभार के साथ विलय किया जाना चाहिए ।
- (xii) ट्रांजिट प्रभार 3 पैसा प्रति मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए ।

5.10.2 इस विनियमन में मुद्दा इंट्रा सर्किल मोबाइल से फिक्स्ड कॉल तक स्तर-।। टीएएक्स से एसडीसीए तक कॉल ले जाने के प्रभार का निर्धारण का है । अनेक सेवा प्रदाताओं ने इन कॉलों को लागू दरों की बजाय उनके अंतरण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है । विभिन्न प्रकार की कालों के अंतरण का मुद्दा लाइसेंसिंग तथा विनियामक अपेक्षाओं का मुद्दा है तथा चूंकि इस विनियम में स्तर—।। टीएएक्स से एसडीएलए तक इंट्रा सर्किल मोबाइल से फिक्स्ड कालों तक कालों को ले जाने के लिए लागू प्रभारों की समीक्षा के एक सीमित मुद्दे पर भी कार्यवाही की जानी है । प्राधिकरण ने केंवल प्रभारों के संबंध में टिप्पणियों पर विचार किया । बीएसएनएल ने संगत लागत आंकड़े तथा स्तर-।। टीएएक्स से एसडीसीए तक कॉल ले जाने का समय प्रस्तृत किया है। बीएसएनएल ने अपने परिकलन में मूल्य को 24 पैसा प्रति मिनट दर्शाया है। बीएसएनएल लगातार इस बात पर बल देता आ रहा है कि इस प्रकार के प्रभार केवल कैरिज प्रभार है तथा बीएसएनएल को इस प्रकार की कॉलों को लंबी दूरी की कॉलों के कैरिज के लिए विहित ढांचे के मुताबिक प्रभारित करने की अनुमित दी जाए । प्राधिकरण का यह मत है कि इस प्रकार के प्रभार कॉल की विशिष्ट श्रेणी के लिए होते हैं जिसका लाइसेंसिंग / विनियामक अपेक्षाओं के तहत स्तर-।। टीएएक्स पर अंतरण किया जाता है । यदि इस प्रकार की कॉलों को लंबी दूरी की अथवा दूरी आधारित कॉलों के कैरिज के लिए विहित ढांचे के अनुरूप माना जाता है तो दूरदराज के एसडीसीए के मोबाइल से आरंभ होने वाली तथा फिक्स्ड लाइन पर समाप्त होने वाली कॉलें महंगी हो जाएंगी इसलिए यह सबस्क्राइबर के हित को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा । औसत ट्रांजिट प्रभारों को विहित करते हुए प्राधिकरण को ज्ञात है कि कतिपय एसडीसीए स्तर-।। टीएएक्स के साथ विन्यस्ते हो जाएंगे तथा कई अन्य एसडीसीए लेवल-।। के समीप स्थित होंगे । एक सेवा प्रदाता ने कहा है कि कॉल को मोबाइल प्रचालक के नेटवर्क से बीएसएनएल फिक्स्ड लाइन नेटवर्क तक ले जाने के लिए 4 पोर्ट का उपयोग किया जाता है । एक पोर्ट बीएसएनएल एल-।। टीएएक्स जोकि एसडीसीए में बीएसएनएल के स्थानीय स्विच की ओर होगी, एक पोर्ट बीएसएनएल स्थानीय स्विच तथा बीएसएनएल एल-।। टीएएक्स में तथा एक पोर्ट सबस्क्राइबर की ओर बीएसएनएल के लोकल स्विच पर होगी । सेवा प्रदाता द्वारा आगे ट्राई दरों के अनुसार औसत दूरी को 45 किलोमीटर तथा ई1एस लागत और ई1 प्रतिवर्ष एमओयू क्षमता को 3663360 मिनट लिया है । इन तीन धारणाओं के आधार पर औसत दर प्रति मिनट 4 पैसा प्रति मिनट निकलती है । पूर्व-परामर्श पत्र के दौरान एक और सेवा प्रदाता ने भी इसी सीमा में प्रभारों का प्रस्ताव दिया था ।

5.10.3 प्राधिकरण ने स्मरण कराया कि पोर्ट प्रभारों के परिकलन के दौरान, केवल पोर्ट के प्रावधान के लिए मात्र बढ़ते हुए कैंपेक्स पर विचार किया गया था । जबकि स्तर—।। टीएएक्स से एसडीसीए तक कॉल ले जाने के लिए केवल स्विच क्षमताओं को बढ़ाए जाने की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि एसडीसीए तक इस ट्रैफिक ले जाने के लिए नेटवर्क के डाउनस्ट्रीम भाग में वृद्धि करने की आवश्यकता है । इसलिए, प्राधिकरण ने लागत और मिनट संबंधी आंकड़ों पर विचार किया जिन्हें अपेक्षित समायोजन के साथ बीएसएनएल द्वारा दिया गया हा ।

5.11 **मुद्दा 10 – टीए**एक्स ट्रांजिट प्रभार

5.31.1 इस मुद्दे पर पणधारकों द्वारा प्राप्त टिप्पणियों को नीचे दिया गया है तथा उत्तरवर्ती पैराओं में इस पर कार्यवाही की गई है ।

- (i) बीएसएनएल द्वारा उन मामलों, जिनमें जहां कहीं भी बीएसएनएल सेलवन के एमएससी तथा निजी प्रचालकों को उसी बीएसएनएल स्विच के साथ जोड़ा गया है, ट्रांजिट प्रभार का मामला नहीं बनता है ।
- (ii) नेटवर्क लगाए जाने के प्रारंभिक कारणों में नए प्रवेशकों के लिए ट्रांजिट लागत बहुत अधिक हो सकती है ।
- (iii) ट्रांजिट प्रभार को आपसी बातचीत पर छोड़ दिया जाना चाहिए ।
- (iv) ट्रांजिट प्रभार को तुरंत प्रभाव से कम किया जाना चाहिए तथा यह किसी सेवा प्रदाता के लिए प्रोत्साहन के रूप में नहीं होना चाहिए ।
- (v) इस प्रभार की लागू लागत के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए ।
- (vi) इंट्रा एसडीसीए के लिए टीएएक्स ट्रांजिट प्रभारों की लागत उन्मुखी पद्धित के अनुसार समीक्षा की जानी चाहिए ।
- (vii) इंट्रा एसडीसीए ट्रांजिटिंग के लिए टीएएक्स ट्रांजिट प्रभारों का निर्धारण करने के लिए लागत आधारित पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए ।
- (viii) प्रभार लागत आधारित होने चाहिए ।
- (ix) इंद्रा एसडीसीए के लिए ट्रांजिट प्रभारों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा समीक्षा किए गए लागत आधारित प्रभार को विहित किया जाना चाहिए ।

5.11.2 ट्रांजिट प्रभार पर टिप्पणियां देने की बजाय अनेक सेवा प्रदाताओं ने इस संबंध में प्राधिकरण का ध्यान माननीय टीडीएसएटी के निर्णय की ओर आकृष्ट किया है । प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि माननीय टीडीएसएटी केवल ट्रांजिट प्रभारों को लागू करने के सिद्धांत का निर्धारण करता है । इसका ट्राई द्वारा 2003 में विहित प्रभारों से कुछ लेना देना नहीं है । प्राधिकरण ने भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए ट्रांजिट प्रभारों 2003 की अपील सं. 31 (बीएसएनएल बनाम ट्राई) पर माननीय टीडीएसएटी के 03.05.2005 के निर्णय तथा याचिका सं. 20/2004 (सीओएआई तथा अन्य बनाम

बीएसएनएल एवं अन्य) तथा ट्राई के 08.01.2005 के विनियम पर विचार किया है । सैलवन ने माननीय टीडीएसएटी के आदेश के अनुपालन में ट्रैफिक विनियम 2005 को रदद कर दिया । माननीय टीडीएसए के प्रचालन भाग को नीचे दिया गया है :-

"लेवल प्लेईंग फील्ड पर विचार करते हुए, हम बीएसएनएल को निर्देश देते हैं कि जहां कहीं भी बीएसएनएल सैलवन के एमएससीएस तथा निजी सीएमएसओ एक ही बीएसएनएल स्विच से जुड़े हैं बीएसएनएल को बीएसएनएल सैलवन सबस्क्राइबर तक पहुंच के लिए ट्रांजिट प्रभार के रूप में सेल्युलर आपरेटरों से 19 पैसा प्रभारित करना बंद करना चाहिए । हमारा यह मत है कि हमारा निर्देश निर्णय देने की तिथि से लागू होगा तथा हम ट्राई को इसे विनियामक प्रणाली के भाग के रूप में शामिल करने हेतू प्राधिकृत करते हैं।"

5.11.3 बीएसएनएल ने अपने निवेदन में यह कहा है कि इंट्रा एसडीसीए ट्रांजिटिंग में कोई टीएएक्स स्विच शामिल नहीं होता है इसलिए इंट्रा एसडीसीए ट्रांजिट प्रभार में टीएएक्स प्रभार से संबंधित प्रश्न संदिग्धार्थी है । टीएएक्स प्रभार के संबंध में बीएसएनएल ने बताया है कि जब दोनों नेटवर्क प्रचालकों के स्विच बीएसएनएल के एक ही स्विच से जुड़े हों तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कॉल प्रभार की समीक्षा करने तथा विनियमित करने की आवश्यकता नहीं है चूंकि कॉल को ट्रांजिटिंग करना एक अनिवार्य सेवा नहीं है तथा यह प्रचालकों के तकनीकी वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर उनकी आपसी व्यवस्था पर आधारित है ।

5.11.4 यह नोट किया गया है कि बीएसएनएल, इंट्रा एसडीसीए ट्रांजिटिंग के लिए ट्राई द्वारा विहित टीएएक्स ट्रांजिट प्रभार अर्थात् 20 पैसे से कम ही ले रहा है । चूंकि दोनों मामलों में चाहे यह इंट्रा एसडीसीए ट्रांजिटिंग हो या टीएएक्स के माध्यम से ट्रांजिटिंग हो, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कॉल को ले जाने के लिए उतना ही कार्य निष्पादन करना होता है । इसलिए, परामर्श-पत्र में दोनों प्रकार के ट्रांजिट प्रभारों की एक साथ चर्चा की गई थी । तथापि, विनियम के वर्तमान संशोधन में स्पष्टता लाने के लिए टीएएक्स ट्रांजिट प्रभारों में एक नए खंड को जोड़ दिया गया है ।

5.11.5 प्राधिकरण ने नोट किया कि माननीय टीडीएसएटी ट्रांजिट प्रभारों को लागू करने के सिद्धांत का निर्धारण करता है । इसका प्रभारों से कोई लेना देना नहीं है । इसलिए, प्राधिकरण का यह मत है कि प्रभार को लागू करने का सिद्धांत, माननीय टीडीएसएटी के आदेष तथा बीएसएनएल के दिनांक 08.06.205 के सेलवन टिमेंनेटिंग ट्रेफिक रेग्यूलेषन 2005 हेतु ट्रांजिट प्रभार पर ट्राई विनियम के माध्यम से शासित होगा । तथापि, विशेष पिरिस्थितियों में जब सेवा प्रदाता विशिष्ट रूप से टीएएक्स ट्रांजिटिंग के लिए अनुरोध करता है तो इस विनियम के वर्तमान संशोधन में विनिर्दिष्ट प्रभार लागू होंगे । प्रभार को विहित करना अपेक्षित है तथा इसे पूर्ण रूप से आपसी सहमति पर नहीं छोड़ा जा सकता है चूंकि नए प्रवेशक बाजार में आ रहे हैं तथा ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें एक विशिष्टि सेवा क्षेत्र में उनकी सेवाओं को आरम करते ही तुरंत सभी नेटवर्कों से कनेक्टिविटी प्राप्त करना संभव न हो । इस विनियम में किसी भी प्रकार से प्रभारों को विनिर्दिष्ट करने से माननीय टीडीएसएटी के दिनांक 03.05.2005 के ट्रांजिट प्रभारों के सिद्धांत की प्रयोज्यता के संबंध में दिनांक 03.05.2005 का आदेश तथा भारत संचार

निगम लिमिटेड के सैलवन समापक ट्रैफिक विनियम 2005 (2005 का 10) दिनांक 08.06.2005 हेतु ट्रांजिट प्रभार के संबंध में ट्राई के विनियम की प्रयोज्यता को किसी भी प्रकार से प्रभारित नहीं करेगा ।

गुद्दा 11 — प्रौद्योगिकियों 3जी सेवाओं तथा आईयूसी में उन्नति

5.52.1 इस मुद्दे पर पणधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे दिया गया है तथा उत्तरवर्ती पैराओं में कार्यवाही की गई है :--

- (i) 3जी या अन्य प्रौद्योगिकियों में कोई विभिन्नता नहीं होनी चाहिए ।
- (ii) भावी विकास तथा अन्य प्रौद्योगिकियों का आगमन एक प्रौद्योगिकीय नीति होगी जिसके लिए विशिष्ट समापक दरों का परिकलन संभव नहीं होगा ।
- (iii) जब वर्तमान में प्राप्त स्पष्टता की तुलना में स्पष्टता के उच्च स्तर पर 3जी हेतु बाजारी स्थितियां बनाई जाएं तब इस विषय पर विचार किया जाए ।
- (jv) नई प्रौद्योगिकियों के विकास पर उस स्तर पर विचार किया जाना चाहिए जब प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकरण आवश्यक हो जाए ।
- (v) यह महसूस किया गया कि अब उठाया गया कोई भी कदम इस प्रयास को निष्फल कर देगा तथा इसे बाद में इस पर पुनरावलोकन करने की आवश्यकता होगी ।
- (vi) यह महसूस किया गया कि उजी अनुप्रयोग समापन प्रभार को इन सेवाओं को आरंभ करने के इच्छुक प्रचालकों के बीच तय करने की अनुमित दी जाए ।
- (vii) 3जी मोबाइल सेवाओं के समापन प्रभार को निर्धारित किए जाने के मुद्दें पर बाद में विचार किया जाना चाहिए जब 3जी स्प्रेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के संबंध में अधिक स्पष्टता हो जाए ।
- (viii) नई प्रौद्योगिकियों में अंतरसंबद्ध परिदृश्य पर बाद में विचार किया जाना चाहिए ।
- (ix) ध्विन समापन के लिए आईयूसी केवल ध्विन के लिए रहना चाहिए । आंकड़ों को उपयोग के आधार पर नहीं बनाया जाना चाहिए । इस प्रकार उसे आईयूसी के विचार क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए ।
- (x) 2जी व 3जी दोनों के लिए समान समापन प्रभार
- (xi) एक पृथक परामर्श के माध्यम से बाद में 3जी समापन प्रभार पर विचार किया जाना चाहिए ।
- (xii) भविष्य में समापन पर कोई भी विचार प्रौद्योगिकी आधारित होना चाहिए ।
- (xiii) नई प्रौद्योगिकियों की जटिलताओं से निपटने के लिए 'बिल एंड कीप' अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक पसंदीदा पद्धति बनती जा रही है ।
- (xiv) बिल एंड कीप पद्धति प्रतिस्पर्धात्मक एवं प्रौद्योगिकी रूप से अवशून्य है तथा सभी प्रकार के नेटवर्कों के लिए एक समान प्रतिपूर्ति प्रदान करती है ।

- (xv) इस समय एनजीएन के लिए आईयूसी प्रभारों पर टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी ।
- (xvi) 3जी के लिए पृथक समापन प्रभार विहित करना भी जल्दबाजी होगी ।
- (xvii) नए विकास के प्रभाव पर तब विचार किया जाना चाहिए जब इस प्रकार के नेटवर्क भारत में स्थापित किए जाएं ।
- (xviii)एनजीएन के लिए आईयूसी प्रभारों के संबंध में इस समय टिप्पण करना जल्दबाजी होगा। सभी पणधारकों के बीच चर्चा किए जाने की आवश्यकता होगी।

5.12.2 मौजूदा आईयूसी विनियम 2जी नेटवर्कों पर केवल ध्विन कॉल समापक पर लागू होता है । 3जी ध्विन समापक प्रभारों को विनियमित करने के प्रश्न के संबंध में सेवा प्रदाताओं का सामान्य मत या तो यह रहा है कि यह 2जी ध्विन समापन प्रभार की भांति होना चाहिए अथवा जब बाद में जब सेवा प्रारंभ की जाए तथा बाजार की परिस्थितियों के बारे में अधिक स्पष्टता हो जाए तब इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए । यह भी सत्य है कि एमटीएनएल तथा बीएसएनएल ने अपने 3जी नेटवर्क आरंभ कर दिए हैं । यह विनियम जारी किए जाने के बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अन्य 2जी तथा उजी नेटवर्कों से आने वाली कॉलों के लिए बीएसएनएल तथा एमटीएनएल तथा अन्य सेवा प्रदाता क्या समापक प्रभार वसूलते हैं । 3जी समापक प्रभारों को विनियमित करने के विकल्प साधारण रूप से 2जी के साथ सममित तथा 2जी समापक प्रभारों के साथ असमित है अथवा इसे प्रविरत रखा जाए ।

5.12.3 जैसािक परामर्श—पत्र में इंगित किया गया था ध्विन समापन बाजार पर टर्मिनेटिंग नेटवर्क का एकािधकार है । यह 2जी तथा 3जी दोनों नेटवर्क के लिए सत्य है । मूल सबस्क्राइबर तथा सेवा प्रदाता दोनों ही इस बात का चयन करने में सक्षम नहीं होंगे कि क्या एक कॉल 2जी या 3जी नेटवर्क पर समाप्त होगी । इसका परिणाम मोबाईल नेटवर्क में तकनीिकी विशेषताओं तथा मोबाईल यंत्रों पर निर्भर करेगा जिसका कॉल प्राप्त करने वाली पार्टी उपयोग करती है । उपभोक्ता के दृष्टिकोण के मद्देनजर 3जी नेटवर्क को 2जी नेटवर्कों के भीतर रोमिंग की आवश्यकता होगी, उपभोक्ता इसमें भेद करने में सक्षम नहीं होंगे कि क्या नेटवर्क जिस पर वे रोमिंग कर रहे हैं वह 3जी है या 2जी । 2जी नेटवर्क पर ध्विन कॉल समापन सेवाओं को विनियमित करने का कारण 3जी नेटवर्क पर भी उसी प्रकार लागू होता है तथा इस सेवा के लिए प्रौद्योगिकीय अवशून्यता मार्गदर्शक प्रेरणा के रूप में सहायक हो सकती है । इस मामले में 2जी तथा 3जी ध्विन समापन हेतु एक समान प्रभार उचित प्रतीत होता है ।

5.12.4 2जी और 3जी के लिए असमित प्रभार हेतु 3जी केपेक्स तथा ओपेक्स, माइग्रेशन पैटर्न तथा 2जी और 3जी नेटवर्क के बीच बेहतर तालमेल की बेहतर समझ होनी जरूरी है। 2जी और 3जी पर ध्विन समापन का असमित विनियम एक या दूसरे नेटवर्क को इस आधार पर उपयोग करने हेतु अकार्यकुशल रूप से प्रोत्साहन देगा कि क्या समापक प्रभार राजस्व अधिक है अथवा विनियम कम है। इन सेवा प्रदाताओं को हमेशा कुछ आतंरिक सूचनाएं उपलब्ध हो सकती है जोिक ट्राई को पता न हो तथा जिसका इनके

छाप वाणिज्यिक रूप से दोहन किया जा सकता है । इसलिए इस प्रकार विनियम संसाधनों के अकार्यकुशल उपयोग का कारण बन सकता है ।

5.12.5 अगर 3जी के लिए समापन प्रभार को अप्रविरत रखा जाता है तो यह अनौचित्य रूप से उच्च स्तर पर जाकर ठहर सकता है जिससे इसी प्रकार की ध्विन सेवाओं के लिए एक समान अवसर समाप्त हो सकता है । अगर ऐसा होता है तो नेटवर्क पर ट्रैफिक आतंरिक रूप से समाप्त हो सकता है जिससे सेवा प्रदाताओं को मौद्रिक लाभ प्राप्त होगा ।

6. अंतरसंयोजन उपयोग प्रभारों का आकलन

- 6.1 लागत क्रियाविधि में बड़ी संख्या में उन सभी कारकों को शामिल किया गया जो निष्पक्ष, पारदर्शी, अग्रिम सोच, ठोस आर्थिक आधार वाले, आईयूसी प्रणाली के अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा करने वाले तथा भारतीय वास्तविकता को दर्शाने वाले हों । सेवा प्रवाताओं और अन्य पणधारकों के दावों और प्रतिदावों की सावधानीपूर्वक जांच की गई । पणधारकों द्वारा सुझाई गई अपनाई जाने वाली लागत क्रियाविधियों और दृष्टिकोणों पर ध्यान दिया गया । वर्तमान आईयूसी में प्रयुक्त दृष्टिकोण की पूंजी और प्रचालनात्मक लागत वसूली, अपेक्षित डाटा की उपलब्धता, प्रयुक्त धारणाओं की विश्वसनीयता, यदि कोई हो, और अग्रिम सोच संबंधी विशेषताओं के निपटान की दृष्टि से बारीकी से जांच की गई । विभिन्न कारणों से जिनमें से कई पर खंड 5.3 में चर्चा की गई है, पूर्णतया आवंटित लागत क्रियाविधि जिसमें समापन प्रभार हेतु संगत ओपेक्स का प्रयोग होता है, को वर्तमान समीक्षा हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माना गया । भारतीय बाजार अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है । अभी भी नए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और समान अवसर वाले क्षेत्र को सुनिश्चित करना अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के लिए खोले जाने के समय था ।
- 6.2 टॉप—डाउन दृष्टिकोण के साथ पूर्णतया आवंटित लागत क्रियाविधि का उपयोग करके समापन प्रभार का निर्धारण करने में प्राधिकरण को दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करना पड़ा । पहला उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना था । दूसरा उद्देश्य व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं के एएसआर डाटा की गोपनीयता को बनाए रखना था जैसािक उन्होंने अनुरोध किया था । पहले उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त सभी डाटा और संगणनाओं को इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है । गोपनीयता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकरण ने व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं के डाटा के स्थान पर समेकित डाटा प्रकाशित करने का निर्णय लिया ।

6.3 मोबाइल समापन प्रभार

6.3.1 चयनित क्रियाविधि को पारदर्षी और न्यायसंगत तरीके से लागू किया जाता है । इस प्रक्रिया में मोबाइल समापन प्रभार हेतु अपेक्षित बुनियादी इनपुट नेटवर्क द्वारा संचालित प्रयोग मिनट (एमओयू) तथा संगत ओपेक्स है । पारदर्शी अपेक्षा के होते हुए भी व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं के डाटा का उपयोग उस व्यक्ति के कारोबारी निर्णयों को शामिल करेगा जो ओपेक्स तथा उनके प्रचालन की अक्षमताओं को प्रभावित करेगा । यह अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सेवा प्रदाताओं की ओर सकेत करेगा. चयनित सेवा प्रदाता को अति दक्ष बनाएगा और कारोबारी प्रचालन की नम्यता को खत्म कर देगा । एक व्यक्तिगत सेवा प्रदाता की क्षमता का उचित उपयोग करने की अयोग्यता के फलस्वरूप कम एमओय होगा और इससे समापन प्रभार भी प्रभावित होगा । इसके अतिरिक्त, केवल समापन प्रभार मूल्य द्वारा ही किसी सेवा प्रदाता की दक्षता का पता नहीं लगाया जा सकता है । दूसरी ओर, उद्योग के समग्र संगत ओपेक्स का उपयोग करने से सभी व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं को अपने चयनित कारोबारी मॉडल को आगे बढाने और प्रचालन दक्षता को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का मौका मिलेगा । अतः प्राधिकरण ने वायरलेस उद्योग के कुल संगत ओपेक्स का उपयोग करके उसे उसी अवधि में वायरलेस नेटवर्क द्वारा संचालित कुल मिनट संख्या से भाग देकर समापन प्रभार का आकलन करने का निर्णय लिया ।

6.3.2 प्राधिकरण ने उद्योग के विश्वसनीय डाटा के स्रोत के तौर पर लेखांकन पृथक्करण विनियम, 2004 के प्रफोर्मा बी पर विश्वास जताया । प्रफोर्मा के प्रत्येक लागत शीर्ष / मद को सारणी 6.1 में दिया गया है । लागत के प्रत्येक शीर्ष के संघटक एएसआर विनियम के भाग हैं और उन्हें यहां वर्णित नहीं किया गया है । लागत के किसी शीर्ष में शामिल किए गए सभी उप—शीर्ष भी स्वतः शामिल हो जाते हैं । जैसािक वर्तमान प्रक्रिया में खंड 5.5 में स्पष्ट किया गया है कुल वीएएस राजस्व को कुल ओपेक्स में से नहीं घटाया गया है । कुल राजस्व के वीएएस राजस्व के अनुपात का प्रयोग कुल संगत ओपेक्स के उपयुक्त प्रतिशत को घटाने योग्य रूप में लिया गया है । चूंिक वीएएस राजस्व कुल राजस्व का लगभग 10 प्रतिशत है अतः ओपेक्स के केवल 10 प्रतिशत को वीएएस की गणना हेतु घटाया गया है ।

सारणी 6.1 : लेखांकन पृथक्करण रिपोर्ट के प्रफोर्मा बी का सार (लाम और हानि विवरण—सेवा) रिपोर्ट				
विवरण	टिप्पणी			
सकल राजस्व	उद्योग के सकल एआरपीयू का अनुमान लगाने हेतु प्रयुक्त			
लागत मद	निपटान			
(अंतरसंयोजन प्रभार) से गुजरने वाले	शामिल नहीं किया गया			
लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार	समापन प्रभार हेतु अनुपातिक रूप से शामिल			
नियोजन लागत	शामिल			
प्रशासनिक लागत	शामिल			
बिक्री और विपणन	शामिल नहीं किया गया			
अनुरक्षण लागत	शामिल			
नेटवर्क प्रचालन लागत	शामिल			
मृल्यहास और ऋणशोध	शामिल नहीं किया गया			
वित्त प्रभार	शामिल नहीं किया गया			
अन्य लागत [नियत परिसंपत्तियों की (नेट) की बिक्री की हानि	शामिल			
को छोड़कर}				

6.3.3 जैसाकि सारणी में देखा जा सकता है अक्तूबर, 2003 में पूर्ववर्ती आईयूसी विनियमों में छोड़ी गई मदों को पुनः छोड़ दिया गया है । 'बिक्री और विपणन' लागत मद मूलतः वे हैं जो प्रत्येक प्रचालक अपने कारोबार को बढ़ाने पर खर्च करता है और अंतरसंयोजन प्रचालकों पर इस लागत का भार डालना तर्कसंगत नहीं है । उदाहरण के लिए, कोई कंपनी अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसी सेलिब्रिटी को बोर्ड में ले सकता है और इस निर्णय की लागत को अंतरसंयोजन नेटवर्क पर पास नहीं किया जाना चाहिए । वित्त प्रभार, मूल्यहास और ऋणशोध मूलतः केपेक्स की वसूली के स्वरूप के हैं और इसलिए इन्हें संगत ओपेक्स की गणना हेतु प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

6.3.4 एमटीसी के प्राक्कलन हेतु प्रयुक्त डाटा को वित्त वर्ष 2007–08 के एएसआर से लिया गया है । सारणी 6.2 में वायरलेस उद्योग का समेकित डाटा निहित है ।

क्र.सं.	सारणी 6.2 : वायरलेस खंड के लाभ और हानि खाते के विवरण	करोड़ रूपये में
1.	कुल राजस्व	78738.89
2.	कूल व्यय	61902.05
	घटा :	
3.	मूल्यहास	11598.11
4.	वित्त लागत	287.74
5.	कुल प्रचालनात्मक व्यय (ओपेक्स)	50016.20
	घटा :	
6.	बिक्री और विपणन	8717.17
7.	से पास (अंतरसंयोजन प्रभार)	14839.20
8.	लाइसेंस शुल्क	6152.75
9.	संगत ओपेक्स	20307.08
10.	ईबीआईडीटीए मार्जिन	36.5 प्रतिशत
11.	कल ओपेक्स के संगत ओपेक्स का प्रतिषत	40.60 प्रतिशत
12.	प्रति प्रयोक्ता (एआरपीयू–सकल) सकल औसत राजस्व	
	रूपये / माह	308
	वित्त वर्ष 2007–08 की लेखांकन पृथक्करण रिपोर्ट	

6.3.5 मोबाइल समापन प्रभार का प्राक्कलन

प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2007-08 के लिए सेवा प्रदाताओं के पी एंड एल खातों की जांच की और उनका विश्लेषण किया । यह नोट किया गया कि प्रति प्रयोक्ता (एआरपीयू-सकल) औसत सकल राजस्व पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2007-08 की अवधि में गिरावट का रूख दर्शाता है जबकि उद्योग का ईबीआईटीडीए मार्जिन उसी अवधि में लगभग 35 से लगभग 36 प्रतिशत बढ़ा ।

6.3.6 जब उस अवधि में सबस्क्राइबरों की संख्या में वृद्धि की जांच की गई तो यह नोट किया गया कि केवल जनवरी, 2009 में ही उद्योग में 15 मिलियन से अधिक सबस्क्राइबर जुड़े जबकि वर्ष 2008 में प्रतिमाह औसत लगभग 9 मिलियन थी । अतः एमटीसी के प्राक्कलन हेतु भावी वर्षों के लिए प्रति सबस्क्राइबर संगत ओपेक्स पर पहुंचने के लिए प्राधिकरण ने ईबीआईटीडीए मार्जिन और उद्योग का एआरपीयू का अनुमान लगाया। प्राधिकरण ने नोट किया कि उद्योग ईबीआईटीडीए मार्जिन को निरंतर बनाए हुए हैं और वस्तुतः दो सूचीबद्ध दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 40 प्रतिशत से 42 प्रतिशत की रेंज में अपना ईबीआईटीडीए मार्जिन घोषित किया है। तथापि, प्राधिकरण इस बात से सचेत है कि भविष्य में अधिक विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में होगा जिससे सेवा प्रदाताओं के ईबीआईटीडीए मार्जिन पर दबाव पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने विचार किया कि यह अधिक उचित होगा कि 32 प्रतिशत ईबीआईटीडीए मार्जिन आने वाले वर्षों के लिए एम टीसी का अनुमान लगाते हुए उद्योग के लिए लिया जाए, प्राधिकरण आशा करता है कि पिछले वर्षों के रूझानों के आधार पर समग्र एआरपीय वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 280 रू. होगा । वर्ष 2007-08 और पिछले वर्षों के एएसआर आंकडों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि संगत ओपेक्स का प्रतिशत जिसे एमटीसी के लिए विचार किया जाना चाहिए 43 प्रतिशत होना चाहिए। ये अनुमान लेखा पृथक्करण रिपोर्ट में उपलब्ध वित्तीय और गैर वित्तीय सूचना पर आधारित है। प्राधिकरण ने विभिन्न नेटवर्कों पर एमओयू के पैटर्न की सर्कलवार जांच की और पाया कि प्रति उपभोक्ता प्रति महीने उपयोग का औसत मिनट (एमओयू) उसी अवधि के लिए 440 से 450 तक बढ़ गया है। तथापि, आगे यह देखा गया है कि वर्ष 2008-09 की पहली तीन तिमाहियों में एमओयू में गिरावट देखी गई है। उपर्युक्त मानकों और अनुपातों के आधार पर , यह अनुमान लगाया गया था कि संगत ओपेक्स प्रति उपभोक्ता प्रति महीने 82 रू. होगा। इसमें आगे समायोजन किया गया जैसाकि पहले ही स्पष्ट किया गया है कि वीएएस राजस्व को ध्यान में रखा गया है। वीएएस के लिए समायोजित संगत ओपेक्स प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह 74 रू. आता है। प्रति उपभोक्ता समायोजित संगत ओपेक्स को एमटीसी प्राप्त करने के लिए एमओयू से विभाजित किया गया जो प्रति मिनट 0.20 रू. आता है। गणना का विवरण निम्नलिखित तालिका 6.3 में दिया गया है।

तालिका 6.3 : मोबाइल समापन प्रभार (एमटीसी)					
विवरण	यूनिट	धनराशि			
प्रति प्रयोक्ता समग्र औसत राजस्व	ক.	280			
(एआरपीयू—समग्र) प्रति माह					
ईबीआईटीडीए मार्जिन	%	32%			
कुल प्रचालन खर्च (मूल्यहास एवं वित्त प्रभार को छोड़कर)	₹5.	190			
कुल ओपेक्स की तुलना में संगत ओषेक्स का प्रतिशत	%	43%			
संगत ओपेक्स	₹5.	82			
घटाना – संगत ओपेक्स का आवंटन (10%) वीएएस के	₹6.	8			
लिए <u> </u>					
संगत ओपेक्स (वीएएस) के लिए समायोजित	₹ 0 .	74			
प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह मिनट का उपयोग	मिनट	425			
लाइसेंस एवं स्पेक्ट्रम शुल्क के बिना एमटीसी	रू, प्रति मिनट	0.17			
लाइसेंस एवं स्पेक्ट्रम शुल्क	%	12%			
लाइसेंस एवं स्पेक्ट्रम शुल्क के साथ एमटीसी	रू. प्रति मिनट	0.20			

6.4 फिक्स्ड (नियत) समापन प्रभार

6.4.1 जैसािक बीएसएनएल के पास वायरलेस व्यापार (~78 %) का सबसे बड़ा भाग है, बीएसएनएल वायरलेस नेटवर्क के आंकड़ों को मुख्य आदान के रूप में लिया गया है लेकिन यही नियत समापन प्रभार (एफटीसी) की गणना के लिए एकमात्र आदान नहीं है। किसी दूसरे फिक्सड नेटवर्क से संबंधित आंकड़े पदस्थ नेटवर्क के आकार की अपेक्षा काफी छोटे नेटवर्क पर आधारित हैं, परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में बीएसएनएल द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर, एमओयू प्रति उपभोक्ता, प्रति माह 511 आता है और अनुमानित एफटीसी 48 पैसे आता है। प्राधिकरण ने यह लागत आंकड़े और मिनट पहले की गई एक्सरसाइज से लिए हैं जब एफटीसी 23 पैसे प्रति मिनट था। दोनों गणनाओं में मुख्य अंतर बीएसएनएल द्वारा दर्शाए गए प्रति उपभोक्ता कम एमओयू के कारण है। पिछली एक्सरसाइज में एमओयू प्रति उपभोक्ता 950 लिया गया था। चूंकि बीएसएनएल ने अपने प्रस्तुति में अत्यधिक कटौती दर्शाई है। प्राधिकरण ने इस मामले का और विस्तार से विश्लेषण करने का निर्णय लिया है।

6.4.2 बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में अन्य सेल्युलर आपरेटरों से बीएसएनएल फिक्सड नेटवर्क में आने वाले इनकिमेंग मिनटों की संख्या में स्पष्ट विसंगति दिखती है। बीएसएनएल ने फिक्सड समापन प्रभार की अपनी गणना में 1823 करोड़ मिनट दिखाया गया है। इन मिनटों की सेल्युलर आपरेटरों द्वारा ट्राई को दी गई त्रैमासिक रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से प्रति जांच की गई। अन्य सेल्युलर आपरेटरों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार ये मिनट वर्ष 2007—08 के लिए 3114 करोड़ हैं। इन वर्ग में अकेले ही बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत मिनटों में 70 प्रतिशत का भारी अंतर है। अन्य मिनट जैसे बीएसएनएल फिक्सड से बीएसएनएल फिक्सड लाइन आदि की किसी दूसरे स्रोत से जांच नहीं की गई। इस अंतर को यदि उसी अनुपात में अन्य प्रकार की कालों पर भी लागू किया जाता है तो यह वायर लाइन के लिए अलग समापन प्रभार होगा, लेकिन जैसाकि मोबाइल सेवा अपनी पूरी सामर्थ्य से बढ़ रही है, कुल इनकिमंग और आउटगोइंग मिनटों में इस तरह की अत्यधिक कमी अतार्किक प्रतीत होती है।

6.4.3 यद्यपि लेखांकन पृथक्करण विनियम, 2004 के अंतर्गत एमओयू प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बीएसएनएल ने अपने फिक्सड लाइन नेटवर्क के लिए अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की है जिससे आंकड़ों की समुचित लेखापरीक्षा की जा सकती थी । वर्तमान आईयूसी एक्सरसाइज के लिए बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़े, इस तथ्य के बावजूद कि एमओयू फिक्सड समापन प्रभार की गणना के लिए संकेतक के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा, समापन प्रभार की गणना के लिए एकमात्र कसौटी के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। एकाउंटिंग सैपेरेशन रेगुलेशन में ट्रैफिक हैंडलिंग कैपसिटी और अरलैंग्स स्विचिंग नेटवर्क के कैपसिटी प्रयोग के बारे में भी सूचना देना अपेक्षित है (ट्रैफिक ब्यौरे के शीर्ष के अंतर्गत) लेकिन बीएसएनएल द्वारा यह सूचना नहीं दी गई। स्विचिंग नेटवर्क कैपसिटी प्रयोग के अभाव में, प्राधिकरण ने निवेश उपयोग का पता लगाने के लिए टर्नओवर अनुपात (राजस्व/नियोजित पूंजी) का प्रयोग किया जो सामान्य राजस्व के लिए संसाधनों के उपयोग को दर्शाता है। प्राधिकरण ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए बीएसएनएल के एकाउंटिंग सैपरेशन रिपोर्ट के अनुसार टर्न ओवर अनुपात लगभग 35 प्रतिशत था, जबकि स्वीकार्य मानकों के अनुसार जैसािक प्राधिकरण ने अपने अन्य आदेशों

में अंगीकार किया है यह 60 से 70 प्रतिशत की रेंज में होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए मोबाइल उद्योग का टर्नओवर अनुपात 91 प्रतिशत है।

6.4.4 प्राधिकरण ने आगे इस तथ्य को नोट किया है कि 2003 के विनियम में समापन प्रभारों का परिकलन करने के लिए 950 एमओयू का उपयोग किया गया था, इसलिए बीएसएनएल का नेटवर्क 950 एमओयू को संभालने हेतु सक्षम है । सैद्धांतिक आयोजना क्षमता पूर्णरूप से प्राप्त नहीं की गई है परंतु अगर उपयोगिता के एक स्तर की प्राप्ति कर ली गई है तो कमी प्रचालक विशिष्ट कारणों के चलते हो सकती है । सामान्य रूप से स्वीकृत लागत सिद्धांतों के अनुसार मूल्यवर्ग, विक्रय या विक्रय योग्य इकाईयों से अधिक होना चाहिए । इसलिए स्थिर समापन प्रभार के परिकलन के लिए यह 950 एमओयू को मूल्यवर्ग के सामान्य रूप से स्वीकृत लागत सिद्धांत के अनुरूप होगा ।

6.4.5 इसे ओपेक्स दृष्टिकोण से देखें तो यह पाया गया कि मोबाइल सेवा के लिए बीएसएनएल ईबीआईटीडीए मार्जिन लगभग 65 प्रतिशत है जोकि इस उद्योग के 35 प्रतिशत के औसत से कहीं अधिक है । जो स्पष्ट रूप से फिक्स्ड लाइन सेवा की ओर अधिक प्रचालनात्मक लागत आवंटन को दर्शाता है ।

6.4.6 प्राधिकरण एफटीसी का दो तरीकों से अनुमान लगाती है (क) बीएसएनएल द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में 950 एमओयू के साथ उपलब्ध कराए गए लागत आंकड़ों के आधार पर (ख) मोबाइल समापन प्रभार के लिए 32 प्रतिशत का ईबीआईटीडीए मार्जिन लेते हुए तथा अनुमानित एआरपीयू 400 रूपये प्रतिमाह बनता है । ईबीआईटीडीए का यह समायोजन इस आधार पर औचित्यपूर्ण है कि बीएसएनएल ने मोबाइल सेवाओं के लिए 65 प्रतिशत का ईबीआईटीडीए मार्जिन दर्शाया है जोकि औसत मोबाइल उपयोग के ईबीआईटीडीए मार्जिन से अधिक है । दूसरे ओपेक्स के एक भाग को लेवल—।। टीएएक्स से एसडीसीसी तक कैरिज/ट्रांजिट प्रभार द्वारा सृजित राजस्व के भाग द्वारा वसूला जाता है । इस पद्धित का उपयोग करते हुए : (क) अनुमानित एफटीसी 950 एमओयू आधारित बीएसएनएल द्वारा दिए गए लागत आंकड़ों के अनुसार लगभग 26 पैसा मिनट आता है । यदि बीएसएनएल मोबाइल सेवा के ईबीआईटीडीए मार्जिन को मोबाइल उद्योग के औसत ईबीआईटीडीए मार्जिन के साथ संरेक्षित किया जाए तो यह अनुमान आगे और कम हो जाएगा । इस पद्धित का उपयोग करते हुए (ख) ईबीआईटीडीए मार्जिन पर आधारित एफटीसी का उपयोग करते हुए टिर्मिनेशन प्रभाग 0.20 रूपये प्रति मिनट निकलता है । तालिका 64 का अवलोकन किया जा सकता है :—

तालिका 6.4 फिक्स्ड समापन प्रमार का आंकलन				
विवरण	इकाई	राशि		
प्रति उपयोगकर्ता सकल औसत राजस्व	रूपर्य	400		
ईबीआईटीडीए मार्जिन	प्रतिशत	32 प्रतिशत		
कुल प्रचालनात्मक व्यय (मूल्यहास तथा वितीय प्रभार के अलावा)	रूपये	272		
कुल ओपेक्स में संगत ओपेक्स का प्रतिशत	रूपये	65 प्रतिशत		
संगत ओपेक्स	रूपये	177		
प्रति उपयोगकर्ता प्रतिमाह उपयोग के मिनट	मिनट	950		
बिना लाइसेंस फीस के एफटीसी	रूपये प्रति मिनट	0.19		
लाइसेंस फीस	प्रतिशत	८ प्रतिशत		
बिना लाइसेंस फीस के एफटीसी	रूपये प्रति मिनट	0.20		

6.4.7 इन गणितीय परिकलनों से इतर प्राधिकरण ने फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं के दृष्टिकोण तथा ग्राहक के दृष्टिकोण से मामले की गुणवत्ता जांच की है । सेवा प्रदाताओं के म्द्देनजर अगर उच्च स्थिर प्रभार विहित किए जाते हैं तो यह मोबाइल नेटवर्कों के हित में ट्रेफिक को मोड़ देगा तथा फिक्स्ड लाइन की ओर ट्रैफिक को कम कर देगा । इससे नेटवर्क का कम उपयोग होगा तथा एफटीसी में और अधिक वृद्धि होगी । ग्राहक के दृष्टिकोण से मोबाइल पर समापन तथा फिक्स्ड लाइन पर समापन आंशिक रूप से प्रतिस्थापी सेवा है तथा इसलिए ग्राहक को इनमें से एक सेवा के लिए उच्च समापन होगा देना होगा । चूंकि इससे किसी भी सेवा प्रदाता के नेटवर्क का कम उपयोग होता है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने मोबाइल तथा फिक्स्ड लाइन के लिए एक समान समापन प्रभार जारी रखने का निर्णय लिया ।

6.5 कैरिज प्रभार

6.5.1 वर्ष 2007—08 के लिए राष्ट्रीय लंबी दूरी के मुख्य प्रचालकों (एनएलडीडीएस) के विश्लेषण से यह उद्घटित होता है कि कुछ सेवा प्रदाता जो मुख्यतः उच्च ट्रैफिक रूटों पर कॉल को ले जाते हैं वे नियोजन पूंजी पर लाभ (आरओसीई) 29 प्रतिशत तक अधिक है । उच्च आरओसीई एनएलडी सेग्मेंट में उच्च ट्रैफिक रूटों पर उच्च मार्जिन को दर्शाता है । तथापि, वहीं पूर्णरूप से देश में मौजूदगी वाले सेवा प्रदाता तथा लगभग सभी एसडीसीए में अवसंरचना वाले सेवा प्रदाताओं की धारणीयता को नए कैरिज प्रभार विहित किए जाने से पहले देखना होगा । यह पाया गया कि वे सेवा प्रदाता जिनकी पूर्ण देश में मौजूदगी है वे लगभग 15 प्रतिशत का आरओसीई का सृजन करने में सक्षम है । इसिलए कैरिज प्रभार के लिए कम सीलिंग प्रभार विहित करना औचित्यपूर्ण नहीं होगा । अगर बीएसएनएल के लिए कम प्रभार विहित किया जाता है अथवा कोई अन्य सेवा प्रदाता जिसकी स्वयं दूरदराज तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूदगी है, इस प्रकार की सेवाओं की एनएलडी प्रचालन की धारणीयता को धक्का लगेगा तथा सेवा प्रदाता इस प्रकार के दुर्गम क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने से हतोत्साहित होंगे ।

6.5.2 उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण ने प्रति मिनट 65 पैसा की अधिकतम सीमा को बनाए रखने का निर्णय लिया ताकि बीएसएनएल तथा इसी स्थिति में अन्य प्रचालक द्वारा लागत को वसूला जा सके । प्राधिकरण यह भी आशा करता है कि एनएलडीडी में एक्सेस प्रदाताओं को उच्च ट्रेफिक रूट पर कम कैरिज प्रभार प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्धा करनी होगी ।

6.6 स्तर-।। टीएएक्स से एसडीसीसी के लिए ट्रांजिट / कैरिज प्रमार

6.6.1 जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि बीएराएनएल द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े में सेल्युलर प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की तुलना में बीएसएनएल नेटवर्क पर अन्य सेल्युलर प्रचालकों द्वारा आने वाली कॉलों के मिनटों में स्पष्ट विसंगति दिखाई देती है । बीएसएनएल ने 2007-08 के लिए लेवल-।। टीएएक्स से एसडीसीसी तक कैरिज प्रभार का परिकलन करने के लिए सेल्युलर मोबाईल से फिक्स्ड लाइन तक 1823 करोड़ मिनट लिए । इन मिनटों के आधार पर बीएसएनएल ने 24 पैसा/मिनट

का प्रभार दर्शाया है । तथापि, जब इन मिनटों को सेल्युलर प्रचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से मिलाया गया तो यह लगभग 3114 करोड़ मिनट निकला जोकि 70 प्रतिशत की बड़ी मिन्नता का पता लगता है । अगर मिनटों में शुद्धता, सेल्युलर प्रचालकों तथा बीएसएनएल फिक्स्ड लाइन पर लागू की जाती है तो यह 0.15 रूपये बनता है ।

6.7 अंतरा एसडीसीए ट्रांजिट प्रभार

6.7.1 बीएसएनएल ने अंतरा एसडीसीए अथवा टीएएक्स ट्रांजिट प्रभारों के लिए परिकलन करने का अनुरोध किया गया था तथापि, उन्होंने इंट्रा एसडीसीए या टीएएक्स ट्रांजिट प्रभारों के संबंध में लागत आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं । आंकड़ों की अनुपलब्धता में प्राधिकरण ने उसी सिद्धांत को जारी रखने का निर्णय लिया जिसके बारे में अक्तूबर, 2003 के प्रधान विनियम में निर्णय लिया गया था, अर्थात् यह प्रमार स्तर—।। टीएएक्स से एसडीसीसी कैरिज/ट्रांजिट प्रभार के लिए लागू प्रभार से कम होना चाहिए।

6.7.2 चूंकि ट्रांजिटिंग की लागत यहां विहित मूल्य से कम होनी चाहिए क्योंकि काल की ट्रांजिटिंग के लिए कोई कैरिज शामिल नहीं हैं । प्राधिकरण यह आशा करता है कि बीएसएनएल इस सीलिंग से नीचे कॉल ट्रांजिटिंग करने के लिए सेवा प्रदाताओं पर एक युक्तिसंगत प्रभार उद्ग्रहित करेगी ।

7. इन विनियमों में निर्घारकों का सार

- (i) सभी प्रकार की घरेलू कॉलों के समापन प्रभार को 30 पैसा प्रति मिनट से कम करके 20 पैसा प्रति मिनट कर दिया गया है ।
- (ii) आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए समापन प्रभार मौजूदा 30 पैसा प्रति मिनट की तुलना में 40 पैसा प्रति मिनट होगा ।
- (iii) घरेलू लंबी दूरी की कॉलों के लिए सीलिंग को 65 पैसा प्रति मिनट ही बरकरार रखा गया है । रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को विहित कर दिया गया है ।
- (iv) कोई भी प्रारंभन प्रभार विनिर्विष्ट नहीं किया गया है । प्रारंभन सेवा प्रदाता अन्य आईयूसी के भुगतान के बाद बचे शेष से प्रारंभन प्रभार को अपने पास रखेगा ।
- (v) स्तर-।। ट्रंक ओटोमेटिक एक्सचेंज से शार्ट डिस्टेस चार्जिंग एरिया (एसडीसीए) तक ट्रांजिट/कैरिज प्रभार 15 पैसे प्रति मिनट होगा ।
- (vi) इंट्रा एसडीसीए तथा टीएएक्स प्रभार 15 पैसा प्रति मिनट से कम होना चाहिए।
- (vii) एसएमएस के लिए आईयूसी प्रविरत बना रहेगा निर्वापि, यह प्रभार पारदर्शी, अन्योन्य तथा भेदभावपूर्ण नहीं होने चाहिए । रिर्पोटिंग अपेक्षाएं विहित की गई हैं ।
- (viii) उस ध्विन कॉलों के लिए समापन प्रभार 2जी ध्विन कॉलों के समान ही रहेगा।
- (ix) नए प्रभार 1 अप्रैल, 2009 से लागू होंगे ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2009

THE TELECOMMUNICATION INTERCONNECTION USAGE CHARGES (TENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2009 (2 OF 2009)

F. No. 409-12/2008-FN.— In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003(4 of 2003), namely:-

- 1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Tenth Amendment) Regulations, 2009.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2009.
- 2. In the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003), (hereinafter referred to as the principal regulations), -------
- (a) in regulation 4, after the entry "Schedule III Access Deficit Charge (ADC)", the following entry shall be inserted, namely:-
- "Schedule IV Interconnect Usage Charge (IUC) for Short Message Service (SMS)";
- (b) in regulation 5, after sub-regulation (iv), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-
 - "(v) Reporting Requirement for carriage charges for long distance calls within India specified under paragraph (a) of Schedule II. Every National Long Distance Operator shall, on quarterly basis, report to the Authority the per minute rate of carriage charge and the total amount of such carriage charge for long distance calls within India received by it BSO/CMSP/UASL/ILDO, separately, and every from every BSO/CMSP/UASL/ILDO shall, on quarterly basis, report to the Authority, the per minute carriage charges for long distance calls within India and the total amount of such carriage charge for long distance calls within India paid by them to every National Long Distance Operator, separately, and such quarterly report shall be submitted to the Authority within thirty days of the end of the previous quarter.

- (vi) Reporting Requirement of Interconnection Usage Charge for Short Message Service (SMS) specified under paragraph (1) of Schedule IV. Every BSO/CMSP/UASL/NLDO/ILDO shall, on quarterly basis, report to the Authority, the rate of Interconnect Usage Charge for SMS and the total amount of such Interconnect Usage Charge for SMS received by it from other BSO/CMSP/UASL/NLDO/ILDO and paid by it to other BSO/CMSP/UASL/NLDO/ILDO, separately, and such quarterly report shall be submitted to the Authority within thirty days of the end of the previous quarter."
- 3. In Schedule I to the principal regulations, for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"1. Termination Charges

Termination charge for Local and National Long Distance voice calls to Fixed Wireline, Wireless in Local Loop (Fixed), Wireless in Local Loop (Mobile), Cellular Mobile Telephone Service (both 2G and 3G) shall be uniform at the rate of Re. 0.20(twenty paise only) per minute and the termination charge for incoming International Long Distance voice calls to such Fixed Wireline, Wireless in Local Loop (Fixed), Wireless in Local Loop (Mobile), Cellular Mobile Telephone Service (both 2G and 3G) shall be uniform at the rate of Re. 0. 40 (forty paise only) per minute.".

- 4. In Schedule II to the principal regulations,-----
- (a) in paragraph (b), for the words and figures "should be lower than Rs. 0.20 per minute", the words and figures "shall be less than Re. 0.15(Fifteen paise only) per minute" shall be substituted;
- (b) after paragraph (c), and before Notes to the Schedule II, the following paragraphs shall be inserted, namely:-
 - "(d) Trunk Automatic Exchange (TAX) transit charges. Trunk Automatic Exchange transit charge in all cases, other than transit charge for accessing the Cellular Mobile Telephone Service of Bharat Sanchar Nigam Limited by Cellular Operators which is governed by the Telecom Regulatory Authority of India (Transit Charges for Bharat Sanchar Nigam Limited's CellOne Terminating Traffic) Regulation, 2005 (10 of 2005), shall be less than Re.0.15 (Fifteen paise only) per minute and, subject to the said limit, may be decided by the concerned service providers through mutual commercial arrangement.
 - (e) Transit Carriage Charge from Level II Trunk Automatic Exchange (TAX) to SDCA. Transit carriage charge for carriage of intra-circle traffic handed over from Cellular Mobile networks to Fixed network, from Level II Trunk Automatic Exchange (TAX) of LDCA in which the call is to be terminated, to SDCA, shall be Re. 0.15 (Fifteen paise only) per minute, irrespective of distance.".

5. After Schedule III to the principal regulations, the following Schedule shall be inserted, namely:-

"Schedule IV

INTERCONNECT USAGE CHARGE (IUC) FOR SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)

Interconnect Usage Charge (IUC) for Short Message Service (SMS).-Interconnect Usage Charge (IUC) for Short Message Service (SMS) shall be under forbearance:

Provided that such charges shall be transparent, reciprocal and non-discriminatory.".

LAV GUPTA, Principal Advisor (Interconnection & Fixed Network Division) [ADVT III/4/142/2008/Exty.]

Note 1. The principal regulations were published *vide* F. No. 409-5/2003-FN dated 29th October 2003 (4 of 2003) and subsequently amended *vide* notification Nos—

- (i) 409-5/2003-FN dated 25th November 2003 (5 of 2003) (First Amendment);
- (ii) 409-5/2003-FN dated 12^{th} December 2003 (6 of 2003) (Second Amendment);
- (iii)409-5/2003-FN dated 31st December 2003 (7 of 2003) (Third Amendment);
- (iv) 409-8/2004-FN dated 6th January 2005 (1 of 2005) (Fourth Amendment);
- (v) 409-8/2004-FN dated 11th April 2005 (7 of 2005) (Fifth Amendment), which has been set aside by Hon'ble TDSAT vide its Order dated the 21st September, 2005 in appeal No. 7 of 2005;
- (vi) 409-5/2005-FN dated 23rd February 2006 (1 of 2006) (Sixth Amendment);
- (vii) 409-5-2005-FN dated 10th March 2006 (2 of 2006) (Seventh Amendment);
- (viii) 409-2-2007-FN dated 21st March 2007 (2 of 2007) (Eighth Amendment);
- (ix)409-22/2007-FN dated 27th March 2008 (2 of 2008) (Ninth Amendment).

Note 2. The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of these regulations.

Explanatory Memorandum to "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Tenth Amendment) Regulations, 2009"

- 1. Introduction Interconnection and Interconnection Usage Charges(IUC)
- 1.1 Telephony offers maximum benefits to consumers if network effects are exploited to the largest extent possible. This would enable each consumer to reach as many other consumers as possible. In the situation of plurality of operators and networks that exists in India the consumers calling each other are quite likely to be on different networks and to take benefits of network effect in such a situation it is absolutely essential that these networks interconnected. A variety of access networks fixed and mobile, national long distance and international long distance networks have to interconnect with each other to make local, national and international calls possible. This plurality makes the types and numbers of interconnections large and needless to mention easy to slide into disorder if not managed effectively. It would not be an overemphasis to say that efficient interconnection is central to virtually all public policies opening competitive opportunities in telecommunications.
- 1.2 While the public interest motive for interconnection is strong, individual operators may view it in different light. Whether they are cooperating networks like access and long distance or competing networks like two access service providers in the same area, the tendency to transfer network cost to other service providers, realize as much revenue as possible, impede competition and maintain or increase their market share as best as possible cannot be rules out. The incumbent, public or private, would not want the new competitors to take advantage of their network, take away their business and earn high profits. This may lead to protracted and costly negotiations and a game of brinkmanship at the

cost of efficient services to the customers that, in the first place, was the aim of telecom reforms and increasing competition. It is in the interest of the public that effective interconnections take place. The incumbent operators may feel that commercial benefits of interconnection accrue principally to the smaller network giving them advantage of greater perceived value because of network effect. They may therefore impede interconnection by charging a high price when regulation so allows or delay when rates are mandated by regulation. A large network may also seek to foreclose entry by charging high interconnection prices that eliminate or weaken smaller competitors for the same pool of retail customers. It is obvious then for some service providers that interconnection looms as a potential threat to their market share while for others it may be basic input for carrying on business. In addition any network will, other things being equal, benefit from high interconnection charges that enhance its revenues. For these reasons it would be unwise to think that interconnections would happen freely and fairly under all circumstances. Regulators, therefore, are expected to play a crucial role of providing an enabling interconnection environment and balancing the need for regulatory certainty with the need for maximization of subscriber benefit, promoting competition and allowing stakeholders to enjoy the benefits of technological innovations.

1.3 Mobile operators who have a large subscriber base would seem to benefit from high termination charges at the cost of smaller and newer operators as the latter are net payers of large amount of termination charges as a higher proportion of their calls terminate of larger mobile operators. The termination charge for most operators, particularly new and smaller operators, becomes an item of cost, as they are net payer of termination charge. High termination charge reduces their margins and their competitive ability and gives distinct cost advantage to large service providers who are, as a result, able to consolidate the termination market by acquiring more subscribers.

Termination of calls generated by subscribers of other interconnecting 1.4 service providers involves cost for which the service providers need to be fairly compensated. It becomes very important to have an effective interconnection usage charges (IUC) regime in place to facilitate interconnection arrangements among various co-operating and competing service providers and provide greater certainty to the settlements among them. The purpose of such an IUC regime is to ensure that all service providers are able to gain access, on reasonable terms and conditions, to the interconnection facilities and services necessary to provide efficient service to their own customers. An IUC regime primarily oriented to cost promotes competition among operators and reduces wastage of economic resources. It gives the operators sufficient flexibility in fixing its tariffs for its customers and offer innovative tariff plans. It promotes welfare of the customer, sustained growth of telecommunications and economic development of the country.

2. IUC reconciles conflicting objectives

2.1 The establishment of IUC needs to take into account conflicting views of the stakeholders and also reconcile a number of often conflicting objectives. An important objective of IUC is to make available the widest range of telecommunication services to the consumers at reasonable cost and also these services should be provided in the most economically efficient manner. An effective IUC regime would create conditions for attracting investment and stimulate infrastructure growth and innovation. At the same time it would create conditions for fair competition among the incumbent operators and new entrants. The bottom line is that the benefits of liberalization should be distributed as quickly as possible to the largest section of the society with consumers able to access the full range

of services in the market and not just that offered by the access providers to whose network they are connected.

- 2.2 While establishing an IUC regime the impact on competition, prices, quality, incentives and investment in fixed and mobile network has to be seen. The service provider needs to be fairly compensated for its investments and operational expenses through appropriate components of IUC to drive growth of telecommunications services. If the interconnection price is set "too low" then inefficient competitors may enter the market. Incumbent operators may not invest sufficiently in the network and compromise on the quality of service. If the interconnection price is set "too high" it will deter entry by efficient competitors. Inefficiencies would be compensated for and thrive, there would not be reward for development of efficient networks. For many new entrants, interconnection is one of their largest costs and may affect their ability to face competition from established players and develop their networks. Service providers may concentrate on maximizing payments from other carriers, instead of focusing on providing services to retail customers. Services may become unaffordable for a large segment of customers and those who can afford will be paying more than they need to.
- 2.3 The methodology used would arrive at the level of charges and ensure that the direction of development of the sector is consistent with the plans and policies. One has to ensure that charges enable service providers to recover their costs, see the transfers associated with call termination, examine whether they are justified from an economic or social welfare perspective and whether they restore level playing field.

3. Description of the Regime Under Review

- The framework of Interconnection Usage Charges was established by the Telecom Regulatory Authority of India (herein also referred to as The Authority) through "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (IUC) Regulation, 2003" (1 of 2003) dated the 24th January 2003. These regulations were initially to be effective from 1st April 2003 but TRAI had to go into consultation on issues related to settlement of inter operator interconnect charges for which a consultation paper was issued on 30th April 2003. These issues were settled in consultation with the service providers through a number of meetings and the IUC regime was implemented on 1st May 2003. This IUC Regulation introduced the regime of Calling Party Pays (CPP) that is perhaps one of the most important factors responsible for fast growth of telecom services in India.
- 3.2 Various schedules specifying origination, carriage and termination for intra circle and inter circle as well as inter network calls were part of this regulation. The charges were based on the type of network in which call originated or terminated and distance travelled in a service provider's network. In case of the cellular network, the charges were also based on whether the destination network was in a metro or a non-metro city. The termination charge then varied from 15 paise to 50 paise and carriage charges were from 20 paise to Rs 1.10 depending on the distance. Interconnection charges (the recurring amounts payable for the set-up costs e.g. Port Charges and Leased Line Charges) continued to be governed by "The Telecommunication Interconnection (Charges and Revenue Sharing) Regulation, 2001(5 of 2001)".
- 3.3 After the implementation of the above regulation, TRAI received several communications indicating problems with both the tariff regime and the IUC regime. For improving and streamlining the IUC regime the Authority decided to go through another consultation process and a consultation

Paper on "IUC issues" was issued on 15th May, 2003. After completing the consultation process a revised IUC regime was notified by the "The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003" (4 of 2003) dated the 29th October 2003 superseding the earlier Regulations which became effective from the 1st February 2004. This was well accepted by the industry and has been instrumental in growth of the industry and reduction in tariffs. At present IUC Regulation dated 29th October 2003 is the principal Regulation.

- 3.4 The Authority conducted another review of IUC regime based on its consultation paper dated 17th March 2005. This consultation paper recalled, in particular, a wide range of issues which inter-alia included interconnection usage charges (carriage and termination), possible differential termination charges for national and international calls etc. The Authority, after following the public consultation process and discussions with the industry notified the revised IUC regime on 23rd February 2006, which was implemented from 1st March, 2006. In this regulation, the Authority decided to put a ceiling on carriage charges while other IUC components were kept same for the reasons given in the explanatory memorandum accompanying the regulation.
- 3.5 In its 23rd February 2006 review, The Authority noted that due to increased volume of traffic the termination charges especially for mobile services may be lower than specified charges. The Authority had also estimated and found that mobile termination charges as well as fixed termination charges could be lower than the present specified level of Rs.0.30 per minute. In spite of this, the Authority decided to keep the fixed and mobile termination charges unchanged mainly on account of the reasons given in Para 58 & 59 of the February 2006 IUC Regulation.
- 3.6 The change in the carriage charges provided a strong basis to the operators to reduce the long distance tariffs as well as to pave the way

towards more and more usage of the long distance networks. The Regime notified under the 23rd February 2006 Regulation, was followed by announcement of One India scheme by BSNL. Subsequently for STD calls between Delhi and Mumbal, local call rate for fixed line subscribers were offered by MTNL. Some of the private service providers also offered similar tariff plans.

3.7 Components of IUC

The prevailing Interconnection Usage Charge (IUC) regime deals with the charge payable by one service provider to one or more service providers for usage of the other service providers' network elements for origination, transit or termination of the calls. A call has three portions Origination, Carriage/ Transit and Termination giving rise to corresponding charges. These and other charges that have been part of the IUC Regualtions are described below:

3.7.1 Origination Charge

The originating service provider is allowed to retain origination charges as the residual amount after payment of charges for carriage/transit and termination. As per the prevailing regulations origination charges are under forbearance.

3.7.2 Termination Charges

The terminating service provider, whose network is used for terminating a telecommunication message is supposed to get paid for usage of its network. In simple words, the service provider from whose network the call originates pays termination charges, to the service provider on whose network the call terminates.

As per the prevailing regulations, the uniform Termination Charge @ Rs. 0.30 per minute for all types of calls viz. Local, National Long Distance and International Long Distance, has been specified.

3.7.3 Carriage Charges for Long Distance Calls within India

Carriage Charges prevalent from 1st February 2004 to 28th February 2006 In 29th October 2003 IUC exercise the cost based charges for long distance carriage were calculated as Rs. 0.21, Rs. 0.65, Rs. 0.85 and Rs. 0.94 per minute corresponding to distance slabs of 0 to 50Kms, 50+ to 200 Kms, 200+ to 500 Kms and above 500 Kms respectively. These costs were calculated based on data of BSNL, who is an integrated operator. Considering that the costs relevant for stand alone operators would be higher, the carriage charges in the IUC Regulation were specified at slightly higher levels for the last two distance categories: they are about 10% higher for the second highest distance category and about 20% higher for the highest distance category. The Carriage Charges for long distance calls within India, as specified in the 29th October IUC Regulation are Rs 0.21, Rs. 0.65, Rs. 0.90, Rs. 1.10 per minute for the slabs mentioned above. On the above specified carriage charges, the service providers were allowed to negotiate a spot value within +/-10% of the long distance calls carriage charge beyond 50 Kms.

Carriage Charges from 1st March 2006 to present

The Authority reviewed the carriage charges in its 23rd February 2006 Regulation. The overwhelming opinion of the stake holders was that the Authority should continue to fix carriage charges and regulate the same at least as a ceiling charge. Keeping in view the various comments offered by the stakeholders and its own analysis, the Authority moved away from a regime of slab based specified carriage charges introduced in 2003 to a ceiling based regime in which the ceilings was specified as Rs. 0.65 per minute.

It may be noted that calculation of carriage charges in the IUC Regulation dated 29th October 2003 was done on the basis of cost data of BSNL alone and keeping in view that the costs relevant for stand alone operators would be higher, the carriage charges in the IUC Regulation were therefore specified as slightly higher amounts for the last two distance categories. While prescribing ceiling in 23rd February 2006 Regulation Authority had provided mark up of 25% on the weighted average cost of carriage of NLDOs operational at that time.

3.7.4 Carriage Charges for International Long Distance calls

For international long distance calls, international carriage charges and termination at foreign end are settled between ILDOs and foreign carriers. As per the clause (c) of Schedule II of the IUC Regulation dated 29th October 2003, these charges are under forbearance.

3.7.5 Intra SDCA Transit Charge

The Authority has adopted the policy of forbearance for the Transit Charges for intra-SDCA calls subject to the following condition:

"Direct interconnection between Access Providers is mandatory. For exceptional cases of Intra-SDCA transit, operators may decide the charges through mutual negotiation. However this should be lower than Rs. 0.20 per minute."

3.7.6 Transit Carriage Charge from Level II TAX POIs to SDCA

According to the present regulatory framework intra circle mobile traffic from all operators to fixed lines of BSNL is being handed over at Level II TAX in the fixed network of BSNL. From Level-II TAX to SDCA level traffic is being carried by BSNL for mobile service providers and BSNL levies a regulated charge of 20 paise per minute on the mobile service providers.

If the handover is at any other TAX level then the relevant carriage charge must be paid.

4. The Review Process

- 4.1 A number of factors have gone into fixing of IUC charges that are currently effective. With increasing competition, massive growth in number of subscribers and reduction in tariffs; the calling pattern, the total traffic and its dispersion also change. Downward or upward movement of some of its constituents alters the cost of providing services. Besides, changes in policy and regulatory environment could have a bearing on one or more of these charges. Passive infrastructure sharing has brought about a change in the CAPEX/OPEX structure of the service providers. Issue of fresh licences and allocation of spectrum to new companies would see infusion of capital in the sector based on their perception of viability of operations. Competition is bringing in compulsion of handling traffic more efficiently. More and more service providers are embracing Internet Protocol (IP) networks in a bid to reduce their network CAPEX and OPEX and perhaps prepare for migration to NGN. The Government incumbents have launched 3G services. Auction of relevant spectrum and subsequent deployment of 3G services by other service prodders is round the corner. It had therefore become necessary to consider how these changes would affect IUC
- 4.2 The Authority is well aware that IUC review is a complex exercise in which close interaction with the stakeholders is necessary for satisfactory completion. The Authority therefore considered it appropriate to have discussions with service providers in a two-stage consultation process. It was decided to have a comprehensive preliminary consultation process with the service providers followed by an open public consultation. The preliminary consultation carried out through the communication 409-12/2008-FN dated 12.9.2008 stressed that an IUC regime serves multiple

purposes. It promotes resource utilization, gives certainty to interoperator settlements and facilitates interconnection agreements, helps to implement desired policies of growth, quality and competition. The service providers were asked to comment on the basic principles for review, components to be reviewed, method of calculation and level of each charge, approach/model/methodology to be adopted. They were also asked to provide network architecture, routing, network element cost and its apportionment among services. They were asked to provide data on costs, traffic and revenue used to arrive at the results above including the assumptions underlying the cost calculations in detail. Total number of incoming and outgoing minutes (off-net and on-net separately) handled for various services; Identification of traffic sensitive network elements and relevant minutes of usage for each of the corresponding network element were also requested. The general response was in favour of reviewing all the components of the IUC regime. However the opinion on methodology and correct level of charges was divided. Most of the operators did not submit network architectural details and traffic data. The comments received during pre-consultations were taken into account while preparing the consultation paper that followed the pre-consultation process and also while evaluating the options. \

- 4.3 A presentation was made by the Spectrum Value Partners on behalf of COAI in which they presented in detail the H-FLLRIC model. Another presentation was made by AUSPI in which they showed reservation about the model proposed by COAI and also asked for continuation of the already established model.
- 4.4 A detailed consultation paper was issued on 31.12.2008. The consultation paper described in detail all inter-related issues including what component of IUC should be reviewed, justification for asymmetric termination charge, if any, methodology for estimating IUC components, higher termination charge for international incoming call, impact of mobile and

fixed termination charge on tariffs, suggestion for taking care of future developments like 3G, Wi-Max etc. The stakeholders were given time until 30.1.2009 to respond. 23 stakeholders including 13 service providers, 3 Associations and 7 Consumer Groups and members of the public sent written comments that were uploaded on the TRAI website. The Open House discussions were held at Delhi on 12.2.2009.

- 4.5 After the Open House Discussions at Delhi, opportunity was also given to the CEOs and senior functionaries of existing and new operators to present their views on any issue that they consider important. The presentations given by these companies have been uploaded on the website. The opinions expressed have been taken into consideration in the review of IUC.
- 4.6 Taking into consideration the importance of the subject to the telecommunications sector, the interest that the consultation paper had generated and various communications sent by the stake-holders in the intervening period, The Authority decided to have a second round of Open House Discussions at Hyderabad on 26.2.2009. A presentation was made to the stakeholders to clarify the key issues raised by them. They were given ample opportunity to make their comments. A copy of this presentation has also been uploaded on TRAI web-site.
- 4.7 The Authority has taken into account various comments of the stakeholders provided in writing during preliminary consultations, consultations or otherwise. or conveyed in the open house discussions and presentations. The Authority has also used other inputs like balance sheets, annual report, accounting separation report etc to which it has access and analyzed the matter in detail. In the following paragraphs each issue raised in the consultation paper has been examined taken into account the comments of the stakeholders. For the sake of clarity points

raised by stakeholders are given in the italics font following by the analysis by TRAI.

- Some of the service providers and associations have suggested that the 4.8 Authority may consider setting up a joint industry working group or a steering committee to deliberate and decide on the same. They further argued that it is all the more important that this approach may be adopted by the Authority for the IUC review since important commercial considerations are at stake. The issue of IUC has always been important and handled by the Authority with seriousness and concern it deserves. Not only the established procedure of consultations with the stakeholders has been carried out but the consultation process has been varied and protracted. There were interactions with the service providers and associations at the preconsultation, consultation and open house stages. There were also presentations by the associations and service providers and interaction at the highest level in TRAI. Therefore, the Authority is of the opinion that setting up of any working group would not be productive given extreme and conflicting pursuits and would create uncertainty in the industry.
- 4.9 The fact that the service providers have proposed a wide range of termination charges ranging from negative MTC, bill and keep, low MTC and very high MTC to serve their own commercial interests which may not necessarily be consistent with the objectives of spurring growth, creating level-playing field and consumer welfare. The methods proposed also cover a whole spectrum of possible methods as described in the earlier sections.

- Consideration of the main comments of the stakeholders on the issued raised in the consultation paper, Open Houses and other meetings
- 5.1 The Authority received comments from various stakeholders. Comments received from stakeholders have been put on TRAI website and the Open House Discussion was held at New Delhi on 12th February 2009. As has been said above, some of the service providers and associations also gave presentations to the Authority individually on the subject. Second round of the open house discussions with service providers was also held at Hyderabad on 26th February 2009 wherein the stakeholders have been consulted on issues emerging from previous consultations held in Delhi like methodology for calculating the MTC, deduction of some items from OPEX to arrive at relevant Opex, confidentiality of Accounting Separation Data, treatment of revenue generated through value added services, SMS termination charge and termination on international incoming calls. The Authority has gone through all the comments. Some of them have also been discussed and debated in Open House Discussions. While arriving at the decisions, the Authority has taken into consideration all the written comments, comments provided in Open House Discussions, presentations during the meetings with the Authority and noted the issues raised in VIP references. Some of the main Comments received from the stakeholders on the specific issues, raised in the consultation paper are summarized under the respective issue and dealt with in the paragraphs following thereafter
- 5.2 Issue 1: Components of IUC to be reviewed
- 5.2.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below and dealt with in the paragraphs following thereafter.

- (I) All elements which add up to form the end tariff to the consumer should be reviewed from cost perspective for arriving at any numbers.
- (ii) Termination charges, carriage charges and transit charges to be reviewed.
- (iii) Only termination charges and carriage charges need to be reviewed on the actual cost basis. There is a no need of reviewing the transit charge as it is not a mandatory service and therefore, should be left for negotiation.
- (iv) Origination charge/ carriage charge / TAX transit charge / transit / carriage charge between LDCA to SDCA and termination charge should be reviewed.
- (v) No regulatory intervention is required with regard to the origination charge.
- (vi) All components of Interconnection Usage Charges should be reviewed
- (vii) Review of interconnection regime to be done holistically.
- (viii) Origination charge should continue to remain in the forbearance category.
- (ix) Origination charge with respect to services like calling cards must be mandated to enable interconnects.
- (x) Termination charge / transit charge / origination charge with specific reference to ILD / NLD calling cards, carriage charge between LDCA and LDCA, total cost of interconnection and interoperator transiting should be reviewed.
- (xi) Origination, termination, port charges and other charges etc. need to be reviewed. Carriage charge ceiling may also be reviewed. However, current ceiling may also be maintained.
- (xii) Termination and origination charge need to be mandated based on cost.
- (xiii) Termination, carriage, transit and port charges to be reviewed.
- (xiv) MTC, FTC, incoming ILD termination charges, carriage charges to be reviewed.

- 5.2.2 During the pre-consultations and consultations there has been overwhelming endorsement for review of all the components prescribed in the principal Regulation dated 29th October 2003.
- 5.2.3 Some of the stakeholders have asked for review of port charges as part of IUC review. The Authority noted that port charges are a subject of another regulation called 'The Telecommunication Interconnection (Port Charges) Regulation 2001' issued by the Authority on 28th December 2001 and amended on 02nd February 2007. In calculation of port charges only the incremental CAPEX for provision of ports was taken into account. Although for providing ports there is a need for not only augmenting the switch capacities but also other downstream parts of the network to handle the additional traffic entering into the network through these ports. As the port charges have never been part of the interconnection usage charges regime, the Authority is of the view that the port charges should continue to be dealt with in the regulation on port charges and should not be merged with IUC.
- 5.2.4 A few service providers have also proposed determination of the origination charge for calls made through calling cards as part of the IUC regime. There is a fundamental difference between normal voice calls and calls through calling cards proposed to be issued by NLD and ILD operators. In the case of calling cards the money is collected by the service provider issuing the cards while the calls are originated from an access provider needs to be compensated either through mutually agreed rates with the service provider issuing the cards or through regulated rates. The Authority has also noted that the services provided through calling cards are being handled by the Intelligent Network Services Regulation dated 27.11.2006 and, therefore, decided that the Authority would intervene at the appropriate stage and time, through the IN Regulations, for determination of the origination charge to be paid to

the originating access provider once the long distance and international long distance services have been started by the NLDOs and ILDOs through calling cards.

- 5.2.5 On review of Origination Charge of fixed and mobile voice calls some of the service providers have argued that since the market forces are working well and the service is affordable, therefore, no regulatory intervention is required and the present stipulation of forbearance may be continued. They further argued that placing origination under forbearance helps the originating operator in retaining the residual amount after paying the other obligatory IUC charges. The Authority has also noted that leaving origination charge under forbearance allows the service providers flexibility to offer innovative tariff plans. This constitutes an important tool for generating competition in the market and works in favour of the customer in a competitive scenario. Therefore, keeping in view the policy of tariff forbearance, the Authority decided to continue with forbearance in origination charge for normal voice calls.
- 5.2.6 Concern was raised by some of the service providers on the IUC charges on SMS. It was noted that the issue has been handled in the earlier regulations in the following ways. In the 29th October 2003 IUC regulation IUC for SMS was kept under forbearance and the Authority had stated that it may revisit this matter in the near future based on the exercise of collection of additional data. A consultation paper was consequently issued on 13.6.2006. Based on the consultations, decision of the Authority was issued on 21st August 2006. To quote from the analysis attached to the decision of the Authority
 - "... at present the market for SMS is contested almost exclusively by the mobile operators, which either operate bill and keep regime without any interconnection charges or they have reciprocal charging regime and

relatively balanced traffic flow...". In view of the findings the Authority decided to continue with forbearance in the matter.

- 5.2.7 The cost involved with the handling of SMS in any of the service providers network is insignificant as compared to the cost for handling voice. In addition there are complexities involved in accounting for IUC for SMS. SMS is sent by the SS7 signalling channel and in order to bill and verify SMS termination internally, the mediation system needs to be able to generate SS7 CDRs for the billing system to count and rate the number of SMS messages. The terminating operators, in many cases, may have to rely on the originating operator to supply them with records of the SMS count of messages landing on their network. The billing system also needs to be scalable enough to process a large (and increasing) number of SMS arriving on the network. The prevailing trend in the industry is that IUC is not being realized by the service providers from each other.
- 5.2.8 The uptake of SMS by GSM customers has been a major success story for the mobile industry. Also in view of the fact that by and large the arrangement prevalent today are 'bill and keep' and mutually agreed reciprocal arrangements, the Authority believes that the service providers would continue with these arrangements in a fair, transparent and non-discriminatory manner. The Authority has therefore decided to continue with the policy of forbearance in the matter of IUC on SMS, however, to keep watch on the market, reporting requirement is being incorporated.
- 5.2.9 In view of the foregoing discussions the components that are to be determined through the present review are as follows:
 - (i) Termination Charges for fixed and mobile(including 3G)
 - (ii) Carriage Charge for long distance calls within India
 - (iii) Transit Charge for Intra SDCA calls and TAX transit charge
 - (iv) Transit/Carriage Charge from Level-II TAX to SDCC Tandem

- (v) Termination Charge for international incoming calls
- (vi) IUC for SMS
- 5.3 Issue 2: Methodology for estimating IUC
- 5.3.1 Comments received from the stakeholders on this issue are summarized below and dealt with in the paragraphs following thereafter.
 - (i) Hybrid FL-LRIC model for determination of IUC in line with international best practices and taking into account all the relevant costs.
 - (ii) The same principle should be applied to fixed and mobile.
 - (iii) Hybrid FL-LRIC the approach that reconciles the results derived from bottom up and top down approach should be used.
 - (iv) As the fixed line and mobile technology provide the same service the termination rate should be set using equivalent principle and methodology.
 - (v) Capex and Opex both have to be taken into account while calculating for the termination charges for wireline and wireless networks.
 - (vi) Top down costing approach with historical cost should be used.
 - (vii) LRIC model or its variant are extremely difficult to implement in transparent manner.
 - (viii) *IUC should not be revenue generating model for any MNO.
 - (ix) Marginal cost of only those elements that affect termination, carriage or transit directly should be considered.
 - (x) Hybrid FL-LRIC model for determination of MTC in line with international best practices after taking into account all the relevant costs.
 - (xi) Revenue share model for termination charge at reasonable levels to support investment and returns to all stakeholders.
 - (xii) Continuing of existing cost methodology.
 - (xiii) Bill and keep and negative MTC are two options to be considered.

- (xiv) Bill and keep or the cost based regime.
- (xv) Charges should be worked out as per FL-FLRIC model as well as existing FAC model and lower of the two should be adopted in case of incumbent operators and FAC for new licensee.
- (xvi) Bill and keep regime should be adopted.

S 22 Discussion on approach for determination of IUC

Broad principles are usually common across regulators and these include among others promoting economic efficiency, promoting competition, promoting growth, keeping services affordable, and fair compensation for services rendered. Economists and regulators agree that the approach adopted should be adapted to local conditions and should be based on cost so that the service providers are compensated for their resources used by the other service providers. However, it is difficult to strictly align prices with the costs. Interconnection usage charges imply setting charges to compensate explicitly one operator for the costs imposed on him by the other operator's use of his network to originate or terminate a call. The operator paying the interconnection usage charge "owns" the call and takes the risk of disputed and unpaid charges.

Some experts feel that to decide the cost-based level of pricing of interconnection the best approach would be one based on forward-looking costs of supplying the relevant facilities and services such as Long Range Incremental Cost (LRIC) or one of its variants. The service providers supporting this contention argued that many international regulators are moving towards LRIC model as this approach gives ability to incorporate operational efficiency and prospective market development. There are practical limitations on applicability of these approaches. Those not in favour of LRIC argue that in certain situations setting interconnection prices at LRIC may not permit a new, local services entrant to run a viable business. This could also be a case when

established incumbents subsidize tariff by revenues from call termination. They argue that the new entrant's interconnection costs may exceed the retail prices it must offer to compete effectively and establish itself. They also blamed the service providers supporting LRIC to have used assumptions that inflate the call termination related costs.

- 5.3.4 There are examples of countries using both LRIC and non-LRIC-type approaches. Countries use variations and adaptations of these approaches to reflect the practical realities and to implement desired policies. The choice of the right approach depends on the prevailing circumstances and the concerned regulators need to assess these carefully. Modifications are often made to various approaches to attempt to compensate each operator more closely for costs resulting from its interconnection. It is largely country specific taking into account the local situations.
- 5.3.5 As could be inferred form the comments given during the consultation process the stakeholders are not united in their proposal on methodology that should be used. Taking into account all the comments the following three methods have been commonly suggested:
 - (i) Forward Looking Long Range Incremental Cost (FFLRIC)
 - (ii) Bill and Keep (BAK)
 - (iii) Fully Allocated Costs (FAC)
- 5.3.6 The Forward Looking LRIC (FLLRIC) is a bottom up approach in which the cost of services is computed using an optimized model of the network and service production technologies. The method presumes that the team involved in such modelling has the advantage of having network planning expert(s) among them. Faulty planning process and assumptions could lead to incorrect design of the efficient network and consequently incorrect costing and cost allocations. The Forward Looking element

implies performing the network design considering both present and future forecast of customer demand. The long range concept implies that the time frame is sufficiently large so that all costs can presumed to be variable, even the capital investments costs related to network capacity. The long time frame would however make the forecasts less reliable. A network designed on incorrect forecasts would give incorrect results. Another important element of all LRIC methods is that the increment has to be defined in such a way that the outputs can be used to demonstrate that charges are cost oriented. Large increments, e.g. "access", may not provide information necessary to demonstrate cost orientation while there are practical and methodological limitations to defining increments at a too narrow or too detailed a level. Among the advantages of this method are subsidy free prices as each customer pays for his service and also if the forecast and network design have been properly done, inefficiencies of individual operators are excluded. These models are, however, hard to develop. They are time-consuming and lead to high regulatory cost. They are not based on accounting procedures and therefore difficult to audit.

5.3.7 Use of Hybrid FLLRIC model has been proposed by some stakeholders. The 'hybrid' aspect involves calculation based on both Top-down and bottom-up approaches and then reconciling the results. This is to take care of the possibility that depending on the network design and various assumptions the results obtained by the involved bottom-up approach may be incorrect. The details submitted by these stakeholders were only for bottom-up analysis and Top-down results were not provided. The modelling was done for a hypothetical efficient operator and hypothetical new entrant. The results were predictably different. The use of 'scorched node' approach may not be appropriate for the new service providers. The calculations involved inclusion of both CAPEX and OPEX which transfer the whole cost of an operator to an interconnecting operator, the smaller and new service providers would be at a disadvantage of high input cost and would not be able to offer innovative tariff plans. As is

evident from the submissions, the method is based on numerous assumptions that may be contested by rival service providers as has been done in this case. The hybrid FLLRIC model takes all the costs of a hypothetical new entrant that would definitely lead to higher termination charges. These calculations does not show use of the incremental cost incurred by existing service provider for terminating incremental traffic which should actually be done for the LRIC model. Assumptions with regard to sharing in of infrastructure, call mix, market share etc. has also been taken in such a way that they are leading to higher termination charge.

5.3.8 It has further been noted that implementation of LRIC model or its variant is very difficult to implement in a transparent manner as it requires a detailed micro level data/information of the service proviers' networks which would not be practically possible to collect from various service providers and may not be transparently provided by them. This information would also vary among the service providers and would lead to large variations in the results. There is always a possibility of service providers having some additional information, not available to TRAI, which they could make use of to the detriment of other service providers or consumers. These models are based on hypothetical assumptions that require consensus among all stakeholders before being adopted by the Authority. A slight variation in the estimation may lead to enormous variation for one particular type of the service provider. This subjectivity and lack of transparency would provide opportunity for the vested interest to litigate and sabotage the whole process and thereby deprive the subscribers for getting the benefit of adjustment of Interconnection Usage Charges. The subjectivity is very clear by the different models submitted by associations and the service providers and which shows very large variation in the termination charges just by changing some assumption, network architecture and forecast.

5.3.9 Another set of stakeholders have also carried out calculations based on the same modelling techniques but with assumptions that are more applicable to them and the results are shown to be drastically less than in the first case. These stakeholders have contested many of the important assumptions made by the supporters of FLLRIC. Representatives of new service providers have demonstrated that with assumptions more suited to them much lower termination charges are obtained. One of the consultants has also submitted its report based on hybrid LRIC model using different assumption which is leading to lower termination charge compared to the model submitted by the first group. The basic idea of adopting LRIC model by some countries has been to avoid inefficient cost or the irrelevant cost from being transferred to the interconnecting operator. The aim is to see that the consumer gets the benefit of growth of telecom industry and does not pay for any historical cost or inefficient cost incurred by any of the operators. Transferring the whole cost of an operator to their interconnecting service provider would lead to inefficient arrangement as the interconnecting service providers would not be able to offer innovative tariff plan as their input cost in the form of termination charge would be higher. This would lead to higher cost being taken into account for the new entrant as compared to the existing operator leading to fixation of asymmetric termination charge between new entrant and existing service providers which the Authority does not favour as explained in the relevant Para. Therefore, it would not be appropriate to use a model, which is complex, subjective and does not seem to confer any great advantage for calculating mobile termination charge. On the other hand the top down model taking data from annual report, account separation report etc. of the service providers with proper normalization and adjustment would be less subjective, verifiable and would not lead to of much difference in estimating the termination charge.

- 5.3.10 From these claims and counterclaims it is clear that any consensus on this methodology would be very difficult to arrive at. In any case there is no best or perfect solution for all circumstances.
- 5.3.11 Bill and Keep was another method suggested. In this method the service providers do not pay any termination charges to each other. This method has the advantage of the service providers not transferring costs of their network to interconnecting service providers and also of low regulatory costs. This method does not work if the traffic flows are imbalanced or the service providers are at different stages of network deployment. It may not properly compensate the service providers and may not encourage development of efficient networks.
- 5.3.12 The supporter of bill and keep claimed that zero MTC under bill and keep regime is one of the most pro consumer and pro competitive. According to them the zero MTC regime will remove all controversy caused by data ambiguity, reduce the risk of subjectivity and would be future proof IUC regime. These service providers also said that payment of termination charge unnecessarily blocks funds with the service providers which could be used for expansion of the network. These service providers also argued that this higher MTC is responsible for massive difference between off net and on net tariffs and also increasing consumer confusion.
- 5.3.13 The bill and keep proposal of the service providers was analyzed and it was noted that this could mean return to situation prevalent before the present IUC regime was established i.e receiving party used to pay for incoming calls. One of the fundamental principles of prescribing IUC regime was work done principle. It was also noted that tariff before the IUC regime were very high tariff. The service providers may again resort to charging their own subscribers for receipt of calls or increase fixed charges of providing the services. As the service providers do not have to pay for termination of calls into other service provider networks they may

offer plans with free calls which could load other service providers' networks. Bill and keep regime may also reduce call completion rate as the terminating network will not have any incentive to complete the call. Bill and keep scheme would not necessarily lead to the lower tariff as is evident from the tariff offered by the service provider in case of SMS etc.

- 5.3.14 The third suggestion made by the service providers was to use Fully Allocated Cost (FAC) that divides the cost that the firm incurs amongst the services that it sells. This method has the advantage of simplicity. It uses accounting data submitted by the service providers in their balance sheet, profit and loss accounts and accounting separation reports. It is easy to develop and understand. The results are easy to audit. If modelling is not carried out properly then inefficiencies of the operators may creep in. It is possible to make use projections on the historical or current costs to bring in forward looking element in the analysis.
- 5.3.15 Regulators need to be pragmatic about adopting a suitable approach for interconnection regulation for a number of reasons. The direct regulatory costs of a detailed forward-looking cost regime may be significant: service providers may hire engineers, economists and lawyers to put forward their views; the regulator must have enough resources to assess competing claims about cost. As regimes increase in complexity, operators and potential entrants are more likely to focus on arbitrage opportunities than ways to offer consumers genuinely new services. There is no guarantee that detailed cost estimation approaches will be accurate. There is no method which can claim superiority in all situations. It is therefore necessary that the regulator should decide the costing methodology and approach used based on prevailing situation in the country. If an approach has been established and has worked well then motivation must be really strong to change it in the next review. The new licence granted by the government would also justify network stability

before any major deviation in the methodology based on prescriptive norms or assumed efficiency parameters are attempted.

- 5.3.16 In India TRAI has considered it important to specify an IUC regime that would give certainty to the Inter-operator settlements and facilitate interconnection agreements. In the relevant notifications TRAI had emphasized a policy framework, which would promote lower domestic prices and give rise to strong subscriber growth. The expectations of the Authority with respect to both of these objectives have been validated in the subsequent period. India at present has among the cheapest mobile call charges in the world. Likewise, the monthly growth in mobile subscriber base in India, has been among the highest, and the price decline has contributed significantly to such growth
- 5.3.17 The methodology used by TRAI in the January 2003 IUC regulation and the currently prevailing October 2003 regulation has been described in details in these regulations. The important points are given here.
- 5.3.18 During the formulation of the first regulation in January 2003, estimation was attempted using bottom-up method based on the proxy model. Subsequently BSNL costs became available but when compared with the expenditure incurred by BSNL these were found to be high and could not be reconciled even after discussions. Balance sheet and Annual Report provided alternate source of data and top-down approach was decided to be used. CAPEX, OPEX and depreciation as derived from the audited BSNL figures were used for determining various charges. Overall CAPEX and OPEX were allocated to different parts of the network in the proportion as done by BSNL for cost data in Reference Interconnect Offer Schedules. Data on minutes of use attributable to various network elements were taken from the submissions of BSNL. The rental component of Basic Services was derived on the basis of CAPEX for the network segment upto the SDCC Tandem plus an average revenue share of licence fee and

spectrum charge. Local call charges were calculated on the basis of OPEX of the same segment distributed on the basis of average MOU. IUC for **Transit** was based on the sum of CAPEX and OPEX of the segment used for carriage of a call. The **termination charge** was forward looking as they were based on the estimated growth rate for one year. For mobile termination charges, the costs were based on OPEX data of 25 circles/metros cellular operators as taken from Audited Annual account. Components not eligible like bad debts, closure of paging division, loss/profit on sale of fixed assets were taken out. License fee and spectrum charge based on revenues were added separately. OPEX per line was derived on the basis of estimated MOU per subscriber per month. Only 50% of the Marketing and Advertisement costs were taken towards call minutes while the rest were allocated against other sources of revenues like VAS, rentals and share from long distance calls

5.3.19 In the October 2003 regulation the same top-down model was applied.

CAPEX and OPEX were based on costs of BSNL— elements upto SDCC.

MOU were calculated based on routing factors. For Fixed Termination

Charges (FTC) historical average costs from audited accounts of BSNL

and for Mobile Termination Charges (MTC) data from all mobile service

provider was taken. The data were taken from annual reports, balance

sheet, P&L account etc. of the service providers with proper normalization

and adjustments to make them less subjective and verifiable. The cost of

a local call was based on operational costs within the local area. This was

divided by MOU relevant for each network element. From operational

costs the cost components not related to call carriage were removed.

Marketing expenses were not allowed as they can be recovered from

other sources of revenue. VAS revenues were fully deducted to account

for recovery of part of OPEX from these revenues. It was however stated:

...As in the previous case, value added revenues have been deducted from the relevant cost base, because these are an important revenue source for recovering costs. This would also give an incentive for the service providers to earn more

from the value added services in comparison to the estimated costs that have been recovered from these revenues. Over time, with the reduction in costs due to falling equipment prices, and its higher capacity, as well as due to rapid subscriber growth, the Authority may in future consider allocating only a portion of the value added revenues against the costs relevant for call termination."

Treatment of CAPEX

- 5.3.20 Some of the service providers have argued that allocation of relevant OPEX only for termination charge and not taking CAPEX into account is not the right way of calculating the termination charge. They further argued that for the capital-intensive industry there is a need to take the CAPEX also into consideration for calculating the termination charge. Some even likened it to highways where toll takes CAPEX into account. This only goes to demonstrate that the point being missed is that the all other different from infrastructure is telecommunications infrastructures because of network externalities. The value of the telecommunications network increases for its subscribers as more and more subscribers join the network. When networks grow, networks interconnect with each other the perceived value increases for all the subscribers. Another fact that one has to remember is that termination charge is not the only stream of revenue from which all CAPEX and OPEX needs to be recovered. There are other streams like fixed charges, origination charge, revenue from value added services and so on.
 - 5.3.21 The Authority analyzed this matter in two ways (a) whether service providers are able to recover all of their costs of providing the services by the scheme of taking only relevant Opex into consideration for termination (b) How will the effect of taking Capex in calculating the termination charge would effect the present regime.
 - 5.3.22 The service profit and loss analysis has been done for the major service providers on the basis of the data furnished by them in their account separation reports and it is found that in some cases surplus revenue,

over and above the reasonable profits(15% WACC), for some of the service providers is as much as 16 paise per minute which clearly indicates that service providers are able to generate sufficient revenue and cash flow in their mobile service operations. The GSM mobile industry has surplus revenue of 10 paise and wireless industry on the whole has surplus of 5 paise. This surplus indicates that the service providers not only are able to recover CAPEX, OPEX and reasonable profits from their operations but they are also having surplus over and above that. Thus rationalization of termination charge based on current factors should not cause them concern.

5.3.23 Considering the CAPEX or even proportion of it for calculating the termination charge would unnecessarily transfer the burden of business decisions taken by the service provider to the interconnecting service providers. Decisions like planning horizon, network dimensioning, technology induction of a service provider should not affect the interconnecting service provider who should be required to pay the bare minimum cost. Taking CAPEX in calculating the termination charge would mean that the interconnecting service provider would not have any choice of innovative tariff plan or rentals. Service providers are free to recover their CAPEX from the rental and the origination charge that is under forbearance. The argument that now there are more than 90% subscribers on the prepaid segment and therefore, there is no rental revenue to recover CAPEX from is also weak. The tariff is under forbearance and it is the service provider who has to see the viability of the plans he launches. While launching these plans the service providers were well aware of the IUC regime and the fact that only relevant OPEX is to be recovered from the termination charge. In fact, when one of the service providers launched the lifetime plan it presented to the Authority proof of viability and sustainability of the tariff plans for their business. There is also a case of a service provider offering Re 0.10 per minute for all incoming calls showing that the operators were able to recover cost.

- 5.3.24 In the fully allocated methodology all the costs of the service providers should be recovered through one component or other. If CAPEX is also allowed to be recovered through the termination charge then termination charge would widely vary among the service providers since some of the service providers might have invested more in the capital expenditure keeping in view their future forecast and their business plan. This cost would be transferred to the interconnecting operator.
- 5.3.25 With regard to relevant network elements and cost, the Authority recalled that in the previous IUC exercises the cost of local call was determined on the basis of operational cost (OPEX) within the local area. The Authority analyzed the principle of allocating relevant OPEX to local call in today's context. The Authority found that now the service providers are offering innovative tariff plans in such a way that it is very difficult to estimate the revenue generated from the rental and the call charges. Since now service providers are offering tariff s in such a way that some of the tariff plans have higher rentals but lower call charges while others have lower rental but higher local charges. This has been possible because of the policy of forbearance in rental and origination charges. Since it is difficult to distinguish the revenue generated from these two streams separately now it has become more relevant to go with the same principle as has been adopted in previous IUC Regulations.
- 5.3.26 The Authority has also examined the operating costs elements which do not have direct nexus with the termination of calls. These costs basically are incurred by the service providers for acquiring, sustaining and remaining with the service provider. These costs basically includes cost for advertisement, sales, bad debts, customer acquisition, billing and customer care, loss on sale of assets, financial charges etc. As has been done in the previous exercise the Authority has not considered these costs for calculating the termination charge. Complete details of the

heads of costs included and excluded from the calculations are given in the relevant paragraphs.

- 5.3.27 We now turn to the expression of the Authority's feeling in the explanatory memorandum of the prevailing principal regulation. The Authority had noted "...while the Authority feels that changeover to FLLRIC model is imperative, it examined the implications of a sudden changeover against a gradual changeover...the approach is to achieve full shift to FLLRIC in a gradual manner over a few years" The Authority had also explained why given the situation the application of FLLRIC would not be appropriate. During the present review the Authority had carefully considered the arguments and counter-arguments in favour and against the methods suggested and described above. The FLLRIC model was examined in detail. Opportunity was given not only to the supporting and rival group of service providers but also the consultant who had carried out the study on behalf of some of the service providers. While the Authority has an open mind for adoption of any methodology that the situation warrants in future it is of the considered opinion, for the reasons detailed in paragraphs above, that for determining the termination charge in the present review it should continue with the existing methodology of allocating relevant OPEX for termination charges and leaving rental and origination charges under forbearance to cover rest of the cost incurred by the service provider.
- 5.4 Issue 3: Strictly cost based or cost oriented termination charge
- 5.4.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below and dealt with in the paragraphs following thereafter.
 - (i) Cost based pricing methodology more accurately reflect the underlying cost for providing interconnection services.

- (ii) Cost based approach should be used as it is more transparent, not inflexible.
- (iii) Cost based approach.
- (iv) Cost based pricing methodology are argued to be more economically efficient.
- (v) There is a need to encourage the Indian operators to invest in rural market with cost based plus termination charge.
- (vi) Cost oriented approach.
- (vii) Cost oriented approach and assimilating the same with the model adopted by the Authority in 2003.
- (viii) Termination charge should be cost based.
- (ix) Termination charge should be cost based as the service provider has to only recover the cost of network involved in terminating the call
- 5.4.2 Most of the service providers and consumer association have argued in the favour of cost based pricing methodology. These service providers argued that cost based pricing methodology accurately reflects the underlying cost for providing interconnection services and is more transparent. However, one or two service providers have also argued for the cost oriented approach. The Authority is of the opinion that suitable methodology be applied based on the charges under consideration and prevalent situation.

5.5 Issue 4: Treatment of revenue generated from value added services

- 5.5.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below and dealt with in the paragraphs following thereafter.
 - (i) The revenue from VAS services should not be taken into account.
 - (ii) It is incorrect to deduct retail from cost in a cost allocation model.

- (iii) Revenue from value added services may be deducted from the annual cost recovery comprising of annual Capex recovery, depreciation and Opex while fixing the voice termination charges for wireless and wireline networks.
- (iv) The service provider must provide the cost data for the VAS.
- (v) Revenue of VAS should not be taken into account for determination of termination charge
- (vi) VAS revenue should be certainly taking into account while arriving at the termination charges.
- (vii) Bill and keep is more optimal approach to account for VAS termination.
- (viii) Since the tariffs are under forbearance, it would be more appropriate to apportion the cost on the basis of revenue and not on the basis of network usage.
- (ix) Revenue likely to be earned from VAS should be completely excluded from the revenue requirement estimated for the MTC.
- (x) VAS which is approximately 10 to 12% of the total revenue of an operator, must be taken into consideration while determining the cost based termination charges.
- (xi) Revenue likely to be earned from the VAS should be completely excluded from the revenue requirement estimated for the MTC.
- 5.5.2 Opinion of the stakeholders was divided on this issue. Some of the service providers have argued that revenue from the value added services should not be taken into account as it is incorrect to deduct retail from cost in cost allocation model. However, many other service providers have argued in the favour of deduction of revenue of value added services from annual cost recovery. One of the service providers has also argued that since the tariffs are under forbearance it would be more appropriate to apportion the cost on the basis of revenue and not on the basis of network usage. The Authority recalled the position on the issue as enumerated in the principal Regulation. The relevant Para is reproduced below:

5.5.3 The Authority is aware that the present total revenue from the value added services is very large compared to the VAS revenue in 2003. As this revenue is an important source of recovering the cost, after discussions with the industry in 2003 this revenue was straightaway deducted from the relevant OPEX. It would not be reasonable to deduct the full revenue in today's context as it is quite high in proportion to the costs. If the OPEX for these services were known then they could have been used for calculations. The Authority also feels that the tariffs for the value added services is unreasonably high and if total revenue of value added service is deducted from the relevant Opex for calculating the termination charges, service providers will be hesitant to reduce the tariffs for value added services. On the other hand, not making any adjustment for VAS would lead to recovery of the whole cost associated with value added services from termination charge for voice calls thereby making termination charge for voice calls high. It would be difficult to separate the cost associated with VAS from the total cost. In the absence of the cost of providing the value added services it would be quite reasonable to apportion the cost according to the revenue generated from the value added services. As the revenue from VAS is about 10% of total revenue, therefore, instead of deducting total revenue from the relevant OPEX, 10% Opex has been decided to be deducted. This is a distinct advantage to the existing service providers.

- 5.6 Issue 5: Asymmetric domestic termination charge
- 5.6.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below and dealt with in the paragraphs following thereafter.
 - (i) Only asymmetric that could be possibly justified is one that encourages rural rollout. However, the practical difficulties of introducing any asymmetric into the Indian IUC regime are too great.
 - (ii) Asymmetric rates in India would be a direct and unjustified cross subsidy to certain operators in an already competitive market.
 - (iii) Asymmetric charges for the benefit of new entrant are justified because they would assist the development of telecommunication industry as a whole.
 - (iv) Asymmetric could be introduced in favour of new entrant, in order to attract new investment.
 - (v) Asymmetric could be introduced in favour of operators that develop networks in rural areas in order to develop investment in such high cost areas.
 - (vi) There should not be any difference between the termination charges for existing service providers and new entrant for the similar networks / services.
 - (vii) Although there is a justification for higher termination charges for rural networks in comparison to urban networks on the actual cost basis, however, it is technically not feasible to implement.
 - (viii) Asymmetric charges are not only justified they are also an essential requirement to promote future growth and competition in the current market with existing and new service providers.
 - (ix) Asymmetric termination charges are not at all justified.
 - (x) Asymmetric pricing model would not be suitable in the current Indian scenario as they may distort the tariffs offered by operators in the market.

- (xi) The global practice is to have uniform termination charge.
- (xii) Asymmetric termination is likely to leave more disputes in settlement and extremely complex billing.
- (xiii) Existing service providers vs. new entrant should be the basis for asymmetric termination charge.
- (xiv) TRAI implements a cost based MTC asymmetric termination charges are justified between existing and new service providers.
- (xv) The Asymmetry between larger and smaller network is the basis upon which several regulators around the world have introduced asymmetric termination charges.
- 5.6.2 Most of the new entrants argued for asymmetric charges in their favour as this would help in attracting new investment and would also assist the development of the telecommunications industry as a whole. There are other service providers who have argued that if any symmetry is justified then it could be to encourage rural rollout. However, at the same time they have also cautioned about the practical difficulties of introducing asymmetry with respect to rural. An obvious reference is to the affect of higher termination for traffic terminating in rural network on the tariff. No service provider has argued in the favour of asymmetric termination charge between mobile and fixed line. One PSU in its comments argued that although there is a justification for higher termination charge for fixed line on the basis of cost, however, it will make cellular to fixed line calls expensive in comparison to cellular to cellular calls and therefore in the interest of Indian consumers termination charge can be kept at the same level for all types of domestic calls except for wireline to wireless calls for which they say that there should not be any termination charge. BSNL has also argued that assistance may be provided for recovery of cost of wireline network by fully exempting their revenue from the payment of licence fee including USO Fund contribution.

- 5.6.3 The Authority examined the matter in detail and also noted that nonuniform termination charge for partly substitutable services, like fixed and mobile telephone calls, would skew the traffic, increasing it towards the service with lower termination charge. This reduction of traffic to/from one particular type of the network would further reduce the number of minutes travelling on that network. This reduction in minutes of usage would lead to further increase in cost based termination charge for that network. The Authority has also noted that a number of licensees have started their services since the inception of IUC regime in 2003 as new service providers, well aware of the existing IUC environment, and they all have been able to sustain and grow with the existing IUC regime that does not introduce any asymmetry towards the new entrant. From the data it is also evident that most of the existing service providers are making reasonable rate of return on their investment. In fact, symmetric termination charge has created a level playing field for all operators for all types of the services.
- 5.6.4 It has to be appreciated that issue of licences to new companies and start of service by a licensee is an ongoing process, therefore, creating any asymmetry for the new service provider today might lead to further increase in termination charge by the service providers who would be 'new' in future. The Authority has not followed the practice of asymmetric regulation for any service provider including incumbent in the past.
- 5.6.5 The Authority has observed that tele-density in the urban areas has reached satisfactory level but the rural tele-density still remain the serious challenge and there is a need for providing policy and regulatory environment necessary to encourage service providers to move to these apparently less lucrative markets. Even today millions of ears are waiting to hear the dial-tone, therefore, connecting everyone is the prime concern. Therefore, the Authority is very keen to provide some incentive

to the service providers who are rolling out their services or network in the rural areas. However, as noted by most of the service providers it would be very difficult to introduce any asymmetry with regard to termination charge for the rural subscribers. The rural infrastructure development cannot be based on accruals from rural termination charges. The accrual of termination charge in rural areas would be a small part of investments likely to be made by the service providers. It may also be noted that creating any asymmetry in termination charges of calls in urban and rural area may be reflected in tariffs and this may make calls terminating in rural area costlier than calls terminating in urban area. In any case the right approach is to incentivise such development through USO as was argued by most private incumbents when they were asking for removal of ADC. It may however be mentioned here that the licensor has already done away with the licence fee on the AGR for rural fixed lines and has also given reduction of 2% in the licence fee for the service providers who complete 95% rollout. This is a positive way of encouraging rural rollout and also to fund it.

5.6.6 With regard to comment of a PSU that there is a need to have a zero termination charge for wireline to wireless calls, the Authority recalled that the basic principle of IUC envisages that the total interconnection usage charges for carriage of a call in a multi operator environment are to be shared for origination, transit and termination on the basis of work done in each segment for the carriage of the call. Since work done in the terminating network for termination of a call is independent of the work done in the originating network for origination of a call, therefore, it would be quite unreasonable to have zero termination charge for the call originating from one particular type of the network. There have to be more economically sound ways of providing support to the fixed line. A case in point is recent decision of the Government based on TRAI's recommendations according to which the USO would fund the

maintenance of fixed lines installed before 1.4.2002 by any service provider to a maximum extent of Rs 2000 crores.

- 5.6.7 Taking into account the gist of all the inputs received through all the discussion, the Authority is of the opinion that there is no need to introduce any type of the asymmetry with regard to domestic termination charge.
- 5.7 Issue 6: Impact of mobile and fixed termination charge on tariffs
- 5.7.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below and dealt with in the paragraphs following thereafter.
 - (i) To maintain termination rates at the current level would sustain incentives for serious operators to bring service and competition to rural areas.
 - (ii) Tariffs are primarily driven by the extent of competition in the market. The cost based IUC regime based on international best practices can be facilitator of competition in the market.
 - (iii) In India the forbearance of the retail tariff has worked very well wherein the operators are allowed to adjust their tariff based on market conditions.
 - (iv) Any reduction in termination especially reduction in MTC will result in significant leverage to provide better tariffs to the end user of both mobile as well as fixed line.
 - (v) With the reduction in MTC and FTC the retail tariffs are bound to decrease further.
- 5.7.2 There was a mixed reaction to this issue. Discussion of this was exploratory. The tariff is under forbearance and through these regulations the Authority does not intend to change that. No determination was

expected to be made on this, therefore, it is not further being discussed in this memorandum.

- 5.8 Issue 7: Asymmetric domestic and international termination charge
- 5.8.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below and dealt with in the paragraphs following thereafter.
 - (i) There is a no case for regulating international termination charge by the TRAI.
 - (ii) TRAI should not assume the mandate of regulating rates paid by operators outside India and these rates should be brought under forbearance.
 - (iii) In order to maintain the parity and reciprocity for termination charges for incoming and outgoing calls TRAI may forbear and allow access providers to negotiate the termination charges with ILD operators for incoming international calls.
 - (iv) Increasing the termination charge on incoming ILD calls will make more funds available to all service providers for expansion of service without increasing the burden on service providers or the consumers.
 - (v) Asymmetric charges between domestic and international creates an artificial arbitrage opportunity again for grey market / illegal telephony operators.
 - (vi) Increase in termination charge on incoming international calls will be a win-win preposition for all the parties.
 - (vii) There is already a shift towards Internet telephony which will get aggravated once asymmetric rates are introduced.
 - (viii) Mandating higher termination charge is a retrograde step from being an open market telecom regime to a monopolistic restrictive market.

- (ix) Reciprocal arrangement of termination charge is also a step in backward direction and has practical limitations.
- (x) Any symmetry should be introduced if the cost structure is different.
- (xi) All termination charges should be on cost basis and not on reciprocal basis.
- (xii) Asymmetric termination charge would again lead to grey market and will be against the national security.
- (xili) There is a full justification for asymmetric domestic and international termination charge for incoming ILD calls.
- (xiv) ILD termination charge for incoming calls should be prescribed by Regulation and not left to the negotiation between the ILDO and terminating operator.
- 5.8.2 Some of the service providers have proposed higher termination charge for the international incoming calls. Both the telecom PSUs have also argued for the higher termination charge for the incoming international calls at par with what access providers are paying for termination of their outgoing international calls in other countries. The concerned PSUs have also argued that in order to maintain the parity and reciprocity for allowing termination charges of incoming and outgoing calls TRAI may forbear and allow access providers to negotiate the termination charges with ILD operators for incoming international calls. The grounds that have been given for justification of higher termination charge for international incoming include lower termination charge benefits only the foreign operators and foreign consumers, higher inflow of funds into the country would enable Indian service providers to expand network and also to offer lower international outgoing call rates, higher inflow of funds would also result in higher earning for the Government. The new entrants have submitted that asymmetric charges between domestic and international termination would create an artificial arbitrage opportunity and give rise to grey market. They say that this was one of the main

reasons for reduction and finally removal in the ADC applied on international incoming calls.

- 5.8.3 The Authority considered all the options (a) reciprocal arrangements with other countries (b) Forbearance or negotiated settlement between access provider and ILDO (c) increase the international termination from the existing rate (d) Maintain at present level of Rs 0430 per minute, and (e) Same as domestic termination charge
- 5.8.4 The reciprocal arrangement i.e. mandate the same termination rate for calls from a country as the country applies to calls from India may lead to complexity in settlement. There would be a large number of prevalent termination rates for calls terminating in India and settlement disputes would increase. This arrangement would also lead to hubbing of international traffic in a country that has low termination rate arrangement with India. This would not only lead to dependence on bandwidth on some routes and inefficient utilization of bandwidth on other routes but may also encourage the operators to alter CLI to show that the calls are from a country that enjoys low termination charges for calls to India. These are not the results that any regulatory authority would expect while regulating these rates.
- 5.8.5 The option of forbearance or leaving the charges to negotiation between ILDO and access providers has both advantages and disadvantages. It may help access providers in negotiating higher than prevalent rates and earn more revenue. It may also reduce the tariff for outgoing international calls if the service providers are willing to share the increased revenue with the customers. The disadvantages in this case seem to outweigh the advantages. Such negotiations may become protracted and may lead to uncertainty and disputes in the market. The termination is monopoly, therefore, an access provider would always try

for higher termination charge from the ILDOs which may lead to a situation of non-settlement and, therefore, non-completion of calls.

- 5.8.6 The third option of increasing the international incoming termination charge from the current level also has its plus and minus points. The advantages are that it may help access providers to earn more revenue at the same time the disadvantage of stalled negotiation as in the case of forbearance would disappear. It may also reduce the tariffs for outgoing international calls if the service providers are willing to share the increased revenue with the customers. Critics of this approach would cite the disadvantage of the arbitrage opportunity that differential domestic and international termination charge would create. It may also be noted that there is considerable difference between the arbitrage generated due to ADC on international incoming calls and arbitrage due to difference between termination charge of international calls vis-a vis domestic calls. It would however also be important to appreciate that the arbitrage opportunity arises if the cost of the call on the illegal route is less than that on the legal route. The termination charge is not the complete cost of the calls. Since the grey market operations are not free of cost and may present ILD calls as local calls therefore if the arbitrage were higher than prevailing domestic local call rates only then there would be enough financial incentive to bypass the legitimate route.
- 5.8.7 The Authority feels that the international incoming termination charges should not only be based on costs but also on the fact that in general termination charges are higher internationally and also on assessment of what is more advantageous to the Indian operators and consumers. In the light of the above the Authority has decided that the termination charge for international incoming calls shall be 40 paise per minute.

5.9 Issue 8: Carriage charges

- 5.9.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below and dealt with in the paragraphs following thereafter.
 - (i) Equivalent carriage charges for long distance calls both for remote and rural areas and any other area.
 - (ii) No need of reviewing the present ceiling of carriage charge on high traffic routes.
 - (iii) There is a need for upwardly revising the carriage charge on the actual cost basis for hilly, remote and difficult terrain areas wherein in many cases calls are carried through costly satellite media.
 - (iv) Carriage charge should be retained at same level.
 - (v) Carriage charge rates should be reduced significantly.
 - (vi) Ceiling of carriage charge for long distance calls should be increased / decreased on the basis of current data.
 - (vii) NLD carriage charge is already competitive and thus no need to disturb the present ceiling of carriage charge.
 - (viii) There is a no justification to further bring down the ceiling rates of carriage charges for long distance calls.
 - (ix) Maintain at the same level.
 - (x) Ceiling of carriage charge should be reduced to Rs.0.55 per minute.
 - (xi) NLD carriage market largely competitive and there is a no seed to review the present ceiling of Rs.0.65 per minute.
 - (xii) There is a full justification for reducing the ceiling carriage charges from present prescribed ceiling of Rs.0.65 per minute
 - (xiii) Higher ceiling for remote areas and one ceiling for rest of the country may also be considered.

- 5.9.2 The Authority carefully considered the views of all the stakeholders in the matter of carriage charge for national long distance calls. A large number of service providers have suggested that the regulated carriage charge ceiling of Rs 0.65 per minute should be retained. Some have argued that the NLD carriage market is largely competitive and there is a no need to review the present ceiling. Some of the standalone new entrants in the access segment have asked for reduction of carriage charges and even differential charges for remote areas. BSNL, the government incumbent, has also expressed opinion against review of the present ceiling of carriage charge for high traffic routes but has expressed need for upwardly revising the carriage charge on the actual cost basis for hilly, remote and difficult terrain.
- 5.9.3 The Authority has observed that the carriage charges offered by the NLDOs are competitive on high traffic routes since on these routes access providers have a choice of NLDOs. However, there are still many SDCAs where only one service provider is present that is offering the carriage charges at the ceiling fixed by the TRAI. The analysis of profitability of NLD segments reveals that BSNL, the service provider having presence in remote and hilly areas, is making reasonable profits on the whole. The areas where more than one NLDO is present is witnessing sufficient competition and low carriage charges being offered by the NLDOs. The risk of reducing the carriage charge ceiling is that while it may not lead to reduction of offered charges on the high traffic, competitive routes it may render the remote areas non-viable and discourage other service providers from establishing network in these areas. Any reduction in the regulated ceiling of carriage charge would hat the profitability of the BSNL in the NLD segment. The present ceiling on charge is providing flexibility to the service providers to arrive at mutually agreeable carriage charges among themselves and also ensures the overall profitability of a widely present service provider like BSNL in the NLD segment.

- 5.9.4 Therefore, after careful consideration of the circumstances in entirety, the Authority has decided to retain the present ceiling on carriage charge. The Authority would closely monitor the trends and pattern of carriage charges and if there appears to be any distortion in the market in matter of carriage charges being levied and collected by NLDOs with respect to their own traffic and that of other access providers, the Authority would not hesitate to take appropriate steps including review of carriage charges.
- 5.10 Issue 9: Transit / carriage charge from Level-II TAX to SDCC
- 5.10.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below and dealt with in the paragraphs following thereafter.
 - (i) Handover of intra circle traffic originating from mobile network and terminating in BSNL fixed line network at Level-II TAX is mandatory, the charge unavoidable, therefore, the price should be strictly cost based.
 - (ii) Average cost of such carriage is to the tune of Rs.0.24 per minute.
 - (iii) There has been no corresponding reduction in this charge as has been done in the carriage charge.
 - (iv) The marginal cost of only call conveyance should be taken into account between LDCA and SDCA.
 - (v) This should be strictly cost based or mobile service providers should be allowed to handover their traffic either directly or through NLDO at the SDCA level.
 - (vi) The cost of carrying the call from LDCA to SDCA is not more than 4 paise.
 - (vii) The present tariff should be reviewed or re-assessed applying the proportionate changes in Capex and Opex to reflect current cost.
 - (viii) In order to facilitate a ceiling of 20 paise per minute or lower for this stream and allowing all NLDOs to handle such traffic.

- (ix) Transit charge from LDCA to SDCA should be reduced.
- (x) This carriage portion should be considered as a part of the termination and no charges should be payable for termination of the calls.
- (xi) The cost of these elements should be merged with termination charge as in case of MTC.
- (xii) Transit charge should not be more than 3 paise per minute.
- 5.10.2 The issue in this regulation is determination of charges for carrying calls intra-circle mobile to fixed calls from Level-II Tax to SDCA. A number of service providers have elaborated more on the point of handing over of these calls than the applicable charges. The question of handover of various types of calls is the subject matter of licencing and regulatory requirement and as the limited issue to be dealt with in this regulation is review of charges applicable for carriage of intra circle mobile to fixed calls from Level-II TAX to SDCA, the Authority has only taken into consideration comments with regard to the charges. BSNL has submitted the relevant cost data and minutes of usage being traveled from Level-II TAX to SDCA. BSNL in their calculation have shown the value as 24 paise per minute. BSNL has been continuously insisting that such charges are only carriage charges and BSNL may be allowed to charge such calls as per the framework prescribed for carriage of long distance calls. The Authority is of the view that such charges are for specific category of calls, which are being handed over at Level II TAX under the licensing/regulatory requirement. Such calls, if treated as per the framework prescribed for carriage of long distance calls, or distance based then calls originating from mobile and terminating in the fixed line of the remote SDCA may become costlier adversely affecting the interest of subscriber. While prescribing the average transit carriage charges, the Authority is also aware of the fact that some of the SDCA will be collocated with Level-II TAX and many other SDCA may be located close to a Level-II TAX. One of the service providers' has submitted that 4 ports

are used for carrying the call from mobile operator's network to BNSL fixed line network, one port in BSNL L-II TAX towards BSNL local switch in SDCA, one port in BNSL local switch and BNSL L-II TAX and one port in BSNL's local switch towards subscriber. The service provider has further taken average distance 45 Kms. and cost of E1s as per TRAI rates and MOU capacity per annum per E1 is taken as 3663360 minutes. On the basis of these assumptions the average rate per minute was derived at 4 paise per minute. One more service provider during the pre-consultation paper has also proposed the charges in the same range.

5.10.3 The Authority recalled that during the calculation of port charges, only the incremental CAPEX for provision of the port was considered(elaborate). Although for carrying the call from Level-II TAX to SDCA there is also a need for not only augmenting the switch capacities but also downstream parts of the network to carry this traffic up to SDCA. Therefore, the Authority considered the cost and minute data that has been supplied by BSNL with required adjustment.

5.11 Issue 10: TAX transit charges

- 5.11.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below and dealt with in the paragraphs following thereafter.
 - (i) There is a no case for any transit charge to be levied by BSNL in cases wherever the MSCs of BSNL CellOne and private operators are connected to the same BSNL switch.
 - (ii) Transit cost may be substantial for the new entrant at the initial stages of the network deployment.
 - (iii) Transit charge should be left for mutual negotiation.
 - (iv) Transit charge should be reduced with immediate effect and it should not be an incentive for any service provider.
 - (v) This charge should be reviewed on the basis of applicable cost.

- (vi) The TAX transit charges for intra SDCA transiting should be reviewed in line with the cost oriented methodology.
- (vii) Cost based approach should be used to determine TAX transit charges for intra SDCA transiting.
- (viii) Charge should be cost based.
- (ix) Transit charges for intra SDCA transiting should be reviewed and the revised cost based charges should be prescribed.
- 5.11.2 Instead of providing the comments on transit charges many of the service providers has drawn attention of the Authority on the Hon'ble TDSAT judgment in this regard. The Authority has noted that the Hon'ble TDSAT only determined the principle of applicability of transit charges. It has nothing to do with the charges prescribed by the TRAI in 2003. The Authority has taken note of the Hon'ble TDSAT order dated 03.05.2005 in Appeal No.31 of 2003 (BSNL Vs. TRAI) and Petition No.20/2004 (COAI and Ors. Vs. BSNL & Ors.) and the TRAI's Regulation dated 08.01.2005 on transit charges for Bharat Sanchar Nigam Ltd. CellOne terminating traffic Regulation 2005 in compliance with the Hon'ble TDSAT order. The operating part of the Hon'ble TDSAT order is reproduced below:
 - "On consideration of level playing field, we direct that BSNL should stop charging 19 paise from cellular operators by way of transit charges for accessing BSNL CellOne subscribers, wherever the MSCs of both BSNL CellOne and Private CMSOs are connected to the same BSNL switch. We are of the view that our direction will take effect from the date of this judgment and we authorize TRAI to make this part of the regulatory regime."
- 5.11.3 BSNL in its submission stated that that no TAX switch is involved in intra SDCA transiting and therefore this question relating to TAX charges in intra SDCA transit is ambiguous. With respect to the tax charges BSNL submitted that the transit charges for calls from one network to another network when the switches of both network operators are connected to the same switch of BSNL this need not be reviewed and regulated since transiting of call is not a mandatory service is based upon the mutual

arrangement between the operators as per their techno-commercial decisions.

- 5.11.4 It has been noted that BSNL is taking the TAX transit charges same as prescribed by the TRAI for the intra SDCA transiting i.e. lower than 20 paise. Since in both the cases whether it is intra SDCA transiting or it is transiting through TAX work done is same effectively both are transiting of call from one network to another network. Therefore, in the consultation paper both kind of the transit charges were discussed together. However, to provide clarity in the present amendment to the regulations a new clause has been added for TAX transit charges.
- 5.11.5 The Authority has noted that the Hon'ble TDSAT only determined the principle of applicability of transit charges. It has nothing to do with the charges. Therefore, the Authority is of the opinion that the principle of applicability of the charge would keep governing through Hon'ble TDSAT's order and TRAI's Regulation on transit charges for Bharat Sanchar Nigam Ltd.'s CellOne terminating traffic Regulation 2005 dated 08.06.2005. However, in exceptional circumstances when service providers specifically request for TAX transiting the charges specified in the present amendment to the Regulations would be applicable. This charge is required to be prescribed and cannot be left completely for mutual negotiation as new entrants are still entering into the market and they may not be able to get connectivity from all the networks immediately after starting their service in a particular service area. Specifying the charges in this Regulation by any manner would not affect the applicability of principle of transit charges by Hon'ble TDSAT order dated 03.05.2005 and TRAI's Regulation on transit charges for Bharat Sanchar Nigam Ltd.'s CellOne terminating traffic Regulation, 2005 (10 of 2005) dated 08.06.2005.

5.12 Issue 11: Advancement in technologies, 3G services and IUC

- 5.12.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized below and dealt with in the paragraphs following thereafter.
 - (i) There should be no differential for 3G or any other technology.
 - (ii) The future developments and introduction of other technologies will quickly a policy of technology specific termination rates to be unworkable.
 - (iii) This matter should be considered at a later stage when the 3G market conditions are framed to higher level of clarity than achieved currently.
 - (iv) The development of new technologies should be considered at the stage when commercialization of the technology became forceable.
 - (iii) It is felt that any step taken now would futile and need to be looked into at the later stage.
 - (iv) It is felt that for other 3G applications termination charges may be allowed to be negotiated between the operators desirous to launch these services.
 - (v) Issue of setting the termination charges of 3G mobile services should be considered at a later stage when there is more clarity regarding the pricing of 3G spectrum.
 - (vi) The interconnection scenario under new technologies should be considered at the later stage.
 - (vii) IUC is for voice termination and should remain for voice only. Data is not built on usage and hence must be kept out of purview of IUC.
 - (viii) Same termination charge for both 2G and 3G.
 - (ix) 3G termination charge should be considered at a later stage through a separate consultation.
 - (x) Any consideration on termination in future should be technologically agnostic.

- (xi) Bill and keep is internationally becoming the favourite approach to deal with complexity of evolving technologies.
- (xii) Bill and keep regime is competitively and technologically neutral and will allow uniform compensation for all kinds of networks.
- (xiii) At this moment it is very premature to comment IUC charges for NGN.
- (xiv) It will be premature to prescribe separate termination charge for 3G.
- (xv) Impact of new development should be considered as and when such networks are rolled out in India.
- (xvi) Regarding IUC charges for NGN it is premature at this stage to comment. A brainstorming among stakeholders may be required.
- 5.12.2 The prevailing IUC regulation applies only to voice call termination on 2G networks. The general opinion of the service providers to the question of regulating 3G voice termination charge has been either that it should be same as 2G voice termination charge or should be decided at a later stage when roll-outs take place and more clarity of the market conditions emerges. It is also a fact that MTNL and BSNL have started rolling out their 3G networks. The question is bound to arise what termination charge BSNL, MTNL and any other service provider that may start its service after issue of these regulations should charge for calls coming from other 2G and 3G networks. Alternatives to regulate 3G termination charges are simply symmetric with 2G, asymmetric with 2G termination charges or leave it under forbearance.
- 5.12.3 As was pointed out in the consultation paper the voice termination market is a monopoly of the terminating network. This is true for both 2G and 3G networks. Both the originating subscribers and the service providers would be unable to choose whether a call would terminate on a 2G or a 3G network. The outcome would depend on the technical features within the mobile network and the mobile instrument that the receiving party

uses. From consumer's point of view, 3G network would need roaming with 2G networks, consumers may not distinguish whether the network they are roaming in is 3G or 2G. The reasons for regulation of voice call termination services on 2G network apply equally to 3G networks and for same service technological neutrality could be useful guiding force. In this case a common charge for 2G and 3G voice termination seems justified.

- 5.12.4 Asymmetric termination charges for 2G and 3G would require a better understanding of 3G CAPEX and OPEX, migration patterns and other interactions between the 2G and 3G networks. Asymmetric regulation of voice termination on 2G and 3G may also give rise to inefficient incentives to use one or other network depending on whether the termination charge revenue is higher or regulation is lighter. There may always be some internal information of these service providers which is not available to TRAI and may be exploited to commercial advantage. Thus, regulation of this kind may cause inefficient use of resources.
- 5.12.5 If the termination charge for 3G is left under forbearance then it may be fixed at unjustifiably higher level creating non-level playing field for similar voice service. If this is the case then traffic may be internally terminated on the network which gives pecuniary advantage to the service providers.

6. Estimation of Interconnection Usage Charges

6.1 A large number of factors were taken into account to home on the costing methodology that would be fair, transparent, forward looking, have a sound economic basis, meet the objectives required of an IUC regime and reflect the Indian reality. Claims and counter-claims by the service providers and other stakeholders were carefully examined. The pitfalls of adopting any of the costing methodologies and approaches suggested by the stakeholders were looked into. The approach used in the prevalent

IUC regulation was critically examined from the point of view of treatment of capital and operational cost recovery, availability of data required, reliability of assumptions used, if any, and forward looking feature. For a variety of reasons, many of which were discussed in section 5.3, fully allocated costing methodology which uses the relevant OPEX for termination charge has been considered to be more appropriate for the present review. The Indian market is far from settled. New licences are still being issued and the question of ensuring level playing field is still as important as it was when the sector was opened up for competition.

- 6.2 In determining the termination charge by using fully allocated costing methodology with top-down approach the Authority had to meet two important objectives. The first objective was to maintain transparency. The second objective was to maintain the confidentially of the ASR data of individual service providers as requested by them. To meet the first objective all the data used and computations performed have been provided in this explanatory memorandum. For meeting the objective of confidentiality the Authority has decided to publish only the consolidated data of rather than individual service provider's data.
- 6.3 Mobile Termination Charge
- 6.3.1 The application of the selected methodology is transparent and equitous. In this process the basic inputs required to arrive at the mobile termination charge are the relevant OPEX and Minutes of Use(MOU) handled by the network. Notwithstanding the transparency requirement, use of individual service provider's data would induct very individual business decisions that affect the OPEX and also the inefficiencies of their operations. This would be indirectly indicating to the other service providers, the chosen service provider as the most efficient and taking away the flexibility of business operations. Inability of an individual service provider to generate appropriate use of capacity resulting in low

MOU would also affect the termination charge. Moreover, efficiency of any service providers cannot be measured by the value of termination charge alone. On the other hand using the overall relevant OPEX of the industry would allow all the individual service providers to pursue their chosen business model and improve efficiency of operations to be competitive. The Authority, therefore, decided to estimate the termination charges using the total relevant OPEX of the wireless industry divided by the total number of minutes handled by the wireless network in the same period.

6.3.2 The Authority relied on the Proforma B of the Accounting Separation Regulation, 2004 as the source of reliable data of the industry. Treatment of each cost head/item of the Performa is given in Table 6.1 Constituents of each head of cost are already part of the ASR Regulation and have not been described here. All sub-heads of any head of cost that has been included are also automatically included. As has been explained in Section 5.5 in the present exercise the total VAS revenue has not been deducted from the total OPEX. The proportion of VAS revenue to the total revenue has been used to take the appropriate percentage of total relevant OPEX as the deductible. As the VAS revenue is about 10% of the total revenue therefore only 10% of the OPEX has been deducted to account for VAS.

TABLE 6.1:SUMMARY OF PROFORMA B (PROFIT & LOSS STATEMENT-SERVICE) OF ACCOUNTING SEPARATION REPORT				
Particulars	Remark			
Gross Revenue	Used for estimating Gross ARPU of			
	the industry			
Cost Items	Treament			
Pass Through (Interconnection	Not included			
Charges)				
Licence Fee and spectrum	Included proportionately for			
charge	termination charge			
Employee Cost	Included			
Administration Cost	Included			
Sales &Marketing	Not included			
Maintenance Cost	Included			
Network Operating Cost	Included			
Depreciation and amortization	Not included			
Finance Charges	Not included			
Other Costs[excluding loss of sale of fixed assets(net)]	Included			

6.3.3 As can be seen from the table, the items that were excluded in the previous IUC calculations in October 2003 have again been excluded. The head 'Sales and Marketing' costs are basically the ones that every operator incurs for promoting its own business and loading this cost to interconnecting operators are unjustifiable. For example, a company may take on board a celebrity for promoting its services and the cost of this decision should not be passed on to the interconnecting networks. Finance charges, Depreciation and amortization are basically in the nature of recovery of CAPEX and has therefore not taken been used for calculating relevant OPEX.

6.3.4 The data that has been used for estimation of MTC has been taken from the ASR for the financial year 2007-08. Table 6.2 contains the consolidated data for the wireless industry.

TABL	TABLE 6.2:STATEMENT OF SUMMARY OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF WIRELESS SEGMENT (2007-08)				
Sl.No.	Particulars Particulars				
		(Rs in crore)			
1	Total Revenue	78738.89			
2	Total Expenditure	61902.05			
	Less:				
3	Depreciation	11598.11			
4	Finance Cost	287.74			
5	Total Operating Expenditure (Opex)	50016.20			
	Less:				
6	Sales & Marketing	8717.17			
7	Pass Through (Interconnection Charges)	14839.20			
8	Licence Fee	6152.75			
9	Relevant Opex	20307.08			
10	EBIDTA Margin	36.5%			
11	Percentage of relevant Opex to total Opex	40.60%			
12	Gross Average Revenue Per User (ARPU-Gross) Rs./Month	308			
Source	: Accounting separation Reports for the FY 2007-0)8			

6.3.5 Estimation of the Mobile Termination Charge

Examination and analysis of the P&L accounts of the service providers for the financial year 2007-08 was carried out by the Authority. It was noted that the Average Gross Revenue per user (ARPU- Gross) has shown a declining trend for the period 2007-08 as compared to previous year whereas, the EBITDA margin of the industry has increased from about 35% to about 36% in the same period.

6.3.6 When growth in the number of subscribers over the period was examined it was noted that in the month of January 2009 alone the industry added more than 15 million subscribers while the average per month in the year 2008 was about 9 million. Therefore projection of subscriber would not yield correct result. Therefore, to arrive at the relevant OPEX per subscriber for future years for estimation of the MTC, the Authority projected the EBITDA margin and ARPU of the industry. The Authority noted that the industry is maintaining consistent EBITDA margin and, in fact, two leading listed telecommunications service providers have declared their EBITDA margin for the year 2007-08 in the range of 40% to 42%. However, the Authority is conscious of the fact that much of future expansion would be in rural areas which would cause pressure on the EBITDA margins of the service providers. To factor this in the Authority considered that it would be more appropriate to take 32% EBITDA margin for the industry for estimating the MTC for the coming years. The Authority expects that gross ARPU would be around about Rs 280 for the financial year 2009-10 based on the trend of the last few years. Based on the ASR data for the year 2007-08 and previous years it was estimated that the percentage of relevant OPEX that should be considered for MTC should be 43%. These estimations have been made based on financial and non-financial information available in the Account Separation Report. The Authority examined the circle-wise pattern of MOU on different mobile networks and noted that the average Minutes of Usage per subscriber per month (MOU) have increased from 440 to 450 in the same period. However, it is further observed that during the first three quarters of financial year 2008-09 MOU has shown a declining trend. On the basis of above mentioned parameters and ratios, it was estimated that relevant Opex per subscriber per month would be Rs 82. This was further adjusted as already explained above to take care of VAS revenue. The relevant OPEX adjusted for VAS comes to Rs 74 per subscriber per month. This adjusted relevant OPEX per subscriber was divided by estimated MOU to obtain the MTC which comes to Rs 0.20 per minute. Details of calculations are given below in Table 6.3

TABLE 6.3 :ESTIMATION OF MOBILE TERMINATION CHARGE (MTC)				
Particulars	Unit	Amount		
Gross Average Revenue Per User (ARPU- Gross) per month	Rs	280		
EBITDA Margin	%	32%		
Total Operating expenditure - (Except Depreciation and Finance Charge)	Rs	190		
Percentage of Relevant Opex to Total Opex	%	43%		
Relevant Opex	Rs	82		
Less: Allocation of Relevant Opex (10%) for VAS	Rs	8		
Relevant Opex(adjusted for VAS)	Rs	74		
Minutes of Use per subscriber per month	Minute	425		
MTC without License& Spectrum fee	Rs per Minute	0.17		
License & Spectrum fee	%	12%		
MTC with License& Spectrum fee	Rs per Minute	0.20		

6.4 Fixed Termination Charge

6.4.1 As the BSNL has the largest share in the wireline business (~78%), the data of BSNL wireline network has been taken as the key input but not necessarily the only input for arriving at the fixed termination charge(FTC). Data pertaining to any other fixed network was based on a much smaller network than the size of the incumbent's network. From the data provided by BSNL in response to the consultation paper, MOU per subscriber per month comes to 511 and estimated FTC as 48 paise per minute. The Authority compared these costing data and minutes with previous exercise when FTC was derived as 23 paise per minute. The main difference in the two calculations is mainly because of the lower MOU per subscriber indicated by BSNL. In the previous exercise the MOU

per subscriber were taken as 950. Since a steep reduction has been indicated by BSNL in their submission, the Authority decided to analyze the matter in more detail.

- 6.4.2 The data furnished by the BSNL has shown an apparent inconsistency in the number of incoming minutes coming to BSNL fixed network from the other cellular operators. BSNL has shown 1823 crore minutes in their calculation of the fixed termination charge. These minutes were crosschecked from the data furnished by the cellular operators in their quarterly report to the TRAI. According to the data furnished by the other cellular operators these minutes are about 3114 crores for the year 2007-08. There is apparently a large variation of around 70% in the minutes furnished by BSNL in this category of calls alone. Other minutes i.e. BSNL fixed to BSNL fixed line etc. were not verifiable from any other source. This variation if applied in the same proportion to other types of the calls would lead to a different termination charge for the wireline. Although there could be a decline in the minute of usage for the fixed line but as the mobile service is growing at its full potential, such a steep reduction in the total incoming and outgoing minutes appears unreasonable.
- 6.4.3 Although furnishing of the MOU is mandatory under the Accounting Separation Regulation, 2004, BSNL has not furnished requisite information for their fixed line network which would have enabled proper auditing of the data. The data furnished by the BSNL for the present IUC exercise, in full knowledge of the fact that MOU would be used as a denominator for calculating the fixed termination charge, cannot be relied upon as the sole criterion for calculating the termination charge. Accounting Separation Regulation also requires submission of information about the traffic handling capacity and capacity utilization of the switching network in Erlangs (Under the heading of traffic details) but the same has not been submitted by BSNL. In the absence of capacity utilization of

948GI/2009-15

switching network, the Authority used the of turnover ratio (Revenue / Capital Employed) to find out investment utilization which indicates the utilization of resources to generate revenue. The Authority noted that as per Accounting Separation report of the BSNL for the financial year 2007-08 turnover Ratio is about 35%, whereas as per accepted norms as adopted by the Authority in other orders it should be in the range of 60-70%. For the Mobile Industry turnover ratio is 91% for the financial year 2007-08.

- 6.4.4 The Authority further taken note of the fact that in the Regulation of 2003, 950 MOU were used for calculating the termination charge, therefore, the BSNL's network is quite capable of handling the 950 MOU. The theoretical planned capacity may not have been reached but if the utilization has attained a level then reduction could be because of operator specific reasons. As per generally accepted costing principles, the denominator should be higher of sale or saleable units. It would, therefore, be in line with generally accepted costing principle for taking 950 MOU as denominator for the calculation of fixed termination charge.
- 6.4.5 Looking at it from the OPEX point of view it has also been observed that the BSNL EBITDA margin for mobile services is about 65% which is much higher than the industry average of 35% which clearly shows more allocations of the operational cost towards the fixed line service.
- 6.4.6 The Authority estimated FTC in two ways (a) By taking the cost data provided by BSNL in their submission with 950 MOU and (b) Taking EBITDA margin of 32 % as has been taken for Mobile Termination Charge and estimated ARPU comes to Rs 400 per month. This adjustment of EBITDA margin is also justifiable on the grounds that BSNL has shown 65% of EBITDA in the mobile services which is much above the average mobile industry EBITDA margin. Secondly a part of OPEX is also being recovered through the revenue generated from the carriage/transit

charge from Level-II TAX to SDCC. Using method (a) the estimated FTC based 950 MOU with costing data supplied with BSNL comes to about 26 paise per minute. This estimate would further reduce if appropriate adjustments are made in OPEX to align EBITDA margin of BSNL mobile services with the average EBITDA margin of the mobile industry. Using method (b) FTC on the basis of EBITDA margin as used for mobile termination charge comes to Rs 0.20 per minute. Table 6.4 may be referred to:

Particulars	Unit	Amount	
Gross Average Revenue Per User (ARPU-Gross)	Rs	400	
EBITDA Margin	%	32%	
Total Operating expenditure - (Except Depreciation and Finance Charge)	Rs	272	
Percentage of Relevant Opex to total Opex	Rs	65%	
Relevant Opex	Rs	177	
Minutes of Use per subscriber per month	Minute	950	
FTC without License Rec	Rs per Minute	0.19	
License Pee	%	8%	
FPC with bloomse Fee	Rs per Minute	0.20	

examined this matter qualitatively both from fixed service providers' view and from consumer point of view. From the view of the service provider, if higher fixed charges are prescribed it would lead to skew of traffic in favour of mobile networks and reduce traffic towards fixed line. This would result in less utilization of network and would call for further increase in FTC. From consumer point of view the termination on mobile as well as fixed lines are partly substitutable services and therefore the consumer should not have to pay higher termination charge for one of these substitutable services because of under utilization of any service

provider's network. Keeping in view the above the Authority decided to continue with the uniform termination charge for mobile and fixed.

6.5 Carriage Charge

- 6.5.1 An analysis of major National Long Distance Operators(NLDOs) for the year 2007-08 revealed that some of the service providers who are basically carrying the call only on high traffic routes have Return on Capital Employed (RoCE) is as high as 29%. The high RoCE indicates higher margin in the NLD segment on high traffic routes. However, at the same time the sustainability of the service provider who has all India presence and has infrastructure in almost all SDCAs is required to be seen before prescribing the new carriage charge. It was coserved that the service provider who has all India presence is able to generate ROCE of around 15%. Therefore it would not be justifiable to prescribe lower ceiling for carriage charge. If lower charge is prescribed then for BSNL who is present, or any other service provider who plans to be present, in the remote and hilly areas, sustainability of NLD operation of such service providers would suffer and service providers would be discouraged from deployment in such difficult areas.
- 6.5.2 In view of the above, the Authority decided to keep the ceiling of 65 paise per minute so that the cost can be recovered by BSNL and any other operator in a similar situation. The Authority also expects that there would be enough competition among NLDOs to provide lower carriage charges on the high traffic routes to the access providers.
- 6.6 Transit / Carriage Charge from Level-II TAX to SDCC
- 6.6.1 As has been explained above the data furnished by the BSNL has shown an apparent inconsistency with the data furnished by cellular operators in the number of incoming minutes coming to BSNL fixed network from

other cellular operators. BSNL has taken 1823 crore minutes from cellular mobile to fixed line for calculating the carriage charge from Level-II TAX to SDCC for the year 2007-08. On the basis of these minutes BSNL has indicated the charge of 24 paise/minute. However, when these minutes were cross-verified from the data furnished by the cellular operators the estimated minutes comes around 3114 crore minutes which shows a wide variation of 70%. If the correction in minutes is applied only to the minutes between other cellular operators and BSNL fixed line it comes to Rs 0.15.

6.7 Intra SDCA Transit Charge

- 6.7.1 BSNL was requested to provide the data for calculation of intra SDCA or TAX transit charges however they not furnished any costing data for minutes with regard to intra SDCA or TAX transit charges. In the absence of unavailability of the data the Authority decided to continue with the same principle as decided in the Principal Regulation of October 2003, that this charge should be lower than the charge that is applicable for Level-II TAX to SDCC carriage/ transit charge.
- 6.7.2 Since the cost of transiting should be lower than the value being prescribed here as no carriage is involved in transiting the call the Authority expects that BSNL will levy a reasonable charge below this ceiling to the service providers for transiting the call
- 7. Summary of the determinations in these Regulations
 - (i) Termination charge for all types of domestic calls has been reduced to 20 paise per minute from 30 paise per minute.
 - (ii) Termination charge for incoming international calls would be 40 paise per minute against the existing charge of 30 paise per minute.

- (iii) Ceiling on carriage of domestic long distance calls retained at 65 paise per minute. Reporting requirements have been prescribed.
- (iv) No origination charge has been specified. The origination service provider shall retain origination charges from the residual after payment of other IUC.
- (v) Transit/Carriage charge from Level-II Trunk Automatic Exchange to Short Distance Charging Area(SDCA) would be 15 paise per minute.
- (vi) Intra SDCA and TAX transit charges to be lower than 15 paise per minute.
- (vii) IUC for SMS shall continue to be under forbearance. However, these charges should be transparent, reciprocal and nondiscriminatory. Reporting requirements have been prescribed.
- (viii) Termination charge for 3G voice calls shall be same as 2G voice calls.
- (ix) The new charges shall be effective from 1st April 2009.